वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

तेउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

विषय–सूची

बोर्ड के सदस्य	2
बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक	3
लक्ष्य एवं उद्देश्य	4
अध्याय 1 संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य	5
अध्याय 2 वित्तीय सहायता : तेल एवं गैस कंपनियों को ऋण	10
अध्याय 3 वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान	25
अध्याय 4 वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान	51
अध्याय 5 तेउविबो का उर्जा सुरक्षा में योगदान	60
अध्याय 6 अन्य पहल / गतिविधियां	64
अध्याय 7 तेउविबो के वार्षिक लेखे 2021–22	70
अध्याय 8 भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट	95
अध्याय 9 परिशिष्ट	106

बोर्ड के सदस्य
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

श्री तरुण कपूर
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(30.11.2021 तक)

श्री पंकज जैन
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(14.01.2022 से आगे)

सदस्य

श्री योगेन्द्र त्रिपाठी
सचिव,रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(31.01.2022 तक)

श्री राजीव रंजन
विशेष सचिव, व्यय विभाग
(31.12.2021 तक)

श्री राजेश अग्रवाल
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(22.09.2021 तक)

श्री गुडे श्रीनिवास
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(14.01.2022 से आगे)

श्री अमर नाथ
अपर सचिव (अन्वेषण)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री एस.सी.एल.दास,
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय

श्री श्रीकान्त माधव वैध
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

डॉ. अलका मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
(14.01.2022 से आगे)

श्री मनोज जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड

श्री अरुण कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(14.01.2022 से आगे)

सुश्री वर्तिका शुक्ला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(14.01.2022 से आगे)

डॉ0 एसएसवी रामाकुमार,
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री प्रमोद राम
महा सचिव, श्रमिक विकास परिषद,
इंडियन ऑयल बरौनी रिफाईनरी

सदस्य सचिव

डॉ. निरंजन कुमार सिंह,
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(14.10.2021 तक)

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी,
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(15.10.2021 से आगे)

बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा–परीक्षक (रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	डॉ. निरंजन कुमार सिंह (14.10.2021 तक) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (15.10.2021 से आगे)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	श्री गौतम सेन
बैंकर्स	(i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में कार्पोरेशन बैंक)
लेखा–परीक्षक	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, मुम्बई
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0.2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं0	+91–0120–2594602 +91–0120–2594603
फैक्स	+91–0120–2594630
ई–मेल	facao.oidb@nic.in
वेबसाइट	www.oidb.gov.in

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन।
- तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना।
- निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण और इक्विटी निवेश में सहायता देना :–
  - भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
  - कच्चे तेल के उत्पादन,संचालन,भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
  - पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;
  - पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
  - वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
  - तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
  - तेल उद्योग में लगे या तेल उद्योग में लगने वाले किसी भी क्षेत्र के अन्य कामों में लगे कर्मियों को भारत में या विदेशों में प्रशिक्षण तथा अन्य विहित उपायों के लिए।

अध्याय 01

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

1 प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व का अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था । तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए।
- इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग (विकास) निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए।
- इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

1.2. इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है।

2 संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(i) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(ii) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे।

(iii) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

(iv) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(v) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ड़) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है ।

2.4 तेल उद्योग विकास अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है ।

3. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं। सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर निम्न दरों पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई/संशोधित की गई।

तिथि से प्रभावी	दर, प्रति टन
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फरवरी, 1983	300 रुपए
1 मार्च, 1987	600 रुपए
1 फरवरी, 1989	900 रुपए
1 मार्च, 2002	1800 रुपए
1 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए
1 मार्च, 2016	20% यथा मूल्य

स्रोतः वित्त मंत्रालय

3.2 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

3.3 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो।

4 तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2022 तक तेल उद्योग विकास कोष में 11,937.70 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं ।

4.2 एकत्रित उपकर की संचय राशि 1974–75 में रुपये 30.82 करोड़ रुपये से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2022 तक अनुमानतः 2,54,375.36 करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें से तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। उसके पश्चात् उपकर संग्रह में से तेउविबो को कोई राशि आंबटित नहीं की गई। 1974–75 से सरकार द्वारा कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर और तेउविबो को दिए गए उपकर का वर्ष वार विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है।

आरम्भ से 31—03—2022 तक केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को आंबटित की गई धन राशि का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क.स.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह	सरकार द्वारा तेउविबो को किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1,806.60	-
15	1988-89	2,013.64	63.09
16	1989-90	2,914.57	50.00
17	1990-91	2,785.15	89.81
18	1991-92	2,500.64	95.00
19	1992-93	2,207.61	-
20	1993-94	2,175.46	-
21	1994-95	2,566.16	-
22	1995-96	2,819.52	-
23	1996-97	2,558.03	-
24	1997-98	2,528.74	-
25	1998-99	2,448.18	-
26	1999-00	2,589.44	-
27	2000-01	2,582.21	-

28	2001-02	2,722.79	-
29	2002-03	4,873.17	-
30	2003-04	4,919.49	-
31	2004-05	5,033.97	-
32	2005-06	4,857.58	-
33	2006-07	6,875.53	-
34	2007-08	6,854.00	-
35	2008-09	6,680.94	-
36	2009-10	6,637.13	-
37	2010-11	7,671.44	-
38	2011-12	8,065.46	-
39	2012-13	14,473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
41	2014-15	14,677.24	-
42	2015-16	14,468.94	-
43	2016-17	12,778.20	-
44	2017-18	14,246.20	-
45	2018-19	18,556.09	-
46	2019-20	15,800.92	-
47	2020-21	11,474.15	-
48	2021-22	19,324.29	-
	कुल	**2,54,375.36**	**902.40**

टिप्पणी: तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्राप्त उपकर से संबंधित आंकड़े ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं

अध्याय
02

वित्तीय सहायता: तेल एवं गैस कंपनियों को ऋण

1 तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 से ही तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। ऋण निधि का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों के स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों के गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वांइट मूरिंग परियोजनाओं, शहरी गैस वितरण और गैस क्रेकिंग आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

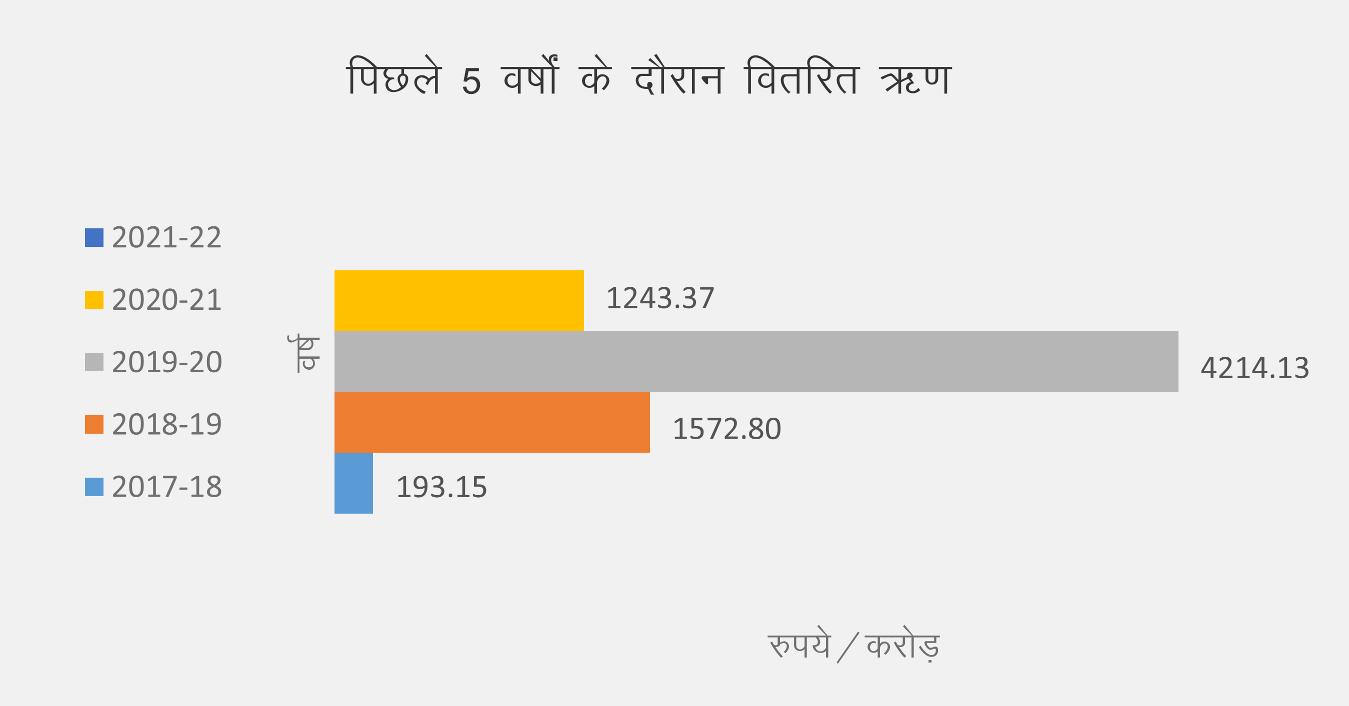

3. तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से पिछले पांच वर्षों में तेल क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

क0 सं0	तेल संस्थानों के नाम	वित्तीय वर्ष					
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**5 वर्षों का कुल योग**
1	आईओसीएल	0.00	0.00	150.00	437.00	0.00	587.00
2	बीपीसीएल	0.00	500.00	328.25	0.00	0.00	828.25
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0.00	0.00	850.00	150.00	0.00	1000.00
4	एचपीसीएल	0.00	600.00	2300.00	100.00	0.00	3000.00
5	बीसीपीएल	157.58	46.37	0.00	96.69	0.00	300.64
6	एमआरपीएल	0.00	268.00	271.00	55.25	0.00	594.25
7	गेल गैस लिमिटेड	35.57	36.66	0.00	204.43	0.00	276.66
8	सीपीसीएल	0.00	50.00	300.00	200.00	0.00	550.00
9	बीको लॉरी लिमिटेड	0.00	71.77	14.88	0.00	0.00	86.65
	कुल	**193.15**	**1572.80**	**4214.13**	**1243.37**	**0.00**	**7223.45**

4. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), ब्रह्मपुत्र क्रेकर पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं। नीचे ग्राफ में वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान वितरित ऋण का संगठनवार विवरण दिया गया है।

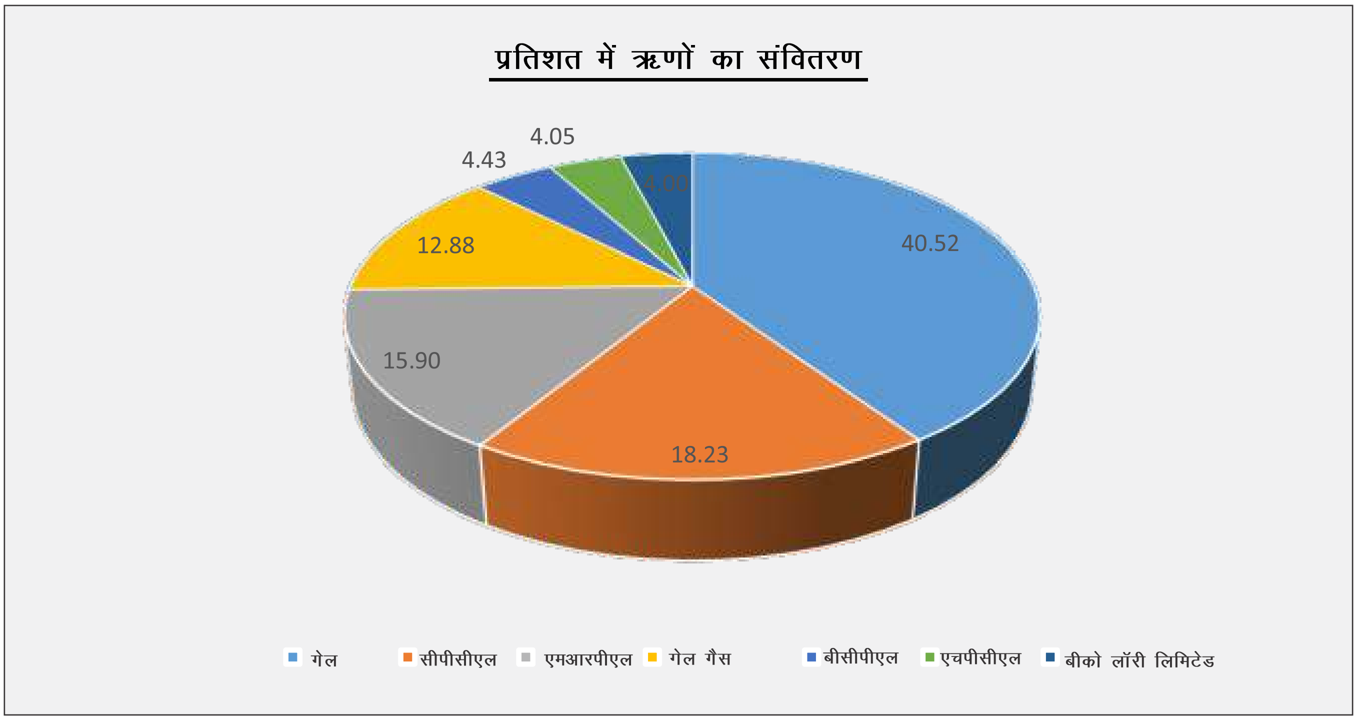

5. 31 मार्च 2022 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं गैस कंपनियों के पास 2468.17 करोड़ रूपये का बकाया ऋण है। जिसका संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

रुपये / करोड़

क्रम स.	तेल एवं गैस संस्थानों के नाम	राशि (रुपए करोड़ में)
1.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1000.00
2.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	450.00
3.	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	392.50
4.	गेल गैस लिमिटेड	317.78
5.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	109.24
6.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100.00
7.	बीको लॉरी लिमिटेड	98.65
	कुल	**2468.17**

6.0 तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

6.1. गेल (इंडिया) लिमिटेड

गेल (इंडिया) लिमिटेड एक ''महारत्न'' कंपनी है और भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है, जिसका 12400 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क है । कंपनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम व्यवसायों में विविधता लायी है और पॉवर, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पुनः–गैसीकरण, शहर गैस वितरण (सीजीडी) तथा अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) में अपनी उपस्थिति बढ़ायी है।

गेल ने सामान्यतः देश के आर्थिक विकास में और विशेष रूप से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास द्वारा पॉवर और उर्वरक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गेल द्वारा बिछायी गई गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में एक विकल्प प्रदान करने के अलावा गैस बाजार के विकास में इसके प्रयासों ने भी गैस भंडार के मुद्रीकरण और गैस के पूर्व की अपेक्षा फ्लेयरिंग में कमी लाने में सहायता की है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने, कंपनी को बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन सहित जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना के वित्तपोषण के लिए 1000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। तथा गेल (इंडिया) वर्ष 2019–20 में रुपये 850 करोड़ की ऋण सहायता तथा वर्ष 2021–22 में शेष राशि रुपये 150 करोड़ रुपये परियोजना के वित्त पोषण के लिए प्राप्त कर चुका है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना

जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल), जो ''प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना '' के नाम से विख्यात है और बरौनी से गुवाहाटी (बीजीपीएल) (सिलिगुड़ी तथा बोंगांईगांव के माध्यम से) तक इसके विस्तार को 15,000 किलोमीटर राष्ट्रीय गैस ग्रिड की भारत सरकार की अवधारणा के भाग के रूप में निष्पादित किया जा रहा है। यह परियोजना पूर्वी भारत अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में औद्योगिक /घरेलू/परिवहन क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी और इन राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र को मौजूदा राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड 15,520.00 करोड़ रुपये के निवेश से 2655 कि.मी. लंबी जेएचबीडीपीएल परियोजना और 729 कि.मी. लंबी बीजीपीएल परियोजना का निष्पादन कर रहा है जिसमें भारत सरकार से 5,176.00 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान शामिल है और इस परियोजना को जून, 2023 तक क्रमिक रूप से पूरा किया जाना है।

यह पाइपलाइन गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करेगी। इस पाइपलाइन नेटवर्क की क्षमता 16 एमएमएससीएमडी है। इस परियोजना की वास्तविक प्रगति निर्धारित समय–सीमा के अनुरूप है। इस ट्रंक पाइपलाइन निवेश से निकट भविष्य में विभिन्न निवेशकों द्वारा शहर गैस वितरण, एलएनजी टर्मिनल, उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार आदि में बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से व्यापक निवेश में वृद्धि होगी। वर्तमान में पाइपलाइन के मार्ग में आने वाले विभिन्न जिलों में सीएनजी और पीएनजी गैस की आपूर्ति आरंभ हो गई है।

पाइपलाइन प्रणाली का निर्माण चरणबद्ध रूप से प्रगति पर है। इसमें 1642 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन खंड फूलपुर (यूपी) से डोभी (बिहार) से बरौनी (बिहार) तक स्पर लाइन के साथ वाराणसी, पटना और गोरखपुर (750 किलोमीटर) स्पर लाइन के साथ तथा डोभी–दुर्गापुर स्पर लाइन के साथ मैटिक्स, दुर्गापुर और एचयूआरएल तक सिन्दरी (359 किलोमीटर) और बोकारो (झारखंड) से अंगुल (ओडिशा) (533 कि.मी.) को चालू कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 07.02.2021 को मैट्रिक्स उर्वरक तक स्पर लाइन के साथ 350 किमी डोभी –दुर्गापुर खण्ड राष्ट्र को समर्पित किया गया है और बोकारो–अंगुल (533 किमी) का उद्धघाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 12.07.2022 को किया गया है। शेष खंडों के लिए कार्य प्रगति पर है।

बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन

6.2 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), जिसे पूर्व में मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (एमआरएल) के रूप में जाना जाता था, इसकी स्थापना 1965 में 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की स्थापित क्षमता के साथ की गई थी। वर्तमान में, सीपीसीएल के पास 12.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की संयुक्त शोधन क्षमता वाली दो रिफाइनरियाँ हैं। मनाली रिफाइनरी की क्षमता 11.1 एमएमटीपीए है और यह भारत में ईंधन, ल्यूब, वैक्स और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक उत्पादन सुविधाओं वाली सबसे मिश्रित रिफाइनरी में से एक है। कंपनी ने हाल ही में रुपये 3110 करोड़ के पूंजी परिव्यय से आरईएसआईडी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो कि भारी अपरिष्कृत को संसाधित करने की क्षमता बढ़ाने के अलावा तलछट से उच्च मूल्य के मध्य आसवनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। सीपीसीएल की दूसरी रिफाइनरी कावेरी बेसिन (सीबीआर) में नागपट्टीनम में स्थित है। इस यूनिट को 1993 में 0.5 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ स्थापित किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 1.0 एमएमटीपीए, कर दिया गया।

ओआईडीबी ने बीएस–VI ऑटो ईंधन परियोजना के लिए चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) को 450 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। जिसमें से ओआईडीबी ने सीपीसीएल को उक्त परियोजनाओं के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान 250 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2020–21 के दौरान, 200 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

बीएस–VI परियोजना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र संदर्भ आर 29011/23/2012–ओआर–1 दिनांक 22 मई 2015 के माध्यम से 01 अप्रैल 2020 से बीएस–VI गुणवत्ता वाले ऑटो ईंधन पर प्रतिस्थापित करने का निर्देश जारी किया है। बीएस–VI विनिर्देश में बड़ा बदलाव गैसोलीन और डीजल की सल्फर मात्रा को 50 से 10 डब्ल्यूपीपीएम (अधिकतम) तक कम करना है। 1895 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय वाली बीएस–VI परियोजना की प्रमुख सुविधाएं नीचे सूचीबद्ध है:

प्रक्रिया इकाइयां:

इकाई	क्षमता
एफसीसी गैसोलीन डिसल्फराइजेशन	0.6 एमएमटीपीए
डीएचडीटी यूनिट रीवा मध्यप्रदेश	1.8 से 2.4 एमएमटीपीए
एसआरयू	2x100 टीपीडी
एआरयू	300 मी3/घंटा
एसडब्ल्यूएस	30 मी3/घंटा

एफसीसीजीडीएस इकाई को एफसीसीयू गैसोलीन में सल्फर को 100 पीपीएमडब्ल्यूटी से कम करके 8 पीपीएमडब्ल्यूटी से कम करने की आवश्यकता है। रिफाइनरी की डीजल उपचार क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएचडीटी इकाई को 1.8 एमएमटीपीए से 2.4 एमएमटीपीए तक पुर्नोत्थान किया गया है क्योंकि बीएस–VI गुणवत्ता वाले डीजल का उत्पादन करने के लिए पूर्ण डीजल पूल का इलाज किया जाना है और सम्मिश्रण संभव नहीं है। डीजल और गैसोलीन से निकाले जा रहे सल्फर को ठीक करने के लिए 2x100 टीपीडी सल्फर रिकवरी यूनिट के साथ सुलहर ब्लॉक स्थापित किया जा रहा है।

उपयोगिताएं और ऑफसाइटः

- नया डिमाउंटेबल फ्लेयर सिस्टम
- ड्रायर और संबंधित सुविधाओं के साथ अतिरिक्त एयर कंप्रेशर्स
- टैंक कोल्ड फीड पंपों के साथ मौजूदा टैंकों को एफसीसी जीडीएस कोल्ड फीड सेवा में बदलना
- सीआरडब्ल्यूएस में संशोधन

एफसीसी जीडीएस ईकाई

आरएलएनजी परियोजना

सीपीसीएल में प्रमुख इकाइयां जैसे हाइड्रोजन इकाइयां और बॉयलर जो अब तक नाप्था/ईंधन तेल के साथ संचालित किए जा रहे थे, उन्हें पारंपरिक ईंधन पर स्विच करने के लचीलेपन के अलावा आरएलएनजी मोड पर संचालित करने के लिए संशोधित किया गया है। इस परियोजना में परिचालन दक्षता के साथ–साथ उत्सर्जन में कमी का दोहरा लाभ है। एसओ2 उत्सर्जन जो नेप्था फीडस्टॉक द्वारा सीमित है, आंतरिक ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस/रिगैसीफाइड तरल प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) पर स्विच करके कम किया गया है।

निम्नलिखित को आरएलएनजी परियोजना के एक भाग के रूप में 297 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया गया है।

- नेप्था के स्थान पर एनजी/एलएनजी के उपयोग के लिए संयंत्र 205 और 214 का रूपांतरण
- आरएलएनजी के लिए जीटी का रूपांतरण
- एनजी/आरएलएनजी की प्राप्ति के लिए रिफाइनरी के भीतर गैस नेटवर्क की स्थापना, बॉयलरों/हीटर्स में अधिकतम संभव उपयोग और जीटी, एचजीयू आदि जैसे सभी उपभोक्ताओं की बैटरी सीमा तक नेटवर्क की स्थापना।

6.3 मंगलौर रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड

मैंग्लोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) श्रेणी 'ए' की एक मिनीरत्न कंपनी है। एमआरपीएल को 1987 में एचपीसीएल और आदित्य बिड़ला समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। 3.69 एमएमटीपीए का पहला चरण 1996 में शुरू किया गया था। 1999 में, एमआरपीएल ने दूसरा चरण शुरू किया और शोधन क्षमता को 9.69 एमएमटीपीए तक बढ़ा दिया। रिफाइनरी का पिछली बार विस्तार वर्ष 2015 में किया गया जब अंतिम यूनिटों में से एक (पॉलीप्रॉपीलीन) यूनिट को चालू किया गया। इस समय मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 15 एमएमटीपीए हैं। वर्ष 2003 में, ओएनजीसी ने एवी बिड़ला ग्रुप के शेयरों का अधिग्रहण कर लिया तथा तत्पश्चात इसकी शेयरहोल्डिंग 71.63 प्रतिशत तक बढ़ गई। एचपीसीएल 16.95 प्रतिशत का शेयर धारक है तथा शेष सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (संस्थानों तथा गैर संस्थानों) की है। कंपनी को वर्ष 2005 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था। तथा जुलाई 2013 में श्रेणी 'ए' की कंपनी के रूप में अपग्रेड किया गया।

एमआरपीएल देश की कुल शोधन क्षमता में 6 प्रतिशत का योगदान करती है। 10 के समीप नेल्सन जटिलता कारक के साथ रिफाइनरी विन्यास काफी जटिल है। रिफाइनरी की क्षमता ऐसी है कि वह 20 एपीआई से 45 एपीआई तक के व्यापक श्रेणी के कच्चे तेल का बेहतर ढंग से प्रसंस्करण कर सकती है। एमआरपीएल ने दुनिया भर से 80 से अधिक विभिन्न प्रकार के क्रूडों को संसाधित किया है। क्रूड, खाड़ी, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूएसए और रूस से हासिल किए जाते रहे हैं। रिफाइनरी का बुनियादी ढांचा बेहद मजबूत है। समर्पित कच्चे जल की ग्रहण सुविधा, तटवर्ती टर्मिनल में कैप्टिव जेट्टी, सिंगल पाइंट मूरिंग सुविधा तथा पेट्र कोक खाली करने के लिए रेलवे साइडिंग के सहारे भरोसेमंद तरीके से संचालन में मददगार है।

एमआरपीएल, पर्याप्त मात्रा में एलपीजी, मोटर स्पिरिट, विमानन टर्बाइन ईंधन और हाई स्पीड डीजल का उत्पादन करता है। रिफाइनरी ने अक्तूबर 2019 से बीएस–VI ग्रेड वाले ईंधन का उत्पादन करना शुरु किया। रिफाइनरी परिसर में, अत्यधिक उग्र द्रवीकृत उत्प्रेरकी क्रैकिंग यूनिट है जिसमें अधिक मूल्यवान पॉलिमर ग्रेड के प्रॉपीलीन का उत्पादन किया जाता है। एमआरपीएल ने दक्षिण भारत में पॉलीप्रॉपीलीन का उत्पादन करने वाली पहली यूनिट को संस्थापित किया है।

बीएस–VI परियोजना

ऑटो ईधन नीति और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के निर्देशों के अनुसार पूरा देश एमएस और एचएसडी के लिए बीएस–VI गुणवत्ता विनिर्देशों की ओर आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना में नई ईकाइयों की स्थापना और अतिरिक्त सुविधाएं शामिल थी। मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस कार्य के लिए इंजीनियरिंग, प्रापण और प्रबंधन सलाहकार है। उपचार यूनिट–एफजीटीयू को 11.07.2021 को चालू किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 25 टीएमटी/प्रतिमाह अधिक बीएस–VI एमएस प्राप्त हुआ। शेष दो ईकाइयां–नाइट्रोजन संयंत्र और एसआरयू–7 को क्रमशः 16.03.2022 और 28.03.2022 को चालू किया गया।

सल्फर रिकवरी इकाई

समुद्री जल विलवणन संयंत्र

गर्म और कमजोर मानसून के दौरान रिफाइनरी के निरन्तर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और नेथारवती नदी के ताजे पानी का एकमात्र स्रोत होने के जोखिम को समाप्त करने के लिए 30एमएलडी क्षमता (70 एमएलडी तक मापीय) का विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र सागर के तट पर मैंगलौर के थन्निरभवी में न्यू मैंगलौर पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ली गई जमीन पर स्थापित किया गया है। मैसर्स फिचरनर इंडिया परियोजना प्रबंधन सलाहकार और मैसर्स वीए टैक वाबैग लिमिटेड एलएसटीके ठेकेदार था। संयंत्र को 30.12.2021 को चालू किया गया था और यह डिजाइन किए गए लोड पर लगातार काम कर रहा है जबकि रिसाव (अलवणीकृत पानी) आवश्यक विनिर्देशों के अनुसार काम कर रहा है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 142.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है जिसमें से 87.00 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2019–20 में तथा शेष 55.25 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2021–22 में प्रदान किया गया।

6.4. गेल गैस लिमिटेड

गेल गैस लिमिटेड, एक अग्रणी सिटी गैस वितरण कंपनी है, जो देश भर के विभिन्न शहरों में केंद्रित तरीके से सिटी गैस वितरण व्यवसाय में तेजी लाने के लिए प्रयासरत है। गेल गैस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है और इसे मई 2008 में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया था। गेल गैस लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक लिमिटेड कंपनी है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने गेल गैस को देवास, रायसेन–शाजापुर–सीहोर जिले (मध्यप्रदेश), सोनीपत (हरियाणा), मेरठ, ताज ट्रेपेजियम जोन, मिर्जापुर–चंदौली–सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिले और दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), देहरादून जिला (उत्तराखंड), पुरी–गंजम–नयागढ़ जिला और सुंदरगढ़–झारसुगुड़ा जिला (ओडिशा), गिरिडीह–धनबाद जिला, सरायकेला–खरसावां जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला (झारखंड); गजपति,कंधमाल, बौध और सोनपुर जिला (ओडिशा); कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला (छत्तीसगढ़) में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया है।

इसके अलावा, गेल गैस अपने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बड़ोदरा (गुजरात), हरिद्वार (उत्तराखंड), उत्तरी गोवा और असम में सिटी गैस कारोबार कर रही है। यह विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए पाइपलाइन कॉरिडोर के साथ विभिन्न औद्योगिक समूहों की पहचान भी कर रहा है।

गेल गैस लिमिटेड को कर्नाटक के बैंगलुरु ग्रामीण और शहरी जिलों के अधिकृत क्षेत्र में 18.02.2021 से 25 वर्षों के लिए सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत किया गया है। सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए अधिकृत क्षेत्र 4395 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। ओआईडीबी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मैसर्स गेल गैस लिमिटेड को उनकी सिटी गैस वितरण परियोजना के लिए 204.43 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वितरित की है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान गेल गैस द्वारा ऋण का कोई वितरण प्राप्त नहीं किया गया।

इंच किमी में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन	घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या
1582.20	131156

विशिष्टता के पहले पांच वर्षों के दौरान नियमनों के अनुसार पूरा किया जाने वाला न्यूनतम कार्य कार्यक्रम नीचे दिया गया है।

गेल गैस लिमिटेड ने नियत तारीख के अंदर अपने 5 साल के एमडब्ल्यूपी इंच किमी के साथ घरेलू पीएनजी कनेक्शन हासिल कर लिए हैं। वर्षवार उपलब्धि इस प्रकार है।

लक्ष्य (पीएनजीआरबी के एमडब्ल्यूपी के अनुसार)	वर्ष 1 (15-16)	वर्ष 2 (16-17)	वर्ष 3 (17-18)	वर्ष 4 (18-19)	वर्ष 5 (19-20)	31.7.22 की स्थिति के अनुसार वास्तविक उपलब्धि
इंच किमी में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन (संचयी)	316	791	1266	1424	1583	
वास्तविक उपलब्धि (इंच किमी) संचयी	347	1358	2568.12	3377.8	3816.06	5093
पीएनजी घरेलू कनेक्शन (संचयी)	0	19,673	65,578	91,809	1,31,156	
वास्तविक उपलब्धि (घरेलू पीएनजी कनेक्शन) संचयी	1004	20595	50548	97,299	150702	2,33,346
जीजीएल बैंगलुरु द्वारा नियत तारीख के अंदर पांच साल का एमडब्ल्यू पहले ही हासिल कर लिया गया है।						

6.5 ब्रहमपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड

असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी), ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) की ऐतिहासिक असम समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे लेपेटकटा, जिला डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया। इस परियोजना में एक क्रैकर इकाई, डाउनस्ट्रीम पॉलिमर इकाई, एकीकृत ऑफसाइट और उपयोगिता संयंत्र सम्मिलित हैं। परिसर में प्राकृतिक गैस और नेफ्था फीड स्टॉक के साथ 220,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) पॉलीएथिलीन तथा 60,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) की पॉलीप्रापलीन तथा अन्य उत्पादों की क्षमता है। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली पेट्रोरसायन परिसर परियोजना है, जिसमें भारत सरकार की पूंजीगत सहायता, गेल, ओआईएल, एन.आर.एल. और असम सरकार की इक्विटी तथा ओआईडीबी और एसबीआई की ऋण सहायता शामिल है।

संयंत्र को 02.01.2016 से चालू किया गया था और उसे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 05.02.2016 को लेपेटकाटा में एक भव्य समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस परियोजना को 9,965 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया गया।

संयंत्र, 4 वर्षों से ज्यादा समय से 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रहा है। बीसीपीएल ने नेफ्था, ब्यूटेन–1 और प्रोपलीन की खरीद के लिए विभिन्न वैकल्पिक उपायों के माध्यम से क्षमता उपयोग को प्रभावित करने वाले फीडस्टॉक आपूर्ति से संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया है और संयंत्र के स्थिर और निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने में सफल रहा है।

स्थिरीकरण अवधि के दौरान शुरूआती घाटे के बाद, बीसीपीएल वित्त वर्ष 2018–19 से मुनाफा कमा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बीसीपीएल ने रुपये 3243 करोड़ रुपये के राजस्व से 691 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 31.03.2022 को कंपनी की कुल संपत्ति रुपये 3281 करोड़ है।

यह परियोजना उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा पेट्रोरसायन परिसर है और बीसीपीएल के कारण एनईआर में पॉलिमर की खपत में काफी वृद्धि हुई है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि देशों के साथ भौगोलिक निकटता के मामले में संयंत्र का संभावित रूप से एक प्रमुख स्थान है और पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश को पॉलिमर निर्यात कर रहा है। संयंत्र में 628 स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 2600 जनशक्ति अनुबंध के तहत पेट्रोरसायन परिसर के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में विक्रेताओं, ट्रांसपोर्टरों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए है। कुल मिलाकर, इस परिष्कृत संयंत्र के आसपास एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा, डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाईयों से एनईआर में महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय सृजन शामिल होगा। बीसीपीएल ने न केवल रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं बल्कि संयंत्र के अंदर काम कर रहे स्थानीय लोगों के कौशल विकास में भी योगदान दिया है ।

31.03.2022 तक, ओआईडीबी ने 1853.76 (बकाया 109.24 करोड़ रुपये) का ऋण जारी किया है और यह परियोजना का एक प्रमुख हितधारक है। ओआईडीबी ने चालू ब्यूटेन–1 और एचपीजी (द्वितीय चरण) संयंत्रों के लिए अलग से 251.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। बीसीपीएल परियोजना की आवश्यकतानुसार स्वीकृति ऋण को लेगी।

बीसीपीएल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, लेपेटकाटा, असम का रात्रि दृश्य

6.6 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम वाली महारत्न कंपनी है एवं दो प्रमुख रिफाइनरियों का स्वामित्व और संचालन करती है। जो अनेक प्रकार के पेट्रोलियम ईंधनों और विविध विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन करती है। एक रिफाइनरी मुंबई (वेस्ट कोस्ट) में है जिसकी उत्पादन क्षमता 9.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है तथा दूसरी रिफाइनरी विशाखापट्टनम (पूर्वी तट) में है जिसकी उत्पादन क्षमता 8.3 एमएमटीपीए है। कंपनी के पास मुंबई रिफाइनरी में 428 टीएमटी की क्षमता वाली अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ल्यूब बेस ऑयल का उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी ल्यूब रिफाइनरी का स्वामित्व है और उसका संचालन भी करती है।

ऊर्जा परिवर्तन और पूर्ण शून्य उत्सर्जन के प्रति प्रतिबद्धता के वर्तमान रुझान को देखते हुए, एचपीसीएल ने हरित हाइड्रोजन नीति का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं। एचपीसीएल विशाख रिफाइनरी में 370 टीपीए हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित कर रहा है, जिसके जनवरी 2023 तक आरंभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा, हाइड्रोजन मिशन नीति के अनुपालन के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी) और मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी) के आंशिक वित्तपोषण कार्यान्वयन के लिए 2900 करोड़ रुपए की ऋण सहायता को मंजूरी दी गई है। वर्ष के दौरान, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2022 तक 100 करोड़ रुपये की शेष राशि को छोड़कर, ओआईडीबी ऋण के एक बड़े भाग का भुगतान कर दिया है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से एचपीसीएल की कुल रिफाइनरिंग क्षमता बढ़कर 24.5 एमएमटीपीए हो जाएगी। परियोजना के भाग के रूप में, दोनों रिफाइनरियों ने बीएस–VI ईंधन विनिर्देशों को पूरा करने के लिए एमएस/एचएसडी उपचार/उन्नयन सुविधाओं को उन्नत किया है। इसके परिणामस्वरूप एमएस और एचएसडी में सल्फर की मात्रा 50 से 10 पीपीएमडब्ल्यू तक 80 प्रतिशत कम हो गई है, जिससे बाजार में अल्ट्रा–लो सल्फर स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा, विशाख रिफाइनरी कम मूल्य की ईंधन ऑयल स्ट्रीम के उन्नयन के लिए अवशिष्ट उन्नयन सुविधा और एक हाइड्रोक्रैकर यूनिट को लगा रही है।

परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी)

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी), नई अवशेष उन्नयन सुविधा (आरयूएफ), नई हाइड्रोक्रैकर यूनिट (एचसीयू) और नई आइसोमेराइजेशन यूनिट और संबंधित सुविधाओं के साथ 9.0 एमएमटीपीए क्षमता की एक नई क्रूड यूनिट लगाने पर विचार कर रही है।

मौजूदा एमएस उपचार/उन्नयन और एचएसडी उपचार सुविधाओं को सफलतापूर्वक पूरा करके चालू कर दिया गया है। इन यूनिटों ने वर्तमान रिफाइनरी क्षमता तक बीएस–VI एमएस और एचएसडी उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया है।

विशाख रिफाइनरी में स्थापित की जा रही अवशिष्ट उन्नयन सुविधा रिफाइनरी को शून्य ईंधन तेल रिफाइनरी बनने में सक्षम करेगी, अधिशेष कम मूल्य वाले उच्च सल्फर ईंधन तेल घटकों को उच्च मूल्य वाले डिस्टिलेट में उन्नत करेगी। एलसी मैक्स रिएक्टर साइट पर पहुंच गए हैं और उन्हें स्थापित कर दिया गया है। पूर्ण रूपांतरित हाइड्रोक्रैकर (एफसीएचसीयू), जो वीजीओ को हल्के और मध्यम डिस्टिलेट में परिवर्तित करता है, बीएस–VI गुणवत्ता वाले डीजल और उपचारित गुणवत्ता के अन्य सभी उत्पादों का उत्पादन करने में भी सक्षम है। वीआरएमपी में विभिन्न पर्यावरणीय सुविधाओं जैसे कि सॉर वाटर स्ट्रिपिंग यूनिटों (एसडब्ल्यूएसयू), एमाइन रीजेनरेशन यूनिटों (एआरयू), सल्फर रिकवरी यूनिटों (एसआरयू), फ्यूल गैस एमाइन उपचार यूनिटों (एफजीएटीयू), एकीकृत बहिस्राव उपचार संयंत्र (आईईटीपी), आदि पर भी ध्यान दिया गया है।

उपर्युक्त पर्यावरण प्रौद्योगिकियां यह सुनिश्चित करती हैं कि नई यूनिटों को जोड़ने के बाद भी रिफाइनरी अपने SO_2 उत्सर्जन को 11.5 टीपीडी की उसकी वर्तमान सीमा से आगे नहीं बढ़े।

एफसीएचसीयू चरण–I और चरण–II रिएक्टर

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी)

एमआरईपी परियोजना द्वारा मौजूदा क्रूड यूनिट की क्षमता को 4.0 से 6.0 एमएमटीपीए तक बढ़ाने के लिए सुधार करना है। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिटों का एकीकरण भी किया जाता है। परियोजना के भाग के रूप में, बीएस–VI एमएस और एचएसडी का उत्पादन करने के लिए एमएस उपचार/उन्नयन और एचएसडी उपचार सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

परियोजना पूरी हो चुकी है और चालू हो गई है। इसे हाल ही में मुंबई रिफाइनरी में एक भव्य समारोह में माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। रिफाइनरी की क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता अब 7.5 से बढ़कर 9.5 एमएमटीपीए हो गई है।

हाइड्रोजन आवश्यकता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक नई हाइड्रोजन उत्पादन यूनिट लगाई गई है। यूनिट को चालू और स्थिर कर दिया गया है। 12.6 टीपीडी के मौजूदा मानदंडों के भीतर SO_2 उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना की प्रमुख उत्पादन यूनिट

6.7 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल), भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक उद्यमों में से सार्वजनिक क्षेत्र, की एक महारत्न कंपनी है, और देश के प्रमुख एकीकृत और विविध ऊर्जा स्रोतों के लगभग सभी क्षेत्रों तेल, गैस, पेट्रो–रसायन, वैकल्पिक ऊर्जा में कार्यरत है।

फॉच्यूर्न की ग्लोबल 500 की सूची में इंडियन ऑयल को दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट्स के बीच सूचीबद्ध किया गया है, वर्ष 2022 के लिए प्रकाशित फॉच्यूर्न की ग्लोबल 500 की सूची के अनुसार, इंडियन ऑयल, विश्व की 142वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक निगम है। इंडियन ऑयल को ब्रांड फाइनेंस, यूके द्वारा 2019 में भारत के शीर्ष 10 सबसे मजबूत ब्रांडों में भी स्थान दिया गया है।

इंडियन ऑयल के पास भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। भारत की 23 रिफाइनरियों में से 11 के संचालन द्वारा 80.60 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संयुक्त शोधन क्षमता के साथ इंडियन ऑयल की घरेलू रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 32 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इंडियन ऑयल की भारत में डाउन स्ट्रीम कंपनियों के बीच पाइपलाइन नेटवर्क क्रूड और उत्पादों की पाइपलाइन क्षमता 15000 किलो मीटर से अधिक (लंबाई के हिसाब से) है जो देश की कुल पाइपलाइन का लगभग ~58 प्रतिशत है। देश भर

में 58,000 से अधिक मार्केटिंग और वितरण स्पर्श–बिंदुओं के अपने नेटवर्क के साथ, इंडियन ऑयल का देश में पीओएल उत्पादों की लगभग ~42 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। इंडियन ऑयल पेट्रोरसायन का ~3.2 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता के साथ सबसे बड़ा घरेलू उत्पादक है।

इंडियन ऑयल सीएनजी, एलएनजी, एच–सीएनजी, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और ई–मोबिलिटी, जिन्हें राष्ट्र की उभरती ऊर्जा जरूरतों के रूप में माना जाता है के आसपास बड़े पैमाने पर वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों को भी विकसित कर रहा है। कंपनी हाइड्रोजन के सभी पहलुओं, जिसमें उत्पादन, भंडारण और ईंधन सेल जैसे अनुप्रयोग शामिल हैं पर अनुसंधान कर रही है। सबसे पहले मथुरा और पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरियों में दो हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इंडियन ऑयल देश में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साझेदारियां भी बना रहा है। इंडियन ऑयल "इंडोग्रीन" ब्रांड नाम के तहत सीबीजी मार्केटिंग शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। कंपनी ने देशभर में इंडियन ऑयल ईंधन स्टेशनों पर 2000 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का मील का पत्थर हासिल किया है और अगले कुछ वर्षों में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। पिछले चार वर्ष के दौरान इंडियन ऑयल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता में सीएसआर प्रयासों पर लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

ओआईडीबी ने मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को बोंगाईगाँव रिफाइनरी में इंडमैक्स परियोजना को वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान 587 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। आईओसीएल ने 31 अगस्त 2021 को ओआईडीबी के सर्म्पूण ऋण 587 करोड़ रुपये का पुर्नभुगतान कर दिया है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

इंडमेक्स (इण्डेन अधिकतम) इंडियन ऑयल की फ्लैगशिप तकनीक है, जिसे दुनिया भर में मैसर्स लूमस द्वारा लाइसेंस दिया गया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है–

1. काले तेल का उन्नयन करके रिफाइनरी की डिस्टिलेट यील्ड में सुधार करना।
2 काले तेल का उत्पादन शून्य होगा और आरपीसी उत्पादन में 70 टीएमटीपीए की कम हो जाएगी।
3 एलपीजी और एमएस उत्पादन में क्रमशः 200 और 320 टीएमटीपीए की वृद्धि करना। एमएस उत्पादन का बीएस–VI विनिर्देशन को पूरा करेगा।

परियोजना में दो लाइसेंस प्राप्त इकाइयां हैं:

1 इंडमैक्स एफसीसी इकाई : कम मूल्य के घटकों को संसाधित करगैसोलीन और एलपीजी जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन
2 आईजीएचडीएस इकाई : इंडमैक्स गैसोलीन से सल्फर निकालने के लिए:

परियोजना के तहत भंडारण और उपयोगिताओं सहित संबद्ध ऑफसाइट सुविधाओं की भी परिकल्पना की गई है।

रिफाइनरी की लाभप्रदता के अतिरिक्त बोंगईगांव में इंडमेक्स परियोजना हाइड्रोकार्बन विजन 2030 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए आरंभ किया गया है, इसका उद्देश्य 2030 तक तेल और गैस उत्पादन को दोगुना करना है, ताकि देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में हाइड्रोकार्बन हब के रूप में पूर्वोत्तर भारत को सबसे आगे स्थापित किया जा सके।

दोनों इकाइयों को 31.07.2022 तक चालू कर दिया गया है।

1 इंडमैक्स एफसीसी इकाई को 7 नवंबर 2020 को चालू किया गया था।
2 आईजीएचडीएस इकाई को 5 दिसंबर 2020 को चालू किया गया था।
3 ऑफसाइट उपयोगिताओं को निम्न चरणबद्ध रूप से चालू किया गया है।
   क. ऑफसाइट पाइपिंग और सुविधा तथा कूलिंग टावर 26 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था।

ख एलपीजी लोडिंग गैन्ट्री को 20 फरवरी 2021 को चालू किया गया था।

ग एलपीजी माउंडेट बुलेट को 7 सितम्बर 2021 को चालू किया गया था।

घ. ईपीटी ईकाई को यांत्रिक रूप से 30 जुलाई 2022 को पूरा कर लिया गया, अभी प्री–कमीशनिंग की प्रक्रिया में है और सितम्बर 2022 में चालू होने की संभावना है।

4 परियोजना की कुल प्रगति 99.95 प्रतिशत है।

5 2246.07 करोड़ रुपये की परियोजना प्रतिबद्धता की तुलना में अब तक 2246.07 करोड़ रुपये व्यय किए गए। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 2582 करोड़ रुपये है।

यूटिलिटि्स एवं ऑफसाइट– आईओसीएल की इंडमैक्स परियोजना

अध्याय 03

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1. अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड अनुदान के रूप में तेल क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। इन अनुदानों में पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों जैसे कि – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), को अनुदान शामिल है।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है। साथ ही तेउविबो ने विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की शिवसागर, असम और जायस, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम) धनबाद में फोम असिस्टेड ऑयल वाटर नैनो–इमल्शन फॉर एन्हांस ऑयल रिकवरी प्रायोगिक और आणविक गतिशीलता अध्ययन – तथा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुसंधान एवं विकास परियोजना '' पानीपत में रिफाइनरी में रिफाइनरी ऑफ गैसों का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन संयंत्र के लिए अनुदान दिया है।

3. अपनी स्थापना के वर्ष 1975–76 से 31.3.2022 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 4982.52 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 371.75 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 308.01 करोड़ रूपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

4. नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

संस्थान	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
डीजीएच	189.50	238.99	192.91	176.84	210.35	1008.59
पीसीआरए	43.88	60.95	67.30	60.00	38.05	270.18
पीपीएसी	21.34	23.96	22.61	22.05	23.47	113.43
ओआईएसडी	16.39	25.98	21.65	22.88	19.85	106.75
सीएचटी	32.12	20.58	18.08	15.25	16.29	102.32
कुल	**303.23**	**370.46**	**322.55**	**297.02**	**308.01**	**1601.27**

5.1. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

भारत सरकार ने अप्रैल 1993 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अपस्ट्रीम गतिविधियों को विनियमित और देखरेख करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना की। डीजीएच को खोजे गए छोटे क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों, निवेश को बढ़ावा देने और विभिन्न ईएंडपी गतिविधियों के लिए पीएससी (उत्पादन साझाकरण अनुबंध) की निगरानी का कार्य भी साथ में सौंपा गया है। डीजीएच नए/अस्पष्टीकृत क्षेत्रों को खोलने और गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों की खोज और विकास में भी लगा हुआ है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, ओआईडीबी ने डीजीएच को 210.65 करोड़ रुपये का अनुदान दिया। वर्ष 2021–22 के दौरान डीजीएच की निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां रही।

5.1.1. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी)/ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी)

भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को 30 मार्च 2016 को अधिसूचित किया और इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2017 को ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी) की अधिसूचना के साथ लागू किया गया। ओएएलपी बोली दौर के छह दौरों में अब तक 1,91,925 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए 126 अन्वेषण ब्लॉकों को सफल बोलीदाताओं को प्रदान किया गया।

5.1.2. खोजों का मुद्रीकरण

पीएससी (उत्पादन साझाकरण अनुबंध) और आरएससी (राजस्व साझाकरण अनुबंध) दोनों व्यवस्थाओं में, कुल 256 खोजें (पूर्व एनईएलपी में 70, प्री–एनईएलपी क्षेत्र दौर में 9, एनईएलपी में 174 और ओएएलपी में 3) की गई हैं। 256 में से, कुल 81 में उत्पादन शुरू है। जबकि 44 अभी विकासशील अवस्था में हैं या उत्पादन करने की प्रक्रिया में हैं। 81 खोजों को परिचालक (ऑपरेटर्स) द्वारा त्याग कर दिया है/किया जा रहा है जबकि शेष 50 खोजें मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

5.1.3. अनुबंधों (पीएससी, आरएससी एवं सीबीएम अनुबंध) की निगरानी

डीजीएच भारत सरकार की ओर से पीएससी , आरएससी एवं सीबीएम अनुबंध के अनुबंधों की निगरानी और प्रबंधन का कार्य उनके उत्पादन प्रदर्शन की गहन समीक्षा और वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा भंडार और उत्पादन प्रोफाइल के मूल्यांकन, विकास योजना और अनुमोदन, बजट आदि के माध्यम से करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान इन ब्लॉकों/फील्ड्स (पीएससी और आरएससी) से तेल और गैस का उत्पादन क्रमशः 7.3 एमएमटी और 9.8 बीसीएम था।

5.1.4. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी)

सरकार ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी) भारत के सभी तलछटी बेसिनों के गैर–मूल्यांकित क्षेत्रों, जहां कोई डेटा उपलब्ध नहीं था, के मूल्यांकन के लिए तैयार किया। इस कार्यक्रम के तहत, 48,243 लाइन किलोमीटर के कुल लक्ष्य में से ~46,960 लाइन किलोमीटर डेटा प्राप्त किया जा चुका है जो कि लक्ष्य का लगभग 97 प्रतिशत है।

5.1.5. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर)

राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) की स्थापना सरकार द्वारा 28 जून 2017 को ईएंडपी डेटा की विशाल मात्रा को आत्मसात करने, संरक्षित रखने और देखभाल करने के लिए की गई थी। अन्वेषण व उत्पादन (ईएंडपी) कंपनियां दुनिया में कहीं से भी भू–वैज्ञानिक डेटा देख सकती हैं और ओएएलपी के तहत बोली लगाने से पहले ब्लॉकों की संभावनाओं के बारे में अपनी राय बना सकती हैं। एनडीआर में वर्तमान में उपलब्ध ई एंड पी डेटा का विवरण इस प्रकार है:

- 2डी भूकंपीय डेटा : 3.049 मिलियन एलकेएम
- 3डी भूकंपीय डेटा : 0.987 मिलियन एसकेएम
- कूप एंड लॉग डेटा की संख्या : 21531
- कूप रिपोर्ट्स की संख्या : 43903
- पंजीकृत कंपनियों की संख्या : 325
- पंजीकृत उपयोगकर्ता : 1107

5.1.6. कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

भारत में सीबीएम के अन्वेषण और दोहन की काफी संभावनाएं हैं। देश में अनुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 92 टीसीएफ (ट्रिलियन क्यूबिक फीट या 2600 बीसीएम) हैं, जो लगभग 1.048 टीसीएफ (296.9 बीसीएम) के इन–प्लेस सीबीएम रिजर्व के साथ 11 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत सरकार ने 1997 में सीबीएम नीति तैयार की, जिसके तहत सीबीएम बोली के पूर्ण हुए चार दौरों में 16,598 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले 33 सीबीएम ब्लॉकों को दिया गया है। देश में सीबीएम उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सीबीएम के शुरुआती मुद्रीकरण के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की थी। सीबीएम उत्पादन को बढ़ाने के अपने प्रयास में, 8500 एसकेएम के क्षेत्र को कवर करने वाले 15 ब्लॉकों की पेशकश करते हुए विशेष सीबीएम बिड राउंड–2021 (एससीबीएम–2021) शुरू किया जा रहा है।

5.1.7. खोजे गए छोटे क्षेत्र (डीएसएफ) नीति

भारत सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को सरकारी संकल्प के माध्यम से नामांकन और पीएससी व्यवस्थाओं की गैर–मुद्रीकृत/त्यागी गई खोजों के मुद्रीकरण के लिए डीएसएफ (खोजे गए लघु क्षेत्र) नीति पारित की। डीएसएफ नीति ने राजस्व साझाकरण मॉडल को अपनाया जो भारतीय ईएंडपी क्षेत्र में "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

डीएसएफ के तहत, कुल दो बिडिंग राउंड पूरे किए गए हैं। पहले बोली दौर में, 27 मार्च 2017 को खोजे गए 43 छोटे क्षेत्रों/खोजों के लिए लगभग 30 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरे बोली दौर में, 58 अनुबंध क्षेत्रों/खोजों के लिए 24 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत सरकार ने जून–2021 में डीसीएफ बिड राउंड–III लॉन्च किया। डीएसएफ बिड राउंड–III के तहत, संभावित बोलीदाताओं को 230 एमएमटी की अनुमानित उपलब्ध हाइड्रोकार्बन मात्रा वाले 9 बेसिनों में फैले 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के 75 खोजों वाले 32 अनुबंध क्षेत्रों की पेशकश की जा रही है।

5.1.8 अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ईसी)

वर्ष 2021–22 के दौरान, डीजीएच ने 20,140 करोड़ रुपये के सीआईएफ मूल्य वाले सामानों के आयात के लिए कुल 8011 अनिवार्यता प्रमाण पत्र और 5,716 करोड़ रुपये के सीआईएफ मूल्य वाले सामानों की स्वदेशी आपूर्ति के लिए 6270 अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किए।

5.1.9. तेल और गैस के लिए उन्नत पुनर्प्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचा

हाइड्रोकार्बन की समग्र वसूली को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से बढ़ी हुई वसूली (ईआर)/बेहतर वसूली (आईआर)/अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्पादन विधियों/तकनीकों को अपनाने में बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। इस नीति से नई, नवोन्मेषी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने और मौजूदा क्षेत्रों की पूर्ण वसूली को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सहयोग की संभावनाएं हैं। इस योजना के तहत कुल 216 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके तहत स्क्रीनिंग के लिए कुल 39 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 19 पर सहमति बन गई है। बेचराजी (ओएनजीसी नामांकित) फील्ड में ईआर अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

5.1.10. डिजिटल पहल के तहत सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का कार्यान्वयन

डीजीएच ने परेशानी मुक्त संचालन और पारदर्शी अनुबंध प्रबंधन के लिए ऑपरेटरों की सहायता के लिए कई एप्लिकेशन और सिस्टम (नीचे सारणीबद्ध) पेश किए हैं।

प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (पीएससीएमएस)	डीसीएफ ऑपरेटर पोर्टल
पीएससी स्व–प्रमाणन साइट	साइट बहाली निधि प्रबंधन पोर्टल
पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लीज/पेट्रोलियम माइनिंग लीज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम	ई–बिडिंग पोर्टल
प्रोडक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (पीडीएमएस)	ओएएलपी के लिए ईओआई सबमिशन पोर्टल
राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)	प्रवासी निकासी प्रणाली
लेखा प्रबंधन प्रणाली	पोत निकासी पोर्टल
गैर–कर प्रेषण प्रबंधन प्रणाली	

5.1.11. मंजूरी/अनुमोदन की सुविधा और बेहतर समन्वय के लिए पहल

डीजीएच ने विभिन्न ईएंडपी हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाकर निकासी/अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार के लिए विभिन्न पहल की हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं:

- हाइड्रोकार्बन क्लीयरेंस सेल (एचसीसी)
- ऊर्जा प्रगति पोर्टल
- उत्तर–पूर्व समन्वय समिति (एनईसीसी)
- अपस्ट्रीम इंडिया पोर्टल

5.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पंजीकृत सोसायटी है, यह एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यरत है। यह सरकार को पेट्रोलियम संरक्षण की नीतियां एवं रणनीतियां प्रस्तावित करने में सहायता करता है, जिसका उद्देश्य तेल आयात पर हमारी अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। यह ईंधन कुशल यंत्रो और उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को वित्तपोषण प्रदान करता है और ईंधन कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रयासों का समर्थन करता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग के अलावा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और My Gov प्लेटफॉर्म का उपयोग ईंधन संरक्षण पहलू पर जनता को शिक्षित और प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। ईंधन बचत और ईंधन दक्षता पर सुझाव और पीसीआरए की संरक्षण गतिविधियों पर अद्यतन पीसीआरए के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं। जनता को शामिल करके समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और अभियान आयोजित किए जाते हैं। पीसीआरए द्वारा विभिन्न भाषाओं में विकसित कई फिल्में, टीवी स्पॉट और रेडियो जिंगल तेल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान ओआईडीबी द्वारा पीसीआरए को प्रशासनिक व्यय सहित अपनी गतिविधियों के निष्पादन हेतु 38.05 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

5.2.1. **क्षेत्रीय गतिविधियां:** पीसीआरए के पास विभिन्न क्षेत्रों जैसे घरेलू, औद्योगिक, परिवहन और कृषि में ईंधन के संरक्षण को प्रचारित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय गतिविधियों का एक परिभाषित समुच्चय है। विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है:

औद्योगिक क्षेत्र:

इस क्षेत्र में बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर पीसीआरए की पहल केंद्रित है। ऊर्जा सक्षमता एवं जागरूकता हेतु प्रशिक्षण और कार्यशाला भी आयोजित किए जाते हैं ।

इस क्षेत्र में निम्न गतिविधियां शामिल हैं

ऊर्जा लेखा परीक्षा

- विभिन्न उद्योगों की ऊर्जा लेखा परीक्षा
- पिछले वर्ष में आयोजित ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा।
- लघु उद्योगों में अध्ययन

पैट लेखा परीक्षा

पीसीआरए पैट (परफॉर्म अचीव ट्रेड) कार्यक्रम के तहत अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा (एमईए) एवं निगरानी और सत्यापन लेखा परीक्षा (एमएंडवी) आयोजित करता है। पैट चक्र–VI के तहत, पीसीआरए को 15 पीएसयू रिफाइनरियों के अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा (एमईए) करने के आदेश प्राप्त हुए थे। पीसीआरए ने सभी 15 रिफाइनरियों के क्षेत्रों का दौरा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 4,86,166.31 टीओई की कुल बचत की पहचान के साथ 15 रिफाइनरियों के लिए फॉर्म –2 पहले ही जमा किया जा चुका है।

विभिन्न रिफाइनरियों में पैट चक्र –VI के तहत एमईए का चित्र

- ✓ पीसीआरए ने फरवरी 2022 में 1899.3 टीओई की बचत की पहचान के साथ जेएसडब्ल्यू सीमेंट, सालबोनी, पश्चिम बंगाल के लिए सीमेंट क्षेत्र में अपनी पहली पैट लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
- ✓ **एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता सूचकांक (ईईआई):**

  पीसीआरए ने 2020–21 के लिए ऊर्जा खपत के आंकड़ों के आधार पर एलपीजी संयंत्रों की अनुक्रमणिका विकसित की है और एलपीजी संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता संचालन के लिए सहकर्मियों के मध्य एक तुलनात्मक ऊर्जा दक्षता सूचकांक भी विकसित किया है।
- ✓ आईएसओ 50001– 2018 के लिए परामर्श
- ✓ प्रशिक्षण और कार्यशाला कार्यक्रम
  - ➢ औद्योगिक इकाइयां
  - ➢ संस्थान (जैसे पॉलिटेक्निक, तकनीकी कॉलेज और उद्योग निकाय आदि)।
  - ➢ संगोष्ठी / तकनीकी व्याख्यान / उपभोक्ता सम्मेलन में भागीदारी।

परिवहन क्षेत्र:

इस क्षेत्र में पीसीआरए की गतिविधियों निम्न प्रकार हैं

एसटीयू (राज्य परिवहन उपक्रम) और अन्य के लिए चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीटीपी)–

पीसीआरए परिवहन क्षेत्र में ईंधन दक्षता को बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए एसटीयू, सेना, वायु सेना, अर्ध सैन्य बलों, तेल कंपनियों और निजी फ्लीट संचालिकों के चालकों के लिए चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उन्हें अच्छी ड्राइविंग आदतों और रखरखाव के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके।

ईंधन दक्षता सुधार कार्यक्रम (एफईआईपी)–

पीसीआरए का ईंधन दक्षता सुधार कार्यक्रम के माध्यम से हल्का प्रदर्शन करने वाले चालकों के प्रशिक्षण के साथ–साथ कम प्रदर्शन करने वाली बसों के रखरखाव और उनके प्रदर्शन की निगरानी करके बस डिपो की ईंधन दक्षता बढ़ाने का एक नया प्रयास है। कम प्रदर्शन करने वाले चालकों को निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है, और उसके बाद, उन्हें दो सप्ताह के अनुवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन किया जाता है।

कम प्रदर्शन करने वाली बसों को टियर–I रखरखाव प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है और 15 दिनों के बाद उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। यदि उनका केएमपीएल सुधार 3 प्रतिशत से कम है, तो उन्हें बाद में टियर–II रखरखाव प्रोटोकॉल के अधीन किया जाता है और 15 दिनों के बाद उनके प्रदर्शन का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक डिपो के लिए, उपरोक्त अभ्यास बसों और चालकों के विभिन्न सेटों के लिए तीन राउंड (टियर–I, II,III) में दोहराया जाता है, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत कम प्रदर्शन करने वाले चालक और 30 प्रतिशत कम प्रदर्शन करने वाली बसें शामिल होती हैं।

एसटीयू पुरस्कार योजना – एसटीयू पुरस्कार योजना राज्य स्तर पर प्रत्येक एसटीयू में सर्वश्रेष्ठ डिपो और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ एसटीयू को वार्षिक ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान करके ईंधन बचत के लिए एसटीयू के चालकों, रखरखाव कर्मचारियों और अन्य डिपो कर्मियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए शुरू की गई थी। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर 6 एसटीयू और 81 डिपो को विजेता (82 लाख के कुल नकद पुरस्कार के साथ) घोषित किया गया।

शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन

पीसीआरए ने भारत में परिवहन और माल ढुलाई के क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग को कम करने और भारत में सड़क मार्ग द्वारा परिवहन व माल ढुलाई की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्वच्छ ढुलाई कार्यक्रम और अन्य ईंधन दक्षता उपायों के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए फरवरी 2022 में मैसर्स शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

गतिविधियों के दायरे में अनुसंधान, हितधारकों का क्षमता निर्माण, दिशानिर्देश, उपकरण और रूपरेखा विकसित करना तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों के सफल डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए तकनीकी एवं विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करना शामिल होगा।

पीसीआरए और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के बीच आपसी परामर्श और समझौते के साथ सभी गतिविधियों को विकसित किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र:

कृषि क्षेत्र में पीसीआरए की पहलों का उद्देश्य किसानों को कृषि मशीनरी में ईंधन संरक्षण के लिए सर्वोत्तम तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। इस संबंध में, पीसीआरए विभिन्न माध्यमों से व्यापक कृषक समुदाय तक पहुंचता है जैसे

क). कृषि कार्यशालाएं

ख). कृषि प्रदर्शनियों, किसान मेलों में भागीदारी

ग). किसानों को ईंधन संरक्षण उपायों के प्रसार के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और किसान विकास केंद्रों के साथ सहयोग

पीसीआरए ने तीन कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से कृषि क्षेत्रों पर 3 वेबिनार आयोजित किए। जिनका विवरण निम्नानुसार हैं

1. ''कृषि क्षेत्र में ईंधन संरक्षण उपाय और सहयोगी सरकारी योजनाएं'' विषय पर वेबिनार ''विस्तार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर'' के सहयोग से आयोजित किया गया था जिसमें वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, छात्रों और किसानों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
2. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), इंफाल, मणिपुर के सहयोग से ''खेती और संबंधित सरकारी योजनाओं में ईंधन और ऊर्जा संरक्षण'' विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें सीएयू के 13 कॉलेज विश्वविद्यालय परिसरों के वैज्ञानिकों के साथ–साथ उस क्षेत्र के संबन्धित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भाग लिया।
3. कृषि क्षेत्र और संबंधित सरकारी योजनाओं में ईंधन संरक्षण'' विषय पर ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी), भुवनेश्वर के सहयोग से वेबिनार आयोजित किया गया था। वेबिनार में निदेशक विस्तार डॉ पीजे मिश्रा अपनी टीम के साथ विश्वविद्यालय परिसर से एवं केवीके के 37 वैज्ञानिक शामिल हुए थे।

   कृषि कार्यशाला और किसान मेला – पीसीआरए ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1156 कृषि कार्यशालाओं और 238 किसान मेलों के माध्यम से कृषक समुदाय तक पहुंच बनाई।

श्री चंद्रशेखर साहू, माननीय सांसद लोकसभा और श्री जगन्नाथ सरका, माननीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मंत्री, ओडिशा सरकार, उत्कल कृषि मेले में पीसीआरए किसान मेला स्टॉल का उद्घाटन करते हुए

जागरूकता अभियानः

इसके तहत पीसीआरए ने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे–

- घरेलू कार्यशाला – इस कार्यशाला के अंतर्गत गृहिणियों को ईंधन कुशल खाना पकाने की आदतों, आईएसआई चिह्नित उत्पादों एवं स्टार रेटेड एलपीजी स्टोव के उपयोग में लागत लाभ के बारे में शिक्षित किया गया। घरेलू उपकरणों पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण युक्तियों के बारे में भी बताया गया।
- इको क्लबों के माध्यम से छात्रों के लिए शिक्षा अभियानः पीसीआरए ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के एक कार्यक्रम, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के तहत इको क्लबों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। ऊर्जा संरक्षण पर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को लक्षित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को देश भर में राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) के माध्यम से आयोजित किया जाता है।
- प्रदर्शनियों में भागीदारी
- संरक्षण संबन्धित मुद्रित साहित्य का वितरण – पीसीआरए द्वारा संरक्षण संबन्धित साहित्य की 8.35 लाख प्रतियां मुद्रित करके देश भर में वितरित की गईं।

5.2.2. सक्षम

अपने ईंधन संरक्षण प्रयासों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए, पीसीआरए ने पीएसयू तेल और गैस कंपनियों के साथ मिलकर ''सक्षम'' का आयोजन करता हैं, जो एक वार्षिक राष्ट्रव्यापी जन–केंद्रित जन ईंधन संरक्षण जागरूकता अभियान है। सक्षम आमतौर पर एक महीने की अवधि का होता है। सक्षम–2022 को मूल रूप से निम्नलिखित टैगलाइन के साथ 15 जनवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक नियोजित किया गया था।

हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाए

Azadi Ka Amrit Mahotsav through Green & Clean Energy

हालांकि, महामारी की तीसरी लहर के कारण, सक्षम–2022 को 11 से 30 अप्रैल 2022 तक पुनर्निर्धारित किया गया है।

5.2.3. स्कूली बच्चों के लिए सक्षम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताः

कोविड–19 महामारी के कारण सक्षम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 2020–21 का आयोजन www.pcracompetitions.org के माध्यम से ऑनलाइन किया गया था। कक्षा 7 से 10 तक के लगभग 3.37 लाख छात्रों ने 3 चरणोंः स्कूल स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर में आयोजित निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता 23 भाषाओं में आयोजित की गई थी। निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं का विवरण इस प्रकार हैः

	विजेताओं की संख्या			पुरस्कार राशि
	निबंध	चित्रकला	प्रश्नोत्तरी	
राज्य स्तर पर	888	952	434 (217 टीम)	रु. 2000/- प्रति विजेता
राष्ट्रीय स्तर पर	20	20	20 (10 टीम)	रु. 2000/- प्रति विजेता, रु. 4000/- प्रति टीम

कक्षा 7वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए 2021–22 के लिए राष्ट्रीय स्तर की निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी ऑनलाइन (पोर्टल www.pcracompetitions.org के माध्यम से) आयोजित की जा रही हैं। 31.03.2022 तक स्कूल स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई और स्कूल स्तर के विजेता राज्य स्तर पर भाग लेंगे और राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ेंगे।

5.2.4. **अनुसंधान एवं विकास**

दिनांक 26.11.2021 को आयोजित 86वीं एससीएम (स्क्रीनिंग समिति की बैठक) में चार नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना का शीर्षक	संस्था/संगठन	कुल परियोजना लागत (लाख रुपये)	पीसीआरए अंशदान (लाख रुपये)
ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के साथ घरेलू खाना पकाने के लिए नई ऊर्जा कुशल झरझरा चूल्हा (स्टोव) का विकास	आईआईटी–खड़गपुर	24.91	24.91
घरेलू और सामुदायिक खाना पकाने के अनुप्रयोगों के लिए ईंधन–लचीला चूल्हा का डिजाइन और विकास	आईआईटी–हैदराबाद	24.93	24.93
इंटीग्रेटेड स्पाउटेड बेड रोस्टर का डिजाइन और विकास	सीएसआईआर–सीएफटीआरआई, मैसूर	24.13	24.13
वाहनों के खराब होने की स्थिति में यातायात पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करना	सीएसआईआर–सीआरआरआई दिल्ली	36.00	24.00

उपरोक्त के अलावा, पीसीआरए की चल रही प्रायोजित परियोजनाएं निम्नानुसार हैं।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना का शीर्षक:	संस्था/संगठन
इनलाइन बायो–मीथेन संवर्धन और CO_2 पृथक्करण प्रणाली का डिजाइन और विकास	सीएसआईआर–सीएमईआरआई–सीओई एफएम, लुधियाना
एमएसएमई में दहन प्रणालियों के प्रदर्शन में हस्तक्षेप और सुधार	आईआईटी दिल्ली
बायोगैस एकीकृत अर्ध–पारदर्शी फोटोवोल्टिक थर्मल (एसपीवीटी) कलेक्टरों (बीआई–एसपीवीटी) आरजीआईपीटी अमेठी का प्रदर्शन मूल्यांकन	आरजीआईपीटी, अमेठी
सड़क अनुप्रयोगों के लिए एनकैप्सुलेटेड डामर–रबर फुटपाथ (ईएआरपीएवीई) उत्पादों का विकास	आईआईटी तिरुपति
बायोगैस पर काम कर रहे एक माइक्रो टर्बाइन कम्बस्टर का डिजाइन और विकास	आईआईटी जोधपुर और आईआईपी देहरादून

अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क). उच्च तापीय दक्षता वाले घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) स्टोव का प्रचार:

i) पीसीआरए के सहयोग से आईआईपी–देहरादून द्वारा उच्च तापीय दक्षता का घरेलू पीएनजी स्टोव (पीएनजी सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले एलपीजी स्टोव के लिए 40 प्रतिशत के मुकाबले 52 प्रतिशत से 56 प्रतिशत की सीमा में) विकसित किया गया है। पीसीआरए ने पूरे भारत में पीएनजी ग्राहकों के बीच 10 लाख पीएनजी स्टोव वितरित करने के लिए 16.01.2021 को ईईएसएल के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। 10,000 पीएनजी स्टोव खरीदने की प्रारंभिक निविदा मंगाई गई है। पीसीआरए निविदा को अंतिम रूप देने और योजना के शुभारंभ के लिए ईईएसएल के साथ सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।

ii) बांग्लादेश सरकार ने विकसित उच्च तापीय कुशल घरेलू पीएनजी स्टोव के लिए पीसीआरए और सीएसआईआर–आईआईपी देहरादून के नाम पर संयुक्त रूप से पेटेंट प्रदान किया है।

iii) पीसीआरए और सीएसआईआर–आईआईपी देहरादून ने संयुक्त रूप से मिस्र, नाइजीरिया और इंडोनेशिया में उपरोक्त पीएनजी स्टोव के लिए पीसीटी पेटेंट दायर किया है।

iv) उपरोक्त पीएनजी स्टोव के लिए दायर भारतीय पेटेंट की जांच की जा रही है।

ख). तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) घरेलू खाना पकाने के चूल्हे की तापीय दक्षता में सुधार

i. पीसीआरए ने अपनी अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत एलपीजी घरेलू खाना पकाने के स्टोव की तापीय दक्षता में सुधार के लिए बीपीसीएल आरएंडडी केंद्र के साथ एक परियोजना शुरू की। तदनुसार, एक नया और बेहतर एलपीजी घरेलू चूल्हा विकसित किया गया, जिसकी तापीय दक्षता 73 प्रतिशत थी, यानी न्यूनतम निर्धारित तापीय दक्षता से 5 प्रतिशत की वृद्धि।

ii. उपरोक्त आविष्कार के लिए पीसीआरए और बीपीसीएल को संयुक्त रूप से भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है।

5.2.5. नीतिगत पहलें:

क). मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम, पीसीआरए के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। एस एंड एल का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को ऊर्जा बचत के बारे में एक सूचित विकल्प और विपणन उत्पाद की लागत बचत क्षमता प्रदान करना है।

ख). ईंधन दक्षता का विकास (एफई) मानदंड

एस एंड एल और ईंधन मितव्ययता मानदंडों के तहत पहल इस प्रकार हैं

डीजल का प्रमुख उपभोक्ता परिवहन क्षेत्र है जो भारत में कुल डीजल बिक्री का 70 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है। भारी शुल्क, हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंडों को अनिवार्य करने से इस क्षेत्र में खपत होने वाले डीजल को बचाने में बहुत मदद मिलेगी।

एचडीवी के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारी शुल्क वाले वाहनों (एचडीवी) के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड विकसित करने के लिए एक स्टियरिंग कमेटी का गठन किया। पीसीआरए स्टियरिंग कमेटी का सदस्य सचिव था। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 16.08.2017 को बीएस–IV भारी शुल्क वाले वाहनों (एचडीवी) के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड अधिसूचित किए, जिसे 16.08.2018 को संशोधित किया गया। 1 जनवरी 2021 से चरण –1 मानदंडों के कार्यान्वयन की तारीख के साथ विद्युत मंत्रालय ने संशोधित अधिसूचना एस.ओ. 3215(ई) 21.09.2020 को जारी किया।

एल एंड एमसीवी के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 3.5 टन से 12 टन के सकल वजन (जीडब्ल्यू) वाले हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों (एल एंड एमसीवी) के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड विकसित करने के लिए संयुक्त सचिव (आर) की अध्यक्षता में 27.11.2017 को एक स्टियरिंग कमेटी का गठन किया। पीसीआरए स्टियरिंग कमेटी का सदस्य सचिव था।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 16.07.2019 को हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों (एल एंड एमसीवी) के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड अधिसूचित किए।

बीएस–IV अनुपालक वाहनों के लिए सुधार कारक का विकास

i. उपर्युक्त अधिसूचनाएं दिनांक 16.07.2019 (एल एंड एमसीवी के लिए) और 21.09.2020 (एचडीवी के लिए) बीएस–IV उत्सर्जन मानदंडों के लिए हैं। बीएस–IV उत्सर्जन मानदंडों पर सुधार कारक लागू करके बीएस–IV उत्सर्जन मानदंड प्राप्त किए जाने थे। तदनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बीएस–IV अनुपालन एचडीवी और एलएंडएमसीवी के लिए सुधार कारक प्राप्त करने के लिए ईडी–पीसीआरए की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया। तदनुसार, तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों (एलएंडएमसीवी) और बीएस–IV के लिए एचडीवी ईंधन मितव्ययता मानदंडों के लिए संशोधन अधिसूचनाओं को क्रमशः एस.ओ. 1464 (ई) और एस.ओ. 1465 (ई) 29 मार्च 2022 को अधिसूचित किया गया है।

ii. एक घटक के रूप में टायरों में वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार की अपार संभावनाएं हैं। भारत में टायरों के एस एंड एल के विकास के लिए, ईडी पीसीआरए की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। 6 अगस्त 2019 को तकनीकी समिति ने अपनी

रिपोर्ट सौंपी। 19 मार्च, 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा योजना को अधिकृत किया गया था। बीईई द्वारा आयोजित एनईसीए (राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कार्यक्रम) में 14 दिसंबर 2021 को टायर की स्टार रेटिंग के लिए स्वैच्छिक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

iii. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रैक्टरों के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंडों को विकसित और निगरानी करने के लिए मार्च 2018 में संयुक्त सचिव (आर) की अध्यक्षता में एक स्टियरिंग कमिटी का गठन किया। पीसीआरए स्टियरिंग कमिटी का सदस्य सचिव था। स्टियरिंग कमिटी ने ट्रैक्टरों के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के स्वैच्छिक चरण के कार्यान्वयन के लिए बैंडविड्थ और मसौदा अनुसूची को मंजूरी दे दी है। बीईई ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से स्वैच्छिक आधार पर कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए समय सीमा के साथ अद्यतन प्रस्ताव प्रदान करने का अनुरोध किया है।

iv. हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की ईंधन खपत को मापने के लिए वेक्टो टाइप सिमुलेशन टूल का विकास – बीईई द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्रगति पर है।

v. एलपीजी स्टोव के मौजूदा स्टार रेटिंग पैमाने के युक्तिकरण के लिए ईडी पीसीआरए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, बीईई ने घरेलू एलपीजी स्टोवों की अनिवार्य स्टार लेबलिंग के लिए मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप दिया है और इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए विद्युत मंत्रालय को भेजा है।

5.2.6. आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन

पीसीआरए को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कुल 9 साइक्लोथॉन आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। वित्त वर्ष 2021–22 में पीसीआरए ने नीचे दी गई सूची के अनुसार 3 साइक्लोथॉन का आयोजन किया है।

<u>29.10.2021 को नई दिल्ली में पहला साइक्लोथॉन</u>

साइक्लोथॉन का आयोजन गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर –16, द्वारका, नई दिल्ली –110075 के परिसर में 29 अक्टूबर, 2021 को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, तेल और गैस क्षेत्र के अधिकारियों, लगभग 500 साइकिल चालकों, दिल्ली के कुछ साइकिलिंग क्लबों के सदस्य और जीजीएसआईपीयू के छात्र और संकाय की भागीदारी के साथ किया गया था। इस अवसर पर जीजीएसआईपीयू के कुलपति, पद्मश्री डॉ महेश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

<u>12.11.2021 को इंफाल में दूसरा साइक्लोथॉन</u>

खुमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंफाल पूर्वी जिला, इंफाल में आयोजित साइक्लोथॉन में मुख्य अतिथि श्री रामेश्वर तेली, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री उपस्थित थे। श्री युमखम इराबोट सिंह, माननीय विधायक, वांगखेई एसी, मणिपुर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रैली में करीब 200 साइकिल सवारों ने भाग लिया।

इम्फाल में साइक्लोथॉन के दौरान माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री मंच पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

इम्फाल में साइक्लोथॉन के दौरान माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री द्वारा साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

28.02.22 को अहमदाबाद में तीसरा साइक्लोथॉन

5.2.7. विविध गतिविधियां

पीसीआरए संरक्षण प्रश्नोत्तरी: – संरक्षण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला 05 जून 2021 को www.mygov.in पर ऑनलाइन शुरू की गई है। इसके तहत, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 3 सप्ताह चलती है, जिसमें हर हफ्ते एक विजेता घोषित किया जाता है।

जागरूकता पैदा करने के लिए MyGov प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग

पीसीआरए ने ईंधन संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए MyGov में विभिन्न अभियान शुरू किए हैं। उनमें से कुछ नीचे उल्लिखित हैं:

i). सक्षम प्रश्नोत्तरी

ii). ''हरित और स्वच्छ ऊर्जा'' विषय पर निम्नलिखित प्रतियोगिताएं

(क) कविता लेखन प्रतियोगिता

(ख) लघु वीडियो बनाने की प्रतियोगिता

(ग) डिजिटल पोस्टर/वॉलपेपर बनाने की प्रतियोगिता

ईंधन दक्षता और ईंधन संरक्षण से संबंधित इन गतिविधियों और उपायों ने कच्चे तेल के आयात में कमी पर सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में सकारात्मक योगदान दिया है।

5.3. पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरांत, तेल समन्वलय समिति को भंग कर दिया गया था और दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रुप में सरकार के निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया:

(क) पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी की व्यवस्था

(ख) आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थितियों से मुकाबला करने के लिए सूचना डेटा बैंक और संचार प्रणाली का अनुरक्षण

(ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण

(घ) पेट्रोलियम आयातों और निर्यातों की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन

(ङ) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हो।

ओआईडीबी ने वर्ष 2021–22 के दौरान, पीपीएसी के अनुदान के रूप में 23.47 करोड़ रुपये प्रदान किए। वर्ष 2021–22 के दौरान पीपीएसी ने निम्न गतिविधियां की

5.3. 1 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के सब्सिडी दावों का निपटान

. 1 जनवरी 2015 से प्रभावी, **पहल (डीबीटीएल)** योजना–2014 पूरे देश में क्रियान्वित की गई। इस योजना के तहत घरेलु एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ही पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाती है। पहल योजना के तहत वर्ष 2021–22 में रुपये 419 करोड़ (परियोजना प्रबंधक खर्चे सहित) के दावे प्राप्त हुए और उनकी समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) 1 मई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों की महिला सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को अब 4 साल (2019–20 तक) की अवधि में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। काफी समय पहले सितम्बर 2019 में 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। इस योजना के तहत, भारत सरकार गरीब घरेलू महिला लाभार्थियों को सुरक्षा जमा मुक्त कनेक्शन जारी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए क्रमशः 1600 रुपये और 1150 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिपूर्ति करती है। पीपीएसी ने इस योजना के शुरूआत के बाद से, प्रधानमंत्री

उज्जवला योजना के लिए वित्त वर्ष 2020–21 तक 12,750 करोड़ रुपये (परियोजना प्रबंधक खर्च सहित) के कुल दावों को प्रस्तुत किया गया है।

केंद्रीय बजट 2021–22 में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को 1 करोड़ और लाभार्थियों की मंजूरी दी। इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी।

5.3.2 नार्थ ईस्ट गैस सब्सिडी दावों का निपटान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चयनित उद्योग/ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की बिक्री में सब्सिडी व्यवस्था हेतु "प्राकृतिक गैस सब्सिडी योजना" तैयार की गई है। इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियां नामित गैस क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर प्राकृतिक गैस बेचती हैं और भारत सरकार से सब्सिडी राशि का दावा करती हैं। वर्ष 2021–22 के लिए, पीपीएसी ने 405 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये तथा उन दावों की समीक्षा की।

5.3.3. घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2014 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य के आवधिक संशोधन को सूचित करने के लिए महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया। तदानुसार, अप्रैल 2021 से सितंबर, 2021 और अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य, पीपीएसी द्वारा अधिसूचित किया गया था।

5.3.4. गैस मूल्य की अधिकतम सीमा की अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 मार्च, 2016 की अधिसूचना के द्वारा, वैकल्पिक ईंधन के पहुंच मूल्य के आधार पर अधिकतम मूल्य के अधीन गहरे–पानी, अल्ट्रा गहरे पानी और उच्च दबाव–उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता की अनुमति दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को उक्त अधिसूचना के तहत गैस मूल्य की अधिकतम सीमा के आवधिक संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया। तदानुसार, अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 और अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए गैस की कीमत की अधिकतम सीमा पीपीएसी द्वारा अधिसूचित की गई थी।

5.3.5. ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2021 भारत अध्यायः

पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ को ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2021 के लिए भारत अध्याय लिखने का काम सौंपा गया था। पीपीएसी द्वारा अध्याय के लिए निर्विष्ट विधिवत प्रस्तुत किए गए और अंतिम आउटलुक को ओपेक द्वारा वियना, ऑस्ट्रिया में 28 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया गया है।

5.3.6. एमएस और एचएसडी के लिए क्षेत्रीय मांग

गत वर्ष उद्योग समन्वयक के रूप में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पीपीएसी ने क्षेत्रीय मांग को अद्यतन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया था। यह अध्ययन पूरे भारत में क्रिसिल के माध्यम से एक वर्ष की अवधि में 3000 खुदरा दुकानों को कवर करते हुए किया गया था। एमएस और एचएसडी के लिए क्षेत्रीय मांग के साथ इस अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट ने क्षेत्र–वार और खंड–वार विवरण के साथ एमएस और एचएसडी की वर्तमान क्षेत्रीय खपत की पहचान की है।

5.3.7. ऊर्जा मांग प्रक्षेपण मॉडल (ईडीपीएम) का उन्नयन

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की भविष्य की मांग के लिए ऊर्जा मांग प्रक्षेपण मॉडल 2015 पीपीएसी द्वारा तैयार किया गया, और 2020 में उन्नयन किया गया था। मॉडल के आउटपुट के आधार पर, 2045 तक के उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं ओएमसी को प्रस्तुति दी गई थी। रिफाइनिंग क्षमता 2040 पर कार्य समूह के साथ प्रक्षेपणों को भी साझा किया गया और भविष्य के प्रक्षेपण के लिए विवरण का उपयोग किया है। 2022 में ईडीपीएम को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया गया है।

5.3.8. दूरस्थ क्षेत्रों की समीक्षाः

8 मार्च 2003 की अधिसूचना द्वारा पहले परिभाषित सुदूर क्षेत्रों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसका लक्ष्य

एवं उद्देश्य मौजूदा परिपत्र द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों की समीक्षा करना और क्षेत्र की दूरस्थता और जनता द्वारा परिवहन ईंधन तक पहुंच के आधार पर परिवर्तन का सुझाव एवं सिफारिशें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजी गई थीं और दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को सरकारी संकल्प संख्या पी–12029(11)/5/2020–ओएमसी–पीएनजी के अनुसार दूरस्थ क्षेत्रों की एक नई परिभाषा अधिसूचित की गई है।

5.3.9. डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांकः

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की केंद्रीय योजनाओं के डेटा/एमआईएस सिस्टम की डेटा तैयारी का आकलन करने के लिए एक स्व–मूल्यांकन ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण 10 (जुलाई 2020) में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2.72 स्कोर किया। सर्वेक्षण 2.0 के लिए पीपीएसी को नोडल एजेंसी बनाया गया था, जिसमें योजनाओं को 2 से बढ़ाकर 9 किया गया था। नौ केंद्रीय योजनाओं के ऑडिट को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय के बाद डीएमईओ पोर्टल (डीजीक्यूआई) में प्रस्तुत किया गया था। अक्टूबर–नवंबर 2021 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का स्कोर 5.00 में से 3.86 तक पहुंचा। जनवरी–मार्च 2022 के लिए अगले दौर की औपचारिकताएं मार्च 2022 में पूरी की गईं। 5 का स्कोर हासिल करने की कार्य योजना अधिकार में है।

5.3.10. भारत के तेल और गैस के आयात में 10 प्रतिशत की कमी के लिए संशोधित रोड मैपः

ओ एंड जी के आयात में 10 प्रतिशत की कमी के रोड मैप पर एक रिपोर्ट अप्रैल 2016 में प्रस्तुत की गई थी और इसकी निगरानी एकीकृत निगरानी और सलाहकार परिषद (आईएमएसी) द्वारा की जा रही थी। हालांकि, कुछ योजनाएं उम्मीद के अनुरूप नहीं चल पाईं, इसलिए पीपीएसी को एक संशोधित व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया। पीपीएसी द्वारा नई योजनाओं और केपीआई पर अंतिम रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दी गई है।

5.3.11. सूचना प्रौद्योगिकी

पीपीएसी के पास एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी है जो आईटी परिसंपत्तियों/संवेदनशील डेटा के निरंतर सुधार, विकास और सुरक्षा के लिए समर्पित है। उपयुक्त जोखिम मूल्यांकन, नीतियां और नियंत्रण लागू किए जाते हैं। इसे मान्य और सुदृढ़ करने के लिए, पीपीएसी की विभिन्न प्रक्रियाओं और डेटा सेंटर को आईएसओ 27001:2013 मानकों के सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ढांचे के लिए प्रमाणित किया गया है।

पीपीएसी डेटा प्रबंधन, रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए एसएसी का मुख्य रूप में उपयोग कर रहा है। ओएमसी द्वारा दिए गए आंकड़ों के सत्यापन और विसंगति का पता लगाने के लिए एसएएस में पीएमयूवाई, पीएमजीकेवाई और डीबीटीएल जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई नए मॉड्यूल शामिल किए गए हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की खपत, उत्पादन, कीमतों और विपणन से संबंधित एसएएस मॉड्यूल की मौजूदा प्रक्रियाओं को व्यवसायिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त है।

5.4. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है, जिसे पेट्रोलियम उद्योग के लिए मानक बनाने तथा सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाए जा सकें और इस उद्योग में निहित जोखिमों को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानकों में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियाँ अर्थात अन्वेषण व उत्पादन, शोधन, गैस प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण, पर्यावरण आदि निहित हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्व–नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। ओआईएसडी ने ऑडिटिंग, पीसीएसए, सम्मेलन/कार्यशाला और राजस्व सृजन में पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 2021–22 के दौरान रिकॉर्ड प्रदर्शन हासिल किया।

वर्ष 2021–22 के दौरान ओआईएसडी ने 19.85 करोड़ रुपये का अनुदान ओआईडीबी से प्राप्त किया। वर्ष के दौरान ओआईएसडी ने निम्नलिखित गतिविधियां कीः

5.4.1. ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिटः वित्तीय वर्ष 2021–22

ओआईएसडी, तेल व गैस प्रतिष्ठानों की नियामक आवश्यकताओं और ओआईएसडी मानकों के अनुसार अनुपालन की निगरानी करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, ओआईएसडी ने 10106 किमी पाइपलाइन के ऑडिट के अलावा

तेल और गैस स्थापना के रिकॉर्ड 270 ऑडिट किए हैं जिसमें दो प्रमुख बंदरगाहों के ऑडिट भी शामिल है। ऑडिटों का विवरण निम्नवत हैः

गतिविधियां	इकाई	योजना	वास्तविक
कोर ऑडिट			
रिफाइनरी और गैस प्रसंस्करण संयंत्र, सीटीएफ	संख्या	22	25
विपणन प्रतिष्ठान (पीओएल / एलपीजी)	संख्या	91	121
ई एंड पी प्रतिष्ठान	संख्या	93	122
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइन	कि.मी--	9000	10106*

*एक एसपीएम के ऑडिट सहित

5.4.2. प्रारंभ पूर्व सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए)

ओआईएसडी तेल और गैस उद्योग में परियोजनाओं का पीसीएसए करता है। इन ऑडिटों का मुख्य उद्देश्य, ग्रास–रूट डेवलपमेंट तथा मौजूदा प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त सुविधा परियोजनाओं की निर्माण अवस्था में ही ओआईएसडी मानकों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस प्रकार के 99 ऑडिट किए गए, जो अब तक का उच्चतम स्तर हैं।

गतिविधियां	इकाई	वास्तविक
प्रारंभ पूर्व ऑडिट (पीसीएसए) वास्तविक संख्या - 2021-22		
रिफाइनरी एवं गैस प्रसंस्करण संयंत्र	संख्या	31
विपणन प्रतिष्ठान (पीओएल / एलपीजी)	संख्या	54
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइन	संख्या	14 (1985 कि.मी.)

5.4.3. अपतटीय प्रतिष्ठानों के लिए 'संचालन की सहमति'

ओआईएसडी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (अपतटीय प्रचालन क्रियाओं में सुरक्षा) नियम, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में स्थायी और मोबाइल अपतटीय प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिए सहमति देता है । वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 07 स्थायी अपतटीय संस्थापनों की और 04 मोबाइल अपतटीय संस्थापनों के संचालन के लिए सहमति प्रदान की गई है ।

5.4.4. सुरक्षा परिषद की बैठक

भारत में तेल व गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद का गठन किया। परिषद की 38वीं बैठक 23 अगस्त, 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई, वे इस प्रकार हैं:

- ✓ 2020–21 में ओआईएसडी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां और 2021–22 के लिए गतिविधि योजना
- ✓ प्रमुख ऑनसाइट घटनाओं के मूल कारण का विश्लेषण।
- ✓ उद्योग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्र
- ✓ 02 से अधिक वर्षों से लंबित ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट अनुशंसाओं की अनुपालन स्थिति की समीक्षा
- ✓ 07 संशोधित मानकों का अनुमोदन, 01 नया मानक और 02 ओआईएसडी मानक को वापस लेना।

- ✓ वित्तीय वर्ष 2020–21 में ओआईएसडी के वास्तविक व्यय का अनुमोदन और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमान।
- ✓ वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ओआईएसडी के वार्षिक लेखा परीक्षित खातों का अभिग्रहण।

5.4.5. संचालन समिति की बैठक

56वीं संचालन समिति की बैठक 28 जून 2021 को तेल और गैस उद्योग (प्रिंसिपल पैनलिस्ट) के प्रतिनिधियों के साथ हुई। बैठक के दौरान जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- ✓ संचालन समिति की 55वीं बैठक के कार्य बिन्दुओं की स्थिति
- ✓ वर्ष 2020–21 के लिए ओआईएसडी के योजनाबद्ध सुरक्षा ऑडिट के सापेक्ष में किए गए सुरक्षा ऑडिट की समीक्षा और वर्ष 2021–22 के लिए योजना।
- ✓ चार संशोधित ओआईएसडी मानकों का अभिग्रहण
- ✓ दो साल से अधिक समय से लंबित ईएसए/एसएसए सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।
- ✓ पिछले पाँच वर्षों का घटना विश्लेषण और उद्योग क्षेत्र में कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा।

5.4.6. सुरक्षा मानकों का विकास

ओआईएसडी सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तेल और गैस उद्योग के लिए मानक विकसित करता है। इन मानकों में पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन के क्षेत्र में अंतर्निहित डिजाइन सुरक्षा, परिसंपत्ति अखंडता और सर्वोत्तम संचालन प्रथाओं को शामिल किया गया है। ओआईएसडी मानकों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि नए मानकों को विकसित करने की जरूरतों का पता लगाया जा सके, नवीनतम तकनीकी विकास के साथ–साथ जमीन पर मौजूदा अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों को अद्यतित/संशोधित किया जा सके।

आजतक ओआईएसडी ने तेल और गैस उद्योग के लिए 120 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। इनमें से 21 मानक, पेट्रोलियम नियम, 2002, गैस सिलेंडर नियम, 2016, स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित), नियम, 2016 और तेल खान विनियम, 2017 के वैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं।

मार्च 2022 तक, 31 सुरक्षा मानक संशोधन के विभिन्न चरणों में हैं।

5.4.7. घटना जांच और विश्लेषण

ओआईएसडी तेल और गैस उद्योग में होने वाली प्रमुख ऑनसाइट घटनाओं की जांच करता है। तेल और गैस उद्योग की घटनाओं का एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों, सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें फिर सुरक्षा अलर्ट, केस स्टडी, परामर्शी नोट्स, कार्यशालाओं/सेमिनारों और "सुरक्षा चेतना" के माध्यम से उद्योग में प्रसारित किया जाता है।

2021–22 के दौरान ओआईएसडी द्वारा दस प्रमुख घटनाओं की जांच की गई, जिनमें से दो घटनाओं की पीएनजीआरबी के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई, जो एक नई पहल भी है।

इसके अतिरिक्त, कार्यकारी निदेशक ओआईएसडी चक्रवात 'तौकते' और बागजान तेल के कुंए में ब्लोआउट की घटना के कारण की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों का हिस्सा भी थे।

5.4.8. चक्रवात में तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तैयारियों की निगरानी

चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदा के मामले में ओआईएसडी सार्वजनिक और निजी तेल और गैस कंपनियों की स्थिति की निगरानी करता है तथा आईएमडी से उपलब्ध सूचना के आधार पर, इस क्षेत्र में सभी संबंधित तेल और गैस कंपनियों को निवारक उपाय करने के लिए सलाह देता है। ओआईएसडी तेल और गैस कंपनियों की स्थिति रिपोर्ट (एसआईटीआरईपी) की भी मांग करता है और समेकित एसआईटीआरईपी दिन मे दो बार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा अन्य हितधारकों को भेजता है।

इस वर्ष, मई में 'तौकते' और 'यास' चक्रवात, दिसंबर में 'जवाद' और मार्च में उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटी दक्षिण–पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दबाव के कारण प्रभावित क्षेत्रों की ओआईएसडी द्वारा निगरानी की गई थी। विभिन्न प्रभावित तेल और गैस उद्योगों में आपदा नियंत्रण केंद्रों से डेटा एकत्र करके स्थिति रिपोर्ट (एसआईटीआरईपी) तैयार की गई और मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

5.4.9. ‘सुरक्षा संवाद’

24 जून 2021 को लाइव वेब सत्र ‘सुरक्षा संवाद’ की एक नई पहल शुरू की गई थी जो हर महीने आयोजित की जा रही है। लगभग 2 घंटे की अवधि के ऐसे दस संवाद आयोजित किए गये थे। इसमें लगभग 4500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें ओआईएसडी और उद्योग जगत के अग्रणी लोगों ने प्रतिभागियों के साथ संवाद के बाद केस स्टडी प्रस्तुत की।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यकारी निदेशक–ओआईएसडी

5.4.10. तकनीकी संगोष्ठी / सम्मेलन / कार्यशाला

नवीनतम तकनीकी विकास, ज्ञान साझा करने, घटना के अनुभव आदि पर चर्चा करने के लिए ओआईएसडी द्वारा तेल और गैस उद्योग के लिए तकनीकी सेमिनार / सम्मेलन / कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ।

वर्ष 2021–22 के दौरान, ओआईएसडी ने तेल और गैस उद्योग के लिए विभिन्न विषयों पर 12 वर्चुअल कार्यशाला / सेमिनार का आयोजन किया, जिनमें लगभग 3300 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो कि ओआईएसडी की स्थापना के बाद से अब तक सर्वाधिक हैं। वर्ष 2021–22 की कुछ प्रमुख गतिविधियों का विवरण इस प्रकार हैः

पेट्रोलियम उद्योग में एचएसई पर प्रशिक्षण सत्र

ओआईएसडी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई), विशाखापत्तनम के अनुरोध पर 8 से 9 सितंबर के दौरान 'पेट्रोलियम उद्योग में एचएसई' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य छात्रों को पेट्रोलियम उद्योग के लिए सुरक्षा प्रथाओं और ओआईएसडी बेंचमार्क से परिचित कराना था।

'तेल उद्योग में एचएसई' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल

विश्व पर्यावरण दिवस पर वेबिनार

ओआईएसडी ने 8 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए वेबिनार का आयोजन किया। श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव (रि.), ने आधार व्याख्यान देते हुए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी नीतियों और पहलों पर प्रकाश डाला। प्रख्यात पर्यावरणविद, पदमश्री सुनीता नारायण ने थीम भाषण दिया। उन्होंने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर किया। आईआईटी और जेएनयू के प्रसिद्ध शिक्षाविदों और तेल और गैस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने ज्ञान से प्रतिभागियों को समृद्ध किया। वेबिनार में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और अनेक लोगों ने यूट्यूब चैनल पर वेबिनार को देखा।

5.4.11. वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ओआईडीबी द्वारा रूपये 2975.74 लाख (मुख्यतः पीसीएसए से रिकार्ड रूपये 697.07 लाख का राजस्व सृजन हुआ) के कुल व्यय के लिए रूपये 2311 लाख की बजटीय सहायता जिसमें ओआईडीबी द्वारा वर्ष के दौरान जारी 1984.72 लाख रूपये का अनुदान तथा 01.04.2021 को 326.28 लाख रूपये का अनुप्रयुक्त शेष अनुदान शामिल है।

5.4.12. राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह

ओआईएसडी ने 4 से 10 मार्च के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया। सप्ताह के दौरान ओआईएसडियंस और संविदा कर्मियों के लिए सुरक्षा पर ज्ञान साझा करने और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। 10 मार्च को कार्यकारी निदेशक ओआईएसडी के संबोधन और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ।

5.4.13. आईएसओ 9001:2015 ओआईएसडी की संशोधित लेखा परीक्षा

वर्ष 2013 में, ओआईएसडी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मैसर्स डीएनवी द्वारा आईएसओ 9001 के प्रमाणन के माध्यम से मान्य किया गया था और ओआईएसडी सभी ओआईडीबी अनुदान प्राप्त संगठनों के बीच पहला आईएसओ 9001 प्रमाणित संगठन बन गया वर्ष 2021–22 में, 31 दिसंबर को मैसर्स ब्यूरो वेरिटास द्वारा आईएसओ–9001–2015 संशोधित ऑडिट सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया ।

5.4.14. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) के साथ हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (डीजीएच) और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर शिपिंग महानिदेशक (डीजीएस) और भारतीय तटरक्षक के पृष्ठांकन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में 22 मार्च 2022 को हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन अपतटीय अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) ऑपरेटरों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए एक विशेष एकीकृत मौसम पूर्वानुमान उपकरण विकसित करने के संबंध में किया गया है ।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में सभी दलों के प्रतिनिधि और समर्थक

5.5. उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी)

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) की स्थापना 1987 में सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रुप में कार्य करता है। सीएचटी के प्रमुख कार्यों में शामिल है :

- रिफाइनरियों और पाइपलाइनों की निष्पादन बेंचमार्किंग
- सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष अध्ययन, परिचालन सुधार और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से रिफाइनरियों में निष्पादन सुधार
- डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधार
- पेट्रोलियम उत्पाद गुणवत्ता सुधार
- सर्वोत्तम प्रथाओं सूचनाओं एवं प्रसार का आदान–प्रदान
- भावी स्थिरता के लिए डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा और नई पहलों के साथ एकीकरण
- डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नवाचारों और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन पर सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय।
- वाटर फुट प्रिंट की कमी
- आयात के एवज में ईंधन, रसायन और उत्प्रेरक का विकास

वर्ष 2021–22 के दौरान, सीएचटी को ओआईडीबी से अनुदान सहायता के रूप में 16.29 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2021–2022 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

5.5.1. पीएसयू रिफाइनरियों और पाइपलाइनों की निष्पादन बेंचमार्किंग

(कं) पीएसयू रिफाइनरियों का निष्पादन बेंचमार्किंग

पीएसयू रिफाइनरियों की निष्पादन बेंचमार्किंग 2010 से नियमित रूप से सीएचटी द्वारा मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स (एसए), यूएसए के माध्यम से कराई जा रही है। पीएसयू रिफाइनरियों की बेंचमार्किंग शुरू करने के लिए एसए के साथ 2028 तक का दीर्घकालिक समझौता किया गया है। चक्र 2020 का बेंचमार्किंग अध्ययन पूरा हो गया है और सार्वजनिक उपक्रमों के सभी प्रतिभागियों के लिए डेटा का उपयोग कैसे करें, इस पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के अलावा, अक्टूबर 2021 के तीसरे सप्ताह के दौरान आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शीर्ष प्रबंधन के लिए ऑनलाइन कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां दी गईं और स्टीम नेटवर्क आकार में कमी और परिसंपत्ति जीवनचक्र प्रबंधन/ओए के लिए 6 रिफाइनरी विशिष्ट कार्यशालाएं (प्रत्येक में तीन) नवंबर 2021 के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित की गई। सोलोमन एसोसिएट्स ने बेंचमार्किंग अध्ययन (चक्र 2020) के परिणाम 17 मार्च 2022 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपे। बैठक की अध्यक्षता सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने की और इसमें तेल कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन शामिल हुए।

(ख) पीएसयू पाइपलाइनों के लिए निष्पादन बेंचमार्किंग:

2018 चक्र के लिए पाइपलाइनों (तरल, गैस, एलपीजी) और एसपीएम के लिए निष्पादन बेंचमार्किंग अध्ययन पहली बार मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स (एसए), यूएसए के माध्यम से शुरू किया गया था। मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स ने अगस्त 2021 के दौरान पाइपलाइन बेंचमार्किंग अध्ययन के दूसरे चक्र 2020 को सफलतापूर्वक पूरा किया। सचिव, पी एंड एनजी, ने मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओआईएल और गेल की भाग लेने वाली कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के लिए 16 सितम्बर 2021 को 2020 चक्र के अध्ययन परिणामों की ऑनलाइन प्रस्तुति की अध्यक्षता की।

5.5.2. ऊर्जा दक्षता में सुधार

पीएटी (निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार)

पीएटी अर्थव्यवस्था के ऊर्जा गहन क्षेत्र में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक बाजार आधारित विनियामक साधन है। पीएटी राष्ट्रीय सवंर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत उन पहलों में से एक है, जिसे ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आठ मिशनों के तहत शामिल किया गया है, ताकि व्यापार योग्य ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्रों के माध्यम से लागत प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

रिफाइनरी क्षेत्र को पीएटी–I में शामिल आठ ऊर्जा गहन क्षेत्रों में डिस्कॉम और रेलवे के साथ पीएटी–II (2016–17 से 2018–19) में शामिल किया गया था। इस योजना के तहत, पीएसयू और निजी क्षेत्र सहित प्रत्येक रिफाइनरी को विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य है। रिफाइनरियों के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनकी ऊर्जा खपत अधिक होती है और इसलिए ऊर्जा की बचत की अधिक संभावना होती है। ऊर्जा बचत लक्ष्य बीईई (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) द्वारा सीएचटी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, के परामर्श से सौंपे गए थे।

पीएटी चक्र–II में रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए ऊर्जा कटौती का लक्ष्य 1.01 मिलियन टीओई के बराबर 5.49 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में 1.48 मिलियन टीओई के बराबर 8.05 प्रतिशत की वास्तविक ऊर्जा कमी हासिल की गई थी।

वर्तमान पीएटी चक्र–VI (2020–21 से 2022–23) के लिए 5.49 प्रतिशत क्षेत्रीय ऊर्जा कटौती लक्ष्य को बनाए रखा गया है, जो 1.17 मिलियन टन के ऊर्जा बचत लक्ष्य के बराबर है।

पीएसयू रिफाइनरियों में 2030 तक दीर्घकालिक ऊर्जा बचत लक्ष्य

2005 के आधार वर्ष की तुलना में 2030 तक विशिष्ट ऊर्जा खपत में भारत के एनडीसी के अनुरूप पीएसयू रिफाइनरियों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत पर एक रूपरेखा तैयार की गई है। यह रूपरेखा आंतरिक और सलाहकारों के माध्यम से किए गए विभिन्न

अध्ययनों के आधार पर तैयार की गई है। प्रत्येक पीएसयू रिफाइनरी के लिए पहले से चिन्हित ऊर्जा बचत योजना के आधार पर मध्यावधि (2023–24) और साथ–साथ दीर्घकालिक (2030) के लिए भी लक्ष्य सौंपे गए हैं।

फर्नेस दक्षता और भाप रिसाव पर वार्षिक लेखा–परीक्षा

ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, रिफाइनरियों के सहयोग से सीएचटी प्रत्येक वर्ष (1) फर्नेस/बॉयलर दक्षता और (2) भाप रिसाव के क्षेत्रों में सर्वेक्षण का आयोजन करता है। इन दोनों क्षेत्रों को प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में लिया जाता है। सक्षम 2022 के एक भाग के रूप में, 14–16 मार्च 2022 और 21–24 मार्च 2022 के दौरान दो चरणों में सभी भारतीय रिफाइनरियों रिलाइंस इंडिया लिमिटेड (आरआईएल को छोड़कर) में भाप रिसाव सर्वेक्षण किया गया है।

5.5.3. रिफाइनरी निष्पादन सुधार कार्यक्रम (आरपीआईपी)

सीएचटी ने उत्पादन और ऊर्जा में सुधार कार्यक्रम के लिए 15 पीएसयू रिफाइनरियों के समन्वय से वैश्विक सलाहकारों को अंतिम रूप दिया। सीएचटी ने 7 पीएसयू रिफाइनरियों (एचपीसीएल –मुंबई और विशाख, बीपीसीएल – मुंबई और कोच्चि, आईओसीएल – पानीपत, परसीप और मथुरा) के लिए पहले चरण में समन्वित किया। और कार्यान्वयन चरण प्रगति पर है।

दूसरे चरण के लिए ईओआई के माध्यम से सलाहकार का चयन कर लिया गया है और रिफाइनरी की विशिष्ट निविदा शीघ्र ही मंगाई जाएंगी।

5.5.4. पीएसयू रिफाइनरियों के लिए विशेष अध्ययन

जल उपभोग नॉर्मों का विकास और रिफाइनरियों के लिए जल पदचिह्न को कम करना ।

सीएचटी ने ईआईएल के माध्यम से रिफाइनरियों के लिए पानी की खपत के मानदंड और पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए एक छोटी अवधि (<2 वर्ष) और एक दीर्घकालिक (>2 वर्ष) लक्ष्य के साथ एक रोडमैप, तैयार किया।

मैसर्स लैंजाटेक के माध्यम से अपशिष्ट गैसों का उपयोग करके इथेनॉल के उत्पादन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, यूएसएः

बीपीसीएल–मुबंई रिफाइनरी का अध्ययन कर लिया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी (एनआरएल) का अध्ययन पूरा हो गया है और 22 जून 2021 को लैंजाटेक द्वारा अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अनुसंधान एवं विकास द्वारा संदर्भ ईंधन के लिए व्यवहार्यता और व्यापार मॉडलः

संदर्भ ईंधन का उपयोग ओईएम अपने वाहनों के परीक्षण के लिए करते हैं। ये ईंधन मुख्य रूप से जर्मनी से आयात किए जाते हैं। तीन चरणों में साध्यता अध्ययन की योजना बनाई गई है। चरण –1 (एलपी मॉडल का उपयोग करके पेपर ब्लेंड) का अध्ययन पूरा हो चुका है और चरण –2 (प्रयोगशाला मिश्रण अध्ययन) संदर्भ गैसोलीन और संदर्भ डीजल के पूर्ण तकनीकी विनिर्देशों को गैसोलीन और डीजल धाराओं को मिलाकर आईओसी पानीपत में पूरा किया जा सकता है। इस परियोजना के चरण 3 में, संदर्भ ईंधन के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया योजना विकसित की गई और व्यवसाय मॉडल और इकाई के कैपेक्स ± 30 प्रतिशत लागत अनुमान के साथ साध्यता रिपोर्ट तैयार की और 31 मार्च 2022 को सीएचटी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी दी गई।

5.5.5. रिफाइनिंग एंड पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी बैठक (आरपीटीएम)

तकनीकी विकास के साथ कदम से कदम मिलाने और सूचनाओं के प्रसार के उद्देश्य से, सीएचटी विभिन्न संगत विषयों पर पीएसयू तेल कंपनी में से एक के सहयोग से प्रत्येक वर्ष आरपीटीएम का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रक्रिया लाइसेंसकर्ता, उत्प्रेरक आपूर्तिकर्ता तथा भारत और विदेश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। पिछली 24वीं आरपीटीएम का आयोजन 19 से 21 जनवरी, 2020 के दौरान बेंगलुरू में एमआरपीएल के साथ किया गया था। इस कार्यक्रम में 15 तकनीकी सत्रों में फैले 80 मौखिक पेपर प्रस्तुत किए गए और पोस्टर सत्रों में 16 प्रदर्शनी स्टॉल के साथ 78 पेपर प्रस्तुत किए गए तथा इसमें भारत और विदेश के 1500 प्रतिनिधियों /आमंत्रितों ने भाग लिया।

बदलते ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इस आयोजन का नाम बदलकर एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट (ईटीएम) कर दिया गया है। 25वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक 15–17 सितंबर 2022 को एचपीसीएल के सहयोग से मुंबई में आयोजित होने वाली है।

5.5.6. प्रधानमंत्री जी–वन योजना का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री जी–वन योजना मार्च, 2019 में 12 वाणिज्यिक इकाइयों (प्रति वर्ष ~40 करोड़ लीटर की संयुक्त क्षमता) और अर्द्ध वाणिज्यिक स्तर पर 10 निष्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदान करके निधि (वीजीएफ) प्रदान करके 2 जी इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री जी–वन योजना के क्रियान्वयन के लिए सीएचटी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। पात्र परियोजना विकासकर्ता (पीडी) का चयन करने का अनुरोध 26 अगस्त 2019 को किया गया। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन एसएसी द्वारा किया गया था और इसकी सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री जी–वन योजना के लिए सीएचटी की संचालन समिति ने 4 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 1 निष्पादन परियोजना के लिए वीजीएफ/वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।

चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) को दूसरी बार 17 जून 2020 को जारी किया गया और इसके सम्मुख, वाणिज्यिक परियोजना के लिए केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसकी वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की। चयन के लिए अनुरोध तीसरी बार 24 नवम्बर 2021 को 8 वाणिज्यिक तथा 9 निष्पादन इकाइयों के लिए जारी किया गया और इसके सम्मुख 03 प्रस्ताव वाणिज्यिक व 04 प्रस्ताव प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुए। प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

5.5.7. स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास

सीएचटी डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान और वित्त पोषण में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय करता है। एसएसी राष्ट्रीय महत्व और रिफाइनिंग संचालन की परियोजनाओं को मंजूरी देता है। एसएसी का नेतृत्व बीएआरसी के प्रख्यात वैज्ञानिक और डीएई मुख्य प्रोफेसर डॉ. अनिल काकोडकर कर रहे हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने तीन बैठकें की। वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने चल रही परियोजनाओं और नए परियोजना प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की और एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना और चार एचसीएफ परियोजनाओं की स्वीकृति दी।

क. जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा–गहन उद्योगों की निर्भरता को कम करने के लिए बहु प्रभाव वाष्पीकरण के साथ परवलयिक ट्रफ सौर कलेक्टरों का एकीकरणः आईआईटी रुड़की/ आईओसीएल।

ख. हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए हल्के वजनी नॉवेल मल्टीकंपोनेंट हाई एन्ट्रॉपी एलॉय एप्लीकेशन सीएसआईआर– आईआईपी/ आईआईटी–टी/ आईआईटी–डी/ मिधानी, हैदराबाद/3वाई तकनीकी, बड़ोदरा/आईओसीएल।

ग. 1 किलोवाट पीईएम ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का डिजाइन, विकास और प्रदर्शनः उच्च ऊर्जा बैटरी (एचईबी)/ आईओसीएल/गेल

घ. मेम्ब्रेन रहित इलेक्ट्रोलाइजर और भंडारण के माध्यम से प्रभावी हाइड्रोजन उत्पादनः उच्च ऊर्जा बैटरी (एचईबी)/ओईसी

ड़. आने वाली पीढ़ी के लिए स्वदेशी ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास और स्केल–अप और प्रोटोटाइप उत्पादन के लिए प्रोसेस लाइन (10 किलोवाट) का प्रदर्शनः एचपीसीएल/एआरसीआई/सीजीसीआरआई

5.5.8. हाइड्रोजन अनुसंधान

एसएसी ने हाइड्रोजन अनुसंधान और इसे ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में बढ़ावा देने की पहचान की है। सीएचटी ने विभिन्न मार्गों (पानी और बायोमास गैसीकरण के इलेक्ट्रोलिसिस सहित) से हाइड्रोजन के उत्पादन सहित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और निष्पादन करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्त–पोषित किया है, वाहन निर्माता के साथ–साथ परिवहन ऑपरेटरों के साथ अनुबंध करके ईंधन सेल बसों का विकास, हाइड्रोजन का भंडारण और वितरण, एचसीएनजी का उत्पादन और

दिल्ली में एचसीएनईएन ईंधन बसों का निष्पादन करना शामिल है। एचसीएफ के तहत क्रमांक 5.5.7 (ii, iii, iv) में उल्लिखित तीन नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अनुमोदित किया गया है।

एच–सीएनजी प्लांट, आईओसीएल

5.5.9. भारत में उत्प्रेरक निर्माण संयंत्र का विकास:

रिफाइनिंग उद्योग कई उत्प्रेरक प्रक्रियाओं को संचालित करता है, जहां उत्प्रेरक संचालन और लाभप्रदता सुधार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हालांकि, भारत में कोई प्रमुख उत्प्रेरक निर्माण सुविधा नहीं है और देश ज्यादातर उत्प्रेरक आयात पर निर्भर है जिससे इस क्षेत्र में जोखिम बढ़ रहा है। इसी आशय से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत में एक उत्प्रेरक निर्माण इकाई की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया। दुनिया भर से उत्प्रेरक आपूर्ति कर्ताओं को उनकी क्षमताओं और मंशा को समझने के लिए समिति के साथ विचार–विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। आठ संभावित उत्प्रेरक आपूर्तिकर्ताओं में से, समिति ने विस्तृत विशिष्ट बातचीत के लिए पांच संभावित लोगों को चुना। समिति ने इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे का रास्ता सुझाया और निष्कर्ष निकाला कि आने वाले वर्षों में, बढ़ते रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योग को विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरकों की भारी मात्रा में सुरक्षित आपूर्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए स्वदेशी उत्पादन में निवेश करना अनिवार्य है। उत्प्रेरक और संबद्ध अनुसंधान और विकास के लिए समिति इच्छुक भागीदारों के बीच संयुक्त उद्यम के गठन की सिफारिश करती है जहां उत्प्रेरक निर्माण मूल्य श्रृंखला में तालमेल होता है। संभावित भागीदारों के बीच आपसी समझौते के आधार पर संयुक्त उद्यम का विवरण तैयार किया जा सकता है। उत्प्रेरक निर्माण इकाइयां इस पहल को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश और उपयुक्त सरकारी नीति की मांग करती हैं। समिति का विचार है कि स्वदेशी उत्प्रेरक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उपरोक्त गतिविधियों की रिपोर्ट फरवरी 2021 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की गई । संभावित भागीदारों के साथ आगे की चर्चा प्रगति पर है।

5.5.10. रिफाइनरियों में पेट्रोरसायन के उत्पादन को बढ़ाने पर एक रिपोर्ट

भारत में पेट्रोरसायन के लिए व्यापार अवसर पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने भारत में खपत, मूल्य, आयात, विकास और क्षमता के आधार पर प्रमुख पेट्रोरसायन की पहचान की, जिसमें चिन्हित पेट्रोरसायन के लिए अनुमानित क्षमता वृद्धि शामिल है। विस्तृत रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दी गई थी।

5.5.11. कच्चे तेल के चयन और खरीद पर अध्ययन

कार्यकारी समिति ने सीएचटी को कच्चे तेल के चयन और खरीद का अध्ययन करने के लिए सलाहकार के मुद्दों पर विचार करने के लिए हितधारकों के साथ एक अलग बैठक करने की सलाह दी। संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में 16 नवंबर 2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। तदनुसार, मौजूदा कच्चे तेल के चयन और खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करने और लचीलेपन को बढ़ाने और अस्थिरता और जोखिम प्रबंधन से निपटने में प्रणाली को और अधिक चुस्त बनाने के लिए सुझाव देने के लिए एक अंतर–रिफाइनरी समिति का गठन किया गया था। समिति ने ऑनलाइन कई बैठकें की हैं और मार्च 2022 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

5.5.12. पुरस्कार

सीएचटी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित वार्षिक पुरस्कारों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है:

- रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार
- सक्षम पुरस्कार (वाष्प रिसाव और भट्टी दक्षता सर्वेक्षण पर आधारित)
- नवाचार पुरस्कार

पहली दो श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। नवाचार पुरस्कारों के लिए, पुरस्कार विजेताओं का चयन सीएचटी की गवर्निंग परिषद के दिशा–निर्देशों के आधार पर अध्यक्ष, एसएसी द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया है:

i) सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी

ii) रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार (रिफाइनरी / समूह / व्यक्तिगत)

iii) अनुसंधान एवं विकास (संस्थान / समूह / व्यक्तिगत) में सर्वश्रेष्ठ नवाचार

ये पुरस्कार रिफाइनिंग एंड पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी बैठक (आरपीटीएम) / ऊर्जा तकनीकी बैठक (इटीएम) के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किए जाते हैं।

5.5.13. कार्यकलाप समिति की बैठकें

नवीनतम घटनाओं के बारे में सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं, सुधारों और सूचना के प्रसार को साझा करने के उद्देश्य से, सीएचटी ने रिफाइनिंग क्षेत्र और पाइपलाइनों के संचालन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों / रिफाइनरी क्षेत्रों में तकनीकियों / अनुसंधान एवं विकास / पाइपलाइनों / पर्यावरण / परिचालन में विभिन्न कार्यकलाप समिति की ऑनलाइन बैठकों और वेबिनारों का आयोजन किया।

वर्ष के दौरान ओएमसी के साथ "ईंधन और हानि और ऊर्जा अनुकूलन / रोटरी उपकरण–रखरखाव और स्थिरता / पर्यावरण और जल प्रबंधन / हाइड्रोजन और हाइड्रो–प्रसंस्करण" पर समिति की बैठक आयोजित की गई। सीएचटी द्वारा वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही में कच्चे पेट्रोरसायन, इलेक्ट्रोलाइजर्स और जैव ईंधन पर वेबिनार भी आयोजित किए है।

5.5.14. वैश्विक निविदा पूछताछ (जीटीई)

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने, जीएफआर में, 2017 के कार्यालय ज्ञापन, एमओएफ, डीओई मिसिल.सं.12/17/2019–पीपीडी के माध्यम से संशोधन किए गए थे। आगे से जीएफआर 161 (4) को जीएफआर 161 (4) (बी) के रूप में संशाधित किया गया है कि ''200 करोड़ तक की निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा पूछताछ (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी या विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय (डीओई) निर्धारित की जा सकती है। तदनुसार, 200 करोड़ से कम की निविदा के लिए जीटीई के लिए छूट की मांग के लिए विभिन्न ओपीएसयू से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों की समीक्षा की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) और ईमेल के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों से स्पष्टीकरण मांगा गया। ऑनलाइन प्रस्ताव भी, ई–मेल के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें मैसर्स आईओसीएल, बीपीसीएल, एमआरपीएल, सीपीसीएल, एचपीसीएल, एनआरएल, गेल, बीसीपीएल और सीएचटी से फ्लोटिंग जीटीई के लिए छूट की मांग की गई थी। 22 मार्च तक 495 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 414 पर कार्रवाई हो चुकी है और उन्हें मंत्रालय को भेज दिया गया है।

5.5.15. तेल एवं गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों के लिए स्वच्छता रैंकिंग

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसके संलग्न कार्यालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तेल एवं गैस सीपीएसई ने 1 से 15 जुलाई, 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान, तेल और गैस सीपीएसई और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संलग्न कार्यालयों को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित स्वच्छता सूचकांक के आधार पर रैंक दिया गया था। 11 मार्च, 2022 को माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी मंत्री द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

अध्याय 04

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को तेल उद्योग विकास बोर्ड के उपकर व अन्य नवीन संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. **अपस्ट्रीम क्षेत्र**

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा अनुदान सहायता के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना/परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने और तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जा सकता है। तद्नुसार, तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में एक समिति महानिदेशक, डीजीएच, की अध्यक्षता में और सदस्यों में सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड (एफआईपीआई) हैं, का गठन किया गया।

समिति, प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

परियोजनाओं की पुनरीक्षा

उपरोक्त समिति समय–समय पर अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं के अधिक कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

3. **डाउनस्ट्रीम क्षेत्र**

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य विभिन्न तेल उद्योग क्षेत्रों से संबंद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है। सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और उनमें वित्त पोषण करने में वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है।

4. **तकनीकी संस्थानों/तेल उद्योग के सार्वजनिक उपक्रमों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता**

तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं जैसे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई, भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद और राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों की मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए भी तेल उद्योग विकास बोर्ड सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृत किया है :–

(रूपये करोड़ में)

1	पानीपत रिफाइनरी में रिफाइनरी ऑफ गैसों का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन संयंत्र– इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	55.37
2	फोम सहायक तेल जल के नैनो–इमल्शन द्वारा तेल रिकवरी का प्रायोगिक और आणविक गतिशील सिमुलेशन अध्ययन–आईआईटी (भारतीय खनि विद्यापीठ) धनबाद	0.27
3	वैक्सी क्रूड के प्रवाह के लिए पोर प्वाइंट डिप्रेसेंस के रूप में प्राकृतिक अर्क का उपयोग– आईआईटी,भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम) धनबाद	0.06
4	आईएसपीआरएल चरण–2 एसपीएम की परियोजनाओं –पूर्व गतिविधियां	8.04

4.1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर एंड डी) पानीपत रिफाइनरी में गैसों का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन संयंत्र – 55.37 करोड़ रुपये

गैस किण्वन प्रक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन युक्त गैस धाराओं से इथेनॉल और अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए भरोसेमंद तकनीकी में से एक हैं। इस तकनीक द्वारा स्टील मिल ब्लास्ट फर्नेस की कार्बन मोनो ऑक्साइड (सीओ), रिफाइनरियों की हाइड्रोजन उत्पादन ईकाइयों के पीएसए से निकली बाहय गैसों और गैसीकरण प्रक्रिया से उत्पन्न सिनगैसों का उपयोग कर इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। मैसर्स लैंजाटेक, यूएसए गैस किण्वन प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणीय है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैसर्स लैंजाटेक की गैस किण्वन तकनीक पर आधारित अपनी पानीपत रिफाइनरी में हाइड्रोजन उत्पादन इकाई (एचजीयू) से उत्सर्जित गैसों से दुनिया के पहले इथेनॉल उत्पादन संयंत्र को स्थापित कर रहा है। इस संयंत्र में उत्पादित इथेनॉल का उपयोग भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार गैसोलीन के साथ सम्मिश्रण के लिए किया जाएगा। इस तकनीक में, एचजीयू की प्रेशर स्विंग एडजोरपशन (दबाव डालते हुए सोखना) इकाई की बाहय गैसों में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को लैंजाटेक के स्वामित्व वाले सूक्ष्म जीवों (बायोकैटालिस्ट्स) द्वारा इथेनॉल और अन्य उत्पादों में बदल दिया जाता है। प्रस्तावित संयंत्र की इथेनॉल उत्पादन क्षमता प्रति दिन 100 टन (128 किलोलीटर प्रति दिन, केएलपीडी) है। यह संयंत्र उप–उत्पाद के रूप में प्रति दिन लगभग 3.5 टन उच्च प्रोटीन बायोमास भी उत्पन्न करेगा जिसे पशु आहार सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

आईओसीएल दुनिया की पहली तेल शोधन कंपनी है जिसने बहिर्गैसों को इथेनॉल में बदलने के लिए इस तकनीक को अपनाया है। यह संयंत्र 11,600 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। एचजीयू पीएसए बर्हिगैसों से इथेनॉल उत्पादन की योजना का प्रारूप निम्नलिखित है।

गैस किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके एचजीयू पीएसए बर्हि गैसों से इथेनॉल उत्पादन का योजनाबद्ध आरेख

कोविड–19 महामारी के कारण, संयंत्र की स्थापना में देरी हुई और अगस्त, 2022 माह के अंत तक यांत्रिक कार्य पूरा होने की संभावना है। संयंत्र की कमीशनिंग सितंबर/अक्टूबर, 2022 तक होने की संभावना है। 753.89 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत में से, ओआईडीबी ने जैव ईंधन नीति के अनुसार इथेनॉल सम्मिश्रण मैनेड को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के लिए 158.75 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया है।

4.2 तेल रिकवरी बढ़ाने के लिए फोम असिस्टेड ऑयल–वाटर नैनोइमल्शनः प्रायोगिक और आणविक गतिशील सिमुलेशन अध्ययन, पेट्रोलियम इंजिनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ), धनबाद–0.27 करोड़ रुपये

नैनोइमल्शन नैनो और माइक्रो पैमाने पर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हैं जिससे उनके मैक्रोस्कोपिक व्यवहार प्रभावित होता हैं और जिससे तेल प्राप्ति में उनका अनुप्रयोग होता हैं। नैनोइमल्शन चरण का उच्च पृष्ठ–आयतन अनुपात संपर्क में आए तरल पदार्थों की अंतःक्रिया को अधिकतम करता है। उच्च स्थिरता और छोटी बूंद का आकार, उन्हें जलाशय क्षेत्र में सक्रिय एजेंटों के कुशल वितरण के लिए उपयुक्त बनाता है। उच्च स्थिरता तथा कम चिपचिपाहट की विशेषताओं के साथ बड़ी परिस्थितियों में भी बिना ह्रास हुए पदार्थ के अन्तः प्रक्षेपण की गारंटी देता है। ईओआर प्रक्रियाओं के लिए नैनोइमल्शन का प्रयोग अवशिष्ट तेल की वसूली में आईएफटी में कमी, नमी परिवर्तन, बेहतर रियोलॉजी, कच्चे तेल का पायसीकरण और पारगम्यता में सुधार करता है। नैनोइमल्शन द्वारा बढ़ी हुई तेल वसूली की प्रक्रिया का एक योजनाबद्ध आरेखण चित्र 1 में नीचे दिया गयाहै।

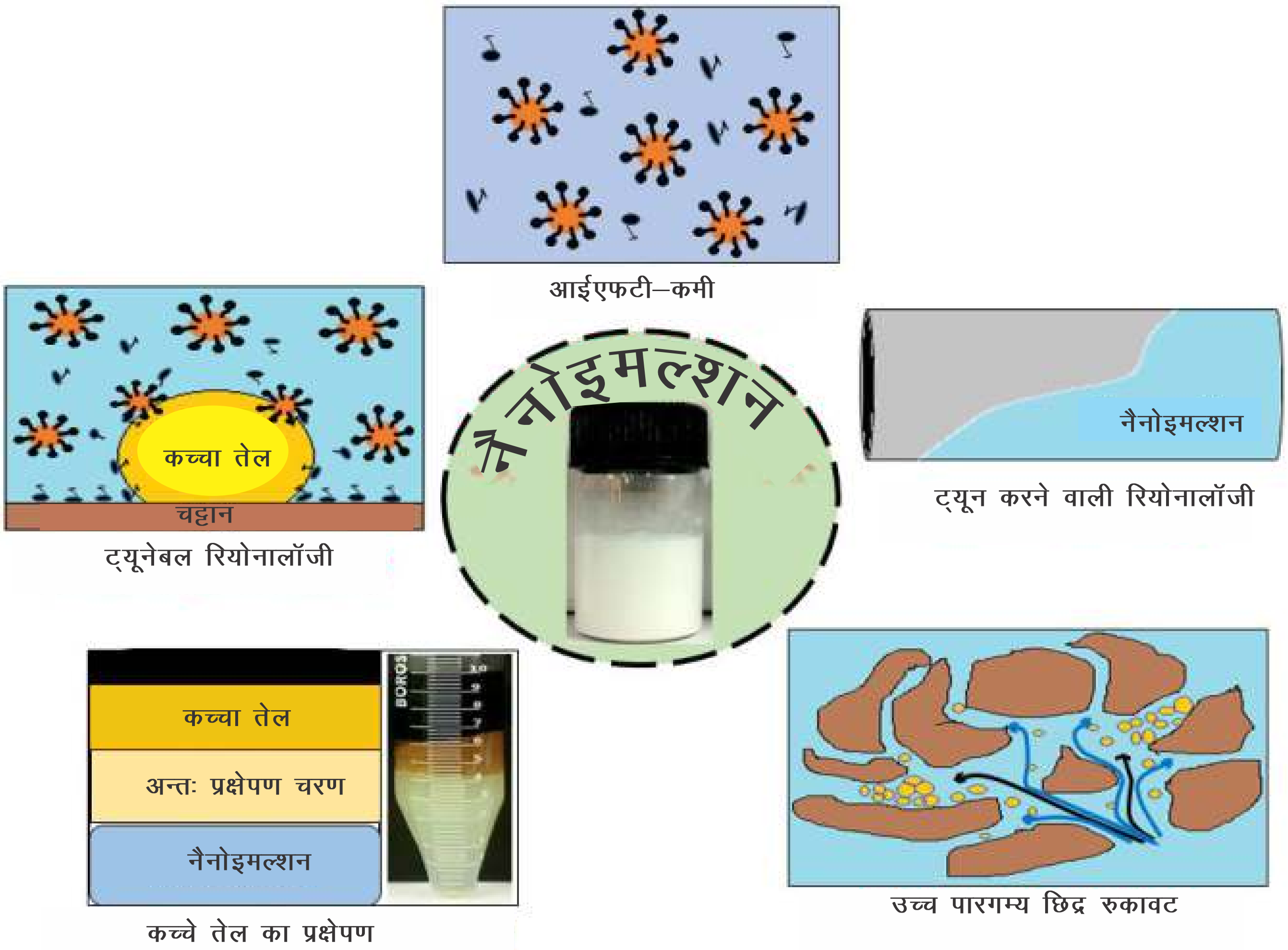

नैनोइमल्शन प्रवाह के तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला योजनाबद्ध आरेख

पृष्ठ–संक्रियक के अन्तःक्षेपण के दौरान झरझरे मीडिया के माध्यम से पारंपरिक इमल्शन प्रवाह उस स्थान पर इमल्शन गठन के कारण होता है, जहां फंसे हुए तेल को प्रभावी ढंग से घोलने के लिए बड़ी मात्रा में सर्फेक्टेंट और अशांत प्रवाह की आवश्यकता होती है। फंसे हुए कच्चे तेल के साथ स्थिरता, बूंदों का आकार, आईएफटी ह्रास की दक्षता गठित तरल की मिश्रणीयता और लवणता की संरचना पर अत्यधिक निर्भर करते हैं इसलिए उस स्थान पर इमल्शन के गुण काफी अनिश्चित होते हैं। इस प्रकार, इन अनिश्चितताओं से बचने और सर्फेक्टेंट स्लग को नैनोइमल्शन स्लग में बदलने के लिए, अंतःक्षेपण से पहले नैनोइमल्शन गुणों का अनुकूलन होना बढ़ी हुई तेल वसूली प्राप्त करने के लिए अत्यधिक जरूरी है। निम्नलिखित चार्ट सैंडपैक सिस्टम में अंतःक्षेपित किए गए नैनोइमल्शन के प्रवाह के प्रदर्शन को दर्शाता है।

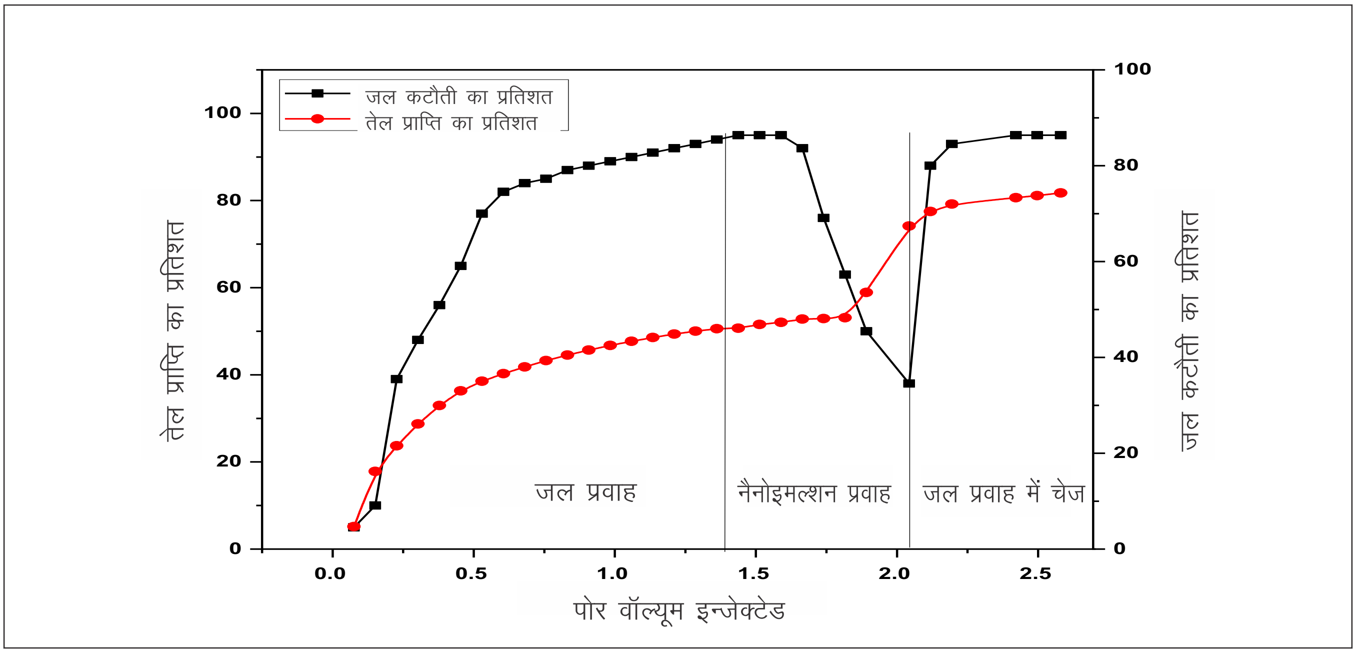

सैंड–पैक सिस्टम में नैनोइमल्शन प्रवाह का प्रदर्शन

स्थिर तेल/पानी नैनोइमल्शन के सफल निरूपण और विवरण और इमल्शन की स्थिरता अध्ययन की उपलब्धि की जांच उच्च और निम्न ऊर्जा विधि द्वारा की गई। डीएलएस परिणाम (18–31 एनएम छोटी बूंद आकार) बूंदों की निरंतर ब्राउनियन गति के कारण नैनोइमल्शन की गतिज स्थिरता में वृद्धि का संकेत देते हैं। पानी और तेल (ओ/डब्ल्यू) के नैनोइमल्शन की विशेषताएं, प्राथमिक और द्वितीय पुनर्प्राप्ति के बाद जलाशय चट्टानों के महीन छिद्रों से फंसे हुए तेल की वसूली में इसके सफल उपयोग का सुझाव देती हैं। नैनोइमल्शन के अंतःप्रक्षेपण से पारंपरिक जल प्रवाह के बाद ओओआईपी की 28.94 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली प्राप्त हुई।

4.3 मोमी क्रूड के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पोर प्वांइट डिप्रेसेंट्स के रूप में प्राकृतिक अर्क का उपयोग–पेट्रोलियम इंजिनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद–0.06 करोड़ रुपये

अपस्ट्रीम पेट्रोलियम उद्योगों में मोम का जमाव प्रवाह संबंधी एक गंभीर मुद्दा है। कच्चा तेल डामर,मोम, राल, सुगंधित और विभिन्न अधातु यौगिकों, जैसे सल्फर और फॉस्फोरस से बना होता है। ज्यादा ठंडे वातावरण में, मोम क्रिस्टल एक 3डी नेटवर्क आकृति का गठन कर तेल को एकत्रित करते हैं और पाइपलाइन में अवक्षेपण द्वारा प्रवाह को अवरूद्ध करते हैं। परिणामस्वरूप, पाइपलाइन की भीतरी छोटी सतह पर अत्यधिक दाब पैदा होता है जिसमें प्रवाह संबंधी समस्या पैदा होती है और कभी–कभी लंबा शट–डाउन करना पड़ता है। प्रवाह को फिर से शुरू करने के लिए पेट्रोलियम उद्योगों को बहुत सारा धन और समय लगाना पड़ता है।

जमें मोम को हटाने के लिए कई लोकप्रिय तरीके जैसे स्क्रैपिंग, स्क्रैचिंग, गर्म तेल और गर्म पानी का संचालन आदि हैं, लेकिन ये यांत्रिक तरीके अत्यधिक महंगे और समय लेने वाले हैं। लंबी श्रृंखला वाले बहुलक योजक जिसे पोर प्वांइट अवसादक (पीपीडी) कहते हैं, एक मोम

क्रिस्टल संशोधक है, जो मोम क्रिस्टल के जमाव को कम करता है और कच्चे तेल की चिपचिपाहट को कम करके कच्चे तेल की प्रवाह क्षमता में सुधार करता है। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोफोबिक भाग (सी नम्बर 15–25) मोम क्रिस्टलों तथा पीपीडी के ध्रुवीय समूह जैसे एसीटेट, एक्रिलेट्स, एनहाइड्राइड्स के साथ क्रिस्टलीकृत होकर मोम के 3डी इंटरलॉकिंग नेटवर्क के गठन में बाधा उत्पन्न करते हैं। बहुलक संरचना जितना अधिक बारीकी से पैराफिन घटक से मेल करती है, उतना ही बेहतर पोर प्वाइंट को कम करने में दक्षता मिलती है। विशिष्ट कच्चे तेल के लिए विशिष्ट प्रकार के प्रवाह सुधारक की आवश्यकता होती है। हाल के वर्षों में, शोधकर्ता प्राकृतिक–संसाधन–आधारित जैव–एडिटिव्स विकसित करने में लगे हुए हैं जो कि कम लागत में, पर्यावरण अनुकूल हैं।

वर्तमान अध्ययन को, इंडियन क्रूड ऑयल में मोम के जमाव के अध्ययन और प्राकृतिक संसाघनों से विभिन्न पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स (पीपीडी) के डिजाइन, विकास और कच्चे तेल पर इन पीपीडी की प्रभावशीलता की जांच पर केंद्रित करना चाहते हैं। चूंकि पीपीडी प्राकृतिक संसाधनों से संश्लेषित होते हैं, इसलिए ये नवीनीकरण, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल हैं। उत्पादन लागत कम करने के लिए प्राकृतिक अपशिष्ट सामग्री को प्रारंभिक सामग्री के रूप में चुना जाता है।

दो प्रकार के प्रवाह सुधारकों,सेल्यूलोज नैनोक्रिस्टल के साथ तिल के तेल के पेंटाइल एस्टर (एसओपीई–एससीबी) और शिकाकाई एक्सट्रैक्ट (एसई) को संश्लेषित किया गया।

सेल्युलोज नैनोक्रिस्टल का संश्लेषण तीन चरणों ऑर्गनोसोल प्री–ट्रीटमेंट, ब्लीचिंग और एसिड हाइड्रोलिसिस में किया गया था। लगभग 225 ग्राम धुली, सूखे गन्ने की खोई (एससीबी) को 195 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे लिए EtOH/H2O के (1:10) सममोलर मिश्रण के साथ प्रतिवाहित किया गया। प्रतिवाह प्राप्त सेल्युलोज लुगदी को 1 भार प्रतिशत से धोया गया और उसके बाद तटस्थता प्राप्त होने तक आसुत जल से धोया गया। ऑर्गनोसोल प्री–ट्रीटेड सेल्युलोज पल्प को 500 मिली 4 प्रतिशत NaOH घोल और 100 मिली 25 प्रतिशत H_2O_2 के साथ कई बार ब्लीच किया गया और इस प्रक्रिया को दो बार दोहराया गया। ब्लीच किए हुए सेल्युलोज पल्प को 300 मिली 40 प्रतिशत (वी/वी) सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 5–6 घंटे के लिए मजबूत प्रक्षोभ के साथ हाइड्रोलाइज कर, ठंडे पानी (5 गुना अधिक) में रख कर 3 दिनों के लिए डायलाइज किया गया। तिल के बीज का तेल पेंटानॉल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए NaOH की उपस्थिति में रिफ्लक्स किया गया था, इस प्रक्रिया से प्राप्त उत्पाद तिल के बीज को तेल के पेंटाइल एस्टर (एसओपीई) को कीप से ग्लिसरॉल को अलग करके, गर्म पानी से धोया गया। 200 ग्राम तिल के बीज के तेल पेंटाइल एस्टर (एसओपीई) और लगभग 10 ग्राम सेल्युलोज नैनो क्रिस्टल (एससीबी) के बीच एस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया ठोस– तरल अनुपात (1:20), में K_2CO_3 (MeOH में घुला हुआ) की उपस्थिति में निर्धारित समय (5,10,15,20 और 30 घंटे) तक 100 से 1200 सेल्सियस पर की गई। प्राप्त एस्टर तिल के बीज का तेल पेंटाइल एस्टर–सेल्युलोज नैनो क्रिस्टल (एसओपीई–एससीबी) की अशुद्धता को दूर करने के लिए उसे 12 घंटे के लिए एन–हेक्सेन के साथ सॉक्सलेट किया गया।

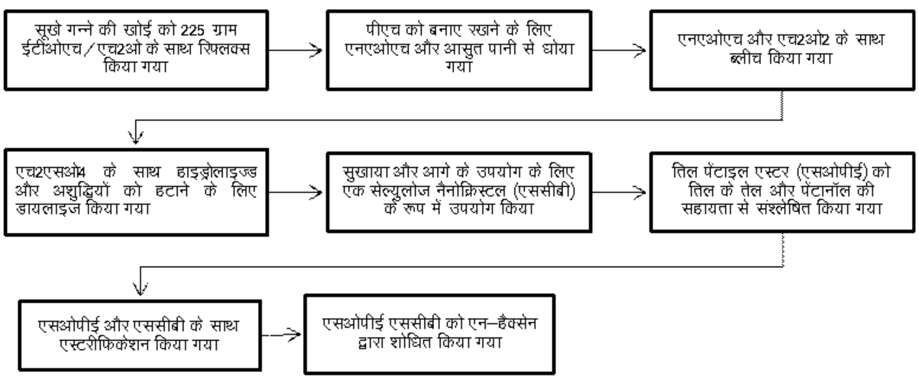

सेल्युलोज नैनोक्रिस्टल के साथ संशोधित तिल के बीज के तेल पेंटाइल एस्टर के संश्लेषण का फ्लो चार्ट

शिकाकाई फलों के छिलके को 55 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए गर्म हवा के ओवन में, सुखाया गया व नमी को खत्म करने के लिए 6 घंटे के लिए 40 डिग्री सेल्सियस पर वैक्यूम ओवन में रखा गया। फिर लगभग 25 ग्राम सूखे फल के छिलके को ईटीओएच (1:10 भार/वोल्यूम प्रतिशत) के साथ 500 सेल्सियस पर 48 घंटे के लिए एक सॉक्सलेट उपकरण में निष्कासित तथा फिल्टर कर एक रोटरी वाष्पीकरण में वाष्पित किया गया। प्राप्त भूरे रंग के कच्चे उत्पाद को शिकाकाई अर्क (एसई) के रूप में जाना जाता है।

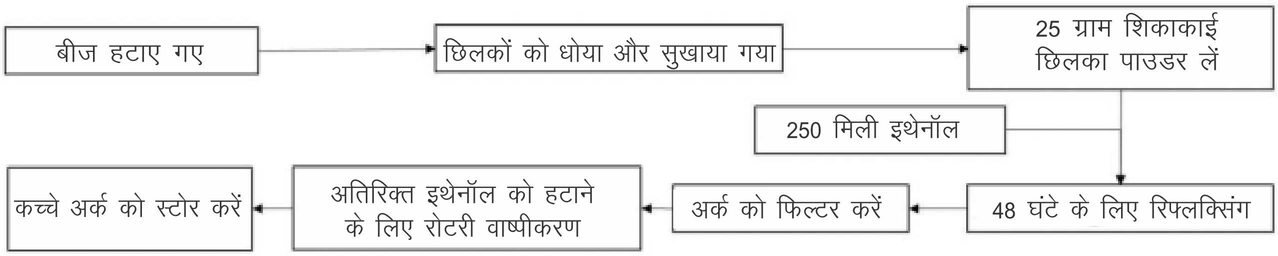

एसई निष्कर्षण का फ्लो चार्ट

मोमी कच्चे तेल की चिपचिपाहट और अन्य रियोलॉजिकल व्यवहार पर तापमान का प्रमुख प्रभाव पड़ता है। तापमान के साथ चिपचिपाहट में भिन्नता का प्रयोग 30–50 डिग्री सेल्सियस की सीमा में किया गया और चित्र 1 में दिखाया गया है। एसई को मिलाने से पहले और बाद में तापमान सीमा (30 से 50 डिग्री सेल्सियस) कच्चे तेल के चिपचिपाहट गुणों का 0.1 से 1,000 प्रति सेंकड की भिन्न अपरूपण की दर पर निर्धारण किया गया।

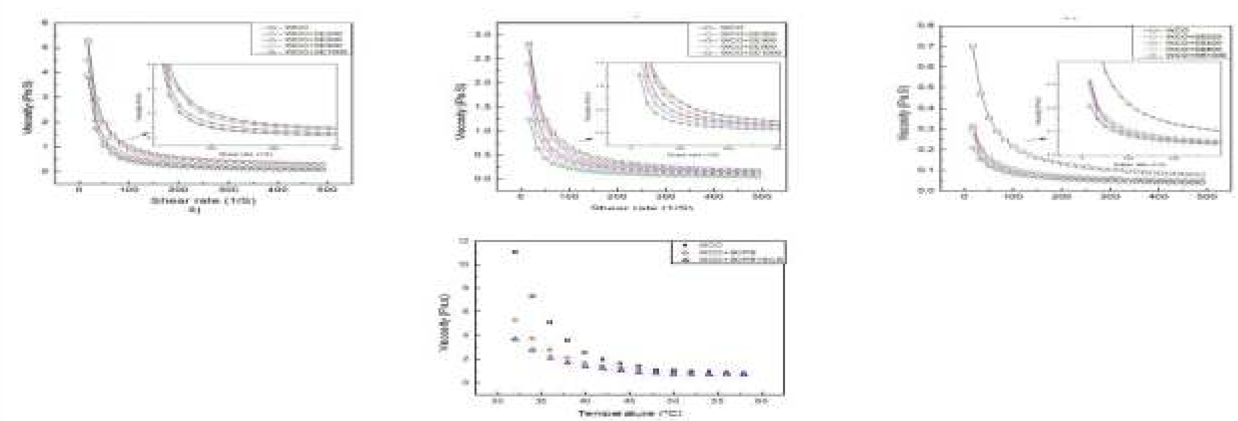

विभिन्न तापमानों पर सान्द्रता के साथ चिपचिपाहट भिन्नता

कच्चे तेल प्रवाह आश्वासन में नैनोसेल्यूलोज (एसओपीई) और शिकाकाई अर्क (एसई) के साथ संशोधित तिल के बीज के तेल पेंटाइल एस्टर की प्रभावशीलता का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया। 2000 पीपीएम एसओपीई–एससीबी से मोमी कच्चे तेल के उपचारित होने के बाद, चिपचिपापन 32 डिग्री सेल्सियस पर 66.55 प्रतिशत कम हो गया और तापमान बढ़ने के साथ चिपचिपाहट में कमी का प्रतिशत बढ़ गया। मोमी कच्चे तेल की चिपचिपाहट में अधिकतम कमी 93.83 प्रतिशत तक प्राप्त की गई जब इसे 2000 पीपीएम एसओपीई–एससीबी के साथ 58 डिग्री सेल्सियस पर उपचारित किया गया। दूसरी ओर, 1000 पीपीएम एसई उपचारित मोमी कच्चे तेल की चिपचिपाहट 30 डिग्री सेल्सियस पर 73.09 प्रतिशत कम हो गई और मोमी कच्चे तेल को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बिना पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स के चिपचिपापन में 74.94 प्रतिशत की कमी पाई गई। प्राप्त हुए मोम के जमाव की मोटाई 71.36 प्रतिशत कम हो गई थी, जब मोमी कच्चे तेल को 2 घंटे के प्रतिधारण समय पर 2000 पीपीएम एसओपीई–एससीबी के साथ उपचारित किया गया और 1000 पीपीएम एसई के 4 घंटे प्रयोग के बाद जमाव की मोटाई 75.04

प्रतिशत कम हो गई। एसई और एसओपीई–एससीबी उपचारित कच्चे तेल की प्रवाह क्षमता में चिपचिपापन और पोर प्वांइट को कम करके सुधार किया गया। क्रॉस पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप के माध्यम से जांच से इस बात की पुष्टि की गई कि मोम क्रिस्टल की संख्या पर्याप्त रूप से कम पाई गई। एसओपीई–एससीबी के 2000 पीपीएम और एसई बायो–एडिटिव के 1000 पीपीएम के साथ उपचार के बाद पोर पॉइंट 12 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस तक प्रभावी ढंग से कम पाया गया।

4.4 आईएसपीआरएल चरण–II एसपीएम की परियोजनाओं की पूर्व गतिविधियां– रु8.04 करोड़

8 जुलाई 2021 को, कैबिनेट सचिवालय ने चांदीखोल, ओडिशा (4 एमएमटी) और पादुर II, कर्नाटक (2.5एमएमटी) में चरण II के तहत वाणिज्यिक सह सामरिक पेट्रोलियम भंडार के विकास के लिए और पर पीपीपी मोड के तहत निर्मित, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार समर्पित एसपीएम और संबंधित पाइपलाइनों के विकास के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2019–20 के खपत डेटा के अनुसार, इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में 12 दिनों की और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

दोनों स्थानों पर द्वितीय चरण के लिए, आईएसपीआरएल भारत सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करेगा और एक बार भूमि अधिग्रहण हो जाने के बाद, इसे एकल चरण बोली के माध्यम से सफल बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा। रियायतग्राही कच्चे तेल का निर्माण करेगा, उसे भरेगा और उसका संचालन करेगा। दोनों स्थानों यानी चंडीखोल, ओडिशा और पादुर II, कर्नाटक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

सरकार के निर्देश पर, ओआईडीबी ने कुल 19 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है, जिसमें से 8.04 करोड़ रुपये एसपीआर परियोजना के चरण–II की पूर्व–परियोजना गतिविधियों के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान प्रदान किए गए। ओआईडीबी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से, आईएसपीआरएल ने चरण 2 के लिए निम्नलिखित कार्यों को करना शुरू किया:

1) मैसर्स डेलॉइट को लेन–देन संबंधी सलाहकार सेवाओं के कार्यों को आंबटित किया गया।

2) मैसर्स डीएसके/मैसर्स एजेडबी पार्टनर को आईएसपीआरएल को कानूनी सहायता प्रदान करने और लेन–देन सलाहकार की सहायता प्रदान करने के कार्यों के लिए आंबटित किया गया।

3) रोड शो जिसमें परामर्श प्रक्रिया शामिल है और संभावित बोलीदाताओं मेसर्स डेलॉइट के साथ आमने–सामने बातचीत।

4) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नागपुर को चंडीखोल, ओडिशा और पादुर में प्रस्तावित भूमिगत रॉक कैवर्न के लिए जोखिम मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए कार्य आदेश दिए गए थे।

5) चंडीखोल परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले दानकारी हिल्स के हिस्से के अध्ययन के लिएमिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के लिए कार्य आदेश।

6) पादुर में कैवर्न साइट चरण–II के कैडस्ट्राल सर्वेक्षण के लिए मैसर्स मैपटेक कंसल्टेंट को कार्य आदेश।

7) पादुर में एसपीएम के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य ईआईएल को सौंपा गया था।

8) डीएफआर तैयार करने की आवश्यकता के रूप में, ईआईएल को निम्नलिखित निविदाएं जारी करने और प्रदान करने की आवश्यकता थी:

क) समुद्री सर्वेक्षण निविदाएं, अपतटीय पाइपलाइन मार्ग सर्वेक्षण निविदाएं और समुद्री मॉडलिंग अध्ययन

ख) तटवर्ती पाइपलाइन मार्ग सर्वेक्षण निविदाएं

ग) ईआईए के लिए आधारभूत डेटा का संग्रह

5 हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है। भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए के एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है:

1	तेउविबो	40 करोड़ रुपए
2	ओएनजीसी, आईओसी, गेल	16 करोड़ रुपए प्रत्येक
3	एचपीसीएल, बीपीसीएल	6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है । हाइड्रोजन परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी निगरानी के लिए सीएचटी, नोडल ऐजेंसी है। स्थापना के बाद से 31 मार्च 2022 तक, ओआईडीबी ने एचसीएफ फंड में एचसीएफ परियोजनाओं के वित पोषण के लिए 42.82 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। 31.3.2022 तक एचसीएफ के पास 160.37 करोड़ रुपए (लगभग) का कुल कॉपर्स उपलब्ध हैं। एचसीएफ के अन्तर्गत चालू परियोजनाएं निम्नानुसार हैः–

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	एचसीएफ से अंशदान	एचसीएफ से 31.03.2022 तक जारी राशि	कार्यान्वयन एजेंसी
1	प्राकृतिक गैस के उत्प्रेरक अपघटन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के अध्ययन और प्रक्रिया विकास को बढ़ावा देना	29.46	16.92	1.33	एचपीसीएल/ आईआईटीडी/ सीईएनएस
2	सोलर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली और हाइड्रोजन ईंधन सैल वाहन के लिए ईंधन भरने वाले वितरण स्टेशन	65.16 25.00 एचसीएफ 40.16 आईओसी	25.00	0.00	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
3	दिल्ली में राजघाट बस डिपो में हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के उत्पादन की 4 टीपीडी क्षमता की कॉम्पैक्ट रिर्फामर यूनिट की स्थापना और परीक्षण का प्रदर्शन	33.39 9.20 एचसीएफ 9.20 आईओसी 15.00 करोड़– दिल्ली सरकार	9.20	7.64	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
4.	बहुखंडीय मार्ग से उत्पादित हाइड्रोजन पर आधारित व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ईंधन सैल बसों का विकास और प्रदर्शन	296.66	97.52	11.10	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
	कुल	424.67	148.64	20.07	

अध्याय 05

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल)

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल का भंडार बनाने का निर्णय लिया था। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नाम का एसपीवी शुरु में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। बाद में 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। कैवर्न का निर्माण विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) स्थानों पर किया जा रहा है।

इस सामरिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत का मूलतः सितम्बर, 2005 में 2397 करोड़ रूपये आँका गया जो अब संशोधन के बाद 4098.35 करोड़ हो गया। कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी 31.03.2022 को क्रमशः 3832.56 करोड़ रूपये एवं 3790.05 करोड़ रूपये है। तेउविबो की आईएसपीआरएल में इक्विटी प्रतिभागिता 31.03.2022 तक 3790.05 करोड़ रूपये की है।

निर्माणाधीन पादुर कैवर्न

1.1 <u>आईएसपीआरएल फेस –I</u>

कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) कार्यक्रम के पहले चरण के तहत, सरकार ने आईएसपीआरएल के माध्यम से तीन स्थानों पर 5.33 एमएमटी की कुल क्षमता के साथ एसपीआर सुविधाओं का निर्माण किया है अर्थात विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) एवं पादुर (2.5 एमएमटी)। एसपीआर के पहले चरण का कुल भंडार वर्तमान में भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता के लगभग 9.5 दिनों की आपूर्ति किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

सभी तीनों सुविधाएं अर्थात विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर क्रमशः जून 2015, अक्टूबर 2016 और दिसंबर 2018 में चालू कर दी गई हैं। इन तीनों सुविधाओं को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 10 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

आईएसपीआरएल क्रूड पहली बार मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के लिए आईएसपीआरएल मैंगलोर कंदराओं से अगस्त 2019 में जारी किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2019 में पादुर सुविधा से भी एमआरपीएल को कच्चा तेल जारी किया गया।

सचिव, एमओपीएनजी ने विजाग कैवर्न का निरीक्षण किया

एडनोक मॉडल :

निजी निवेश के रूप में, मैंगलोर साइट में एक कैवर्न को भरने के लिए फरवरी 2018 में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक निर्धारित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । तदनुसार, एडीएनओसी ने समझौते की शर्तों के अनुसार अपने फंड का उपयोग करके वर्ष 2018 में दास ग्रेड क्रूड के 5.86 मिलियन बैरल के साथ कैवर्न को भर दिया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एडीएनओसी मॉडल के संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस आशय के एक और लेटर पर दिनांक 24.02.2022 को हस्ताक्षर किए गए।

आईएसपीआरएल मैंगलोर में डीसीएमपी ड्रिल

वाणिज्यीकरण : एमआरपीएल और एचपीसीएल द्वारा आईएसपीआरएल से क्रूड उठाया जाना

मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को वाणिज्यीकरण कार्यों के लिए कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) के प्रथम चरण के तहत निर्मित किए गए पेट्रोलियम भंडार के हिस्से का उपयोग करने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से निम्नलिखित को मंजूरी प्रदान की गई है :–

आईएसपीआरएल को एसपीआर कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत कंदराओं में संग्रहीत कच्चे तेल के साथ निम्नलिखित वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देकर आईएसपीआरएल का व्यावसायीकरण अर्थात।

क) कैर्वनों की कुल तेल भंडारण क्षमता का 30 प्रतिशत भारतीय या विदेशी कंपनियों को इस शर्त के साथ पट्टे पर देना/किराए पर देना कि किसी भी आपात स्थिति में, भारत सरकार का कंदराओं में स्थित कच्चे तेल के पूरे भंडारण पर पहला अधिकार होगा।

ख) कैर्वनों की समग्र तेल भंडारण क्षमता के 20 प्रतिशत भाग का भारतीयों कंपनियों को विक्रय/क्रय।

आईएसपीआरएल ने अगस्त 2021 से राज्य द्वारा संचालित रिफाइनरियों एचपीसीएल एवं एमआरपीएल को क्रूड जारी करना शुरू कर दिया है। अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक जारी की गई कुल मात्रा इस प्रकार है।

आईएसपीआरएल मैंगलोर से एमआरपीएल को	–	0.75 एमएमटी
एचपीसीएल को आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम से	–	0.43 एमएमटी

इस प्रकार से, एचपीसीएल और एमआरपीएल को कच्चा तेल बेचने/देने से 2968 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

अध्याय 06

अन्य पहल / गतिविधियां

1. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों का कल्याण।**

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, ई डब्ल्यू एस और दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग जन के आरक्षित कोटे के उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है। वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

2. **महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण :**

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' की सुनवाई और शिकायतों का निवारण करने हेतु तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 16 कर्मचारियों में 3 महिलाकर्मी हैं।

3. **सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:**

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को सवंर्धित करने में सदा प्रयासरत रहा है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/करार द्विभाषी हैं। राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर, तेउविबो में 14.09.2021 से 28.09.2021 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे भाषा ज्ञान, श्रुतलेख, समाचार वाचन, निबंध तथा दोहा प्रतियोगिता आदि आयोजित की गईं।

हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

- तेउविबो ने अपनी आंतरिक वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन जारी रखा। वर्ष के दौरान, इसके 18वें अंक का ई–पत्रिका के रूप में विमोचन किया गया। इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विशय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के साथ इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है। पत्रिका को तेल क्षेत्र के उपक्रमों तथा ओआईडीबी के अनुदानी संगठनों में प्रसारित किया जाता है।

- हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने में अधिकारियों की सहायता करने तथा ऐसा करने में उनकी झिझक को दूर करने के उद्देश्य से नियमित हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। सभी अधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया और इन कार्यशालाओं में दिए गए सुझावों से लाभान्वित हुए। इसके परिणामस्वरूप, हिंदी पत्राचार का प्रतिशत काफी बढ़ गया है।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को वर्ष 2021–22 के लिए 'क' क्षेत्र में स्थित बोर्ड और स्वायत्त निकायों आदि के बीच उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी द्वारा 14 सितम्बर, 2021 को हिन्दी दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान किया गया।

तेल उद्योग विकास बोर्ड की ओर से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी से 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए डॉ. निरंजन कुमार सिंह, सचिव तेल उद्योग विकास बोर्ड

4. वर्ष के दौरान, तेल उद्योग विकास बोर्ड ई–कैलेन्डर 2022 भी जारी किया गया।

5. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 21 जून 2021 को ''अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 2021'' का ऑनलाइन आयोजन, तेउविबो भवन, नोएडा में किया गया। तेउविबो भवन, नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' में भाग लिया।

6. 47वां स्थापना दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 13 जनवरी, 2022 को अपना 47वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में तेउविबो के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के कार्मिक तेउविबो भवन, में उपस्थित थे।

7. **स्वच्छता पखवाड़ा समारोह**

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 01.07.2021 से 15.07.2021 के दौरान ''स्वच्छता पखवाड़ा'' मनाया गया पखवाड़े के दौरान तेउविबो में स्वच्छता पर शपथ, स्वच्छता पर व्याख्यान, '' प्लास्टिक का उपयोग ना करें'' विषय पर व्याख्यान और स्वच्छता किट का वितरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरुकता अभियान तथा गतिविधियों की समीक्षा आदि का आयोजन ओआईडीबी में किया गया।

8. **सूचना का अधिकार अधिनियम**

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में अक्षरशः लागू किया गया है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम–2005 भारत सरकार के दिनांक 15 जून, 2005 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में लागू किया गया है। आरटीआई अधिनियम की अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ओआईडीबी पहले से ही डीओपीटी की आरटीआई पोर्टल से जुड़ी हुई है जहां आरटीआई आवेदन ऑनलाइन प्राप्त/हस्तांतरित व निस्तारित किये जाते है। सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) एवं अनुभाग अधिकारी क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी नोडल अधिकारी तथा जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

वर्ष 2021–22 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 4 अभ्यावेदन/प्राप्तियां तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्राप्त हुए। प्राप्त हुए इन सभी 4 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर निर्धारित समय सीमा में प्रेषित कर दिए गए।

अध्याय 07

वार्षिक लेखे 2021—22

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

कॉपर्स /पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कॉपर्स/पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियॉं	2	1103530	1099769
चिन्हित/अक्षय निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित जमा देनदारियॉं	6	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	7130	8829
योग		**1200900**	**1198838**
परिसम्पत्तियॉं			
अचल परिसम्पत्तियॉं (नेट ब्लॉक)	8	6943	7638
प्रगतित कार्य	8	50	50
निवेश – चिन्हित/अक्षय निधि	9	-	-
निवेश – अन्य	10	384039	382621
चालू परिसम्पत्तियॉं, ऋण, अग्रिम आदि	11	809869	808530
विविध खर्चे (जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			-
योग		**1200900**	**1198838**
लेखा संबंधी विशेष नितियॉं	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखो पर टिप्पणियॉं	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

हस्ता/–
(राजेश कुमार सैनी)
उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

हस्ता./–.
(डॉ नवनीत मोहन कोठारी)
सचिव

दिनांकः 27.06.2022
स्थानः नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एव व्यय खाता

(रुपये लाख में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	-	-
फीस/अभिदान	14	-	-
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	16	1475	369
अर्जित ब्याज	17	44216	54866
अन्य आय	18	3519	794
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढ़ोत्तरी/(कमी)	19	-	-
योग (क)		**49210**	**56029**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	454	385
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	21	1543	1095
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	37174	40738
भुगतान किया गया ब्याज	23	–	-
राज्य सरकारों को रायल्टी	24	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त मे अनुसूची 8 के अनुसार निवल योग)	8	579	704
योग – ख		**39750**	**42922**
खर्च पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		9459	13107
घटाए: आयकर के लिए प्रावधान		4043	5687
विशेष आरक्षित निधि में स्थानान्तरण (प्रत्येक का उल्लेख करे)			
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		-	-
आधिक्य के शेष को कॉपर्स/पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		**5416**	**7420**
विशेष लेखा नीतियॉं	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियॉं	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

हस्ता/–
(राजेश कुमार सैनी)
उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

हस्ता./–.
(डॉ नवनीत मोहन कोठारी)
सचिव

दिनांक: 27.06.2022
स्थान: नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–1 (रुपये लाख में)

कॉपर्स / पूँजीगत निधि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोड़ें: कॉपर्स / पूंजीगत निधि में योगदान		-	-	
जोड़ें / (घटाएं): आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरित शुद्ध आय / (व्यय) की शेष राशि		-	-	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

अनुसूची–2 (रुपये लाख में)

आरक्षित एवं अधिशेष निधियॉं	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. पूंजीगत आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार			-	
वर्ष के दौरान जमा			-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी			(-)	
2. पुन:मूल्यांकन आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार			-	
वर्ष के दौरान जमा			-	
घटाए: वर्ष के दौरान कमी			(-)	
3. विशेष आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार			-	
वर्ष के दौरान जमा			-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी			(-)	
4. सामान्य आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार		1099769		1092349
वर्ष के दौरान जमा / परिवर्धन / अपमार्जन				
(i) व्यय पर आय से अधिक्य	5416		7420	
(ii) घटाएं: कर प्रावधान आदि का समायोजन	1655	3761	0	7420
कुल योग		**1103530**		**1099769**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–3 (रुपये लाख में)

चिन्हित/अक्षय निधि	विविध निधियों का विवरण				योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) निधि का प्रारंभिक शेष (ख) निधि में परिवर्धन (i) दान/अनुदान (ii) निधि के निवेश से आय (iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)	शून्य					
योग (क+ख)						
(ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग/खर्च (i) **पूँजीगत खर्चे** - अचल परिसम्पततियॉं - अन्य **योग:** (ii) **राजस्व खर्चे** - वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि - किराया - अन्य प्रशासनिक खर्चे **योग:**	शून्य					
योग (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क+ख–ग)-	-	-	-	-	-	

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–4 (रुपये लाख में)

आरक्षित ऋण एव उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान क) आवधिक ऋण ख) अर्जित एवं प्राप्य ब्याज 4. बैंक क) आवधिक ऋण – अर्जित एवं प्राप्य ब्याज ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) . – अर्जित एवं प्राप्य ब्याज 5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी 6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 7. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–5 (रुपये लाख में)

आरक्षित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान 4. बैंक: (क) आवधिक ऋण (ख) अन्य ऋण (उल्लेख करे) 5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी 6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 7. सावधि जमा 8. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–6 (रुपये लाख में)

अस्थगित जमा देनदारियां	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बंधक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियॉ (ख) अन्य	शून्य	
योगः		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–7 (रुपये लाख में)

चालू देयता एवं प्रावधान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियॉ				-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए				-
(ख) अन्य			-	–
3. प्राप्त अग्रिम				-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
(क) जमानती ऋण/उधार			-	
(ख) गैरजमानती ऋण/उधार		-	-	
5. सांविधिक देयताएं				
(क) अतिशोध्य			-	
(ख) अन्य			-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	0		0	
ख) आय कर/टीडीएस/वर्कस कॉन्ट्रेक्ट देय कर	25		11	
ग) ठेकेदारों को देय	129		178	
घ) अन्य (i) बकाया– 13.14 लाख				
(ii) अन्य बिल– 2705 लाख				
(iii) अन्य– रुपये 16.86 लाख	2735		2791	
ड) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	48		107	
च) रुकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दर (ठेकेदारों को देय)	39	2976	38	3126
योग (क)		**2976**		**3126**
(ख) प्रावधान				
1. करों के लिए		4043		5602
2. ग्रेच्यूटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण	107		97	
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
6. अन्य–लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधान		4		4
योग (ख)		**4154**		**5703**
योग (क+ख)		**7130**		**8829**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–8
स्थाई परिसम्पत्तियां

(रुपये लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1.4.2021 से आरंभ वर्ष में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियॉं	31.3.2022 वर्ष के अन्त में लागत / मूल्यांकन	1.4.2021 से वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	()31.3.2022 को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग	31.3.2022 को चालू वर्ष के अन्त में	31.3.2021 को पूर्व वर्ष के अन्त में
क स्थाई परिसम्पत्तियॉं										
1. भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टे पर										
द्वारका भूमि	995	0	56	940	0	0	0	0	940	995
नोएडा भूमि	899	0	0	899	148	10	0	158	741	751
2. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टे वाली भूमि पर	10228	0	85	10143	6237	396	54	6579	3564	3991
(ग) स्वामित्व मकान / परिक्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नहीं है	32	0	0	32	22	1	0	22	10	10
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	2955	4	0	2959	2309	97	0	2407	552	646
4. वाहन	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0
5. फर्नीचर , फीक्सर्च	3171	0	0	3171	1952	122	0	2074	1097	1219
6. कार्यालय उपकरण	65	17	0	82	49	4	0	53	29	16
7. कम्प्यूटर / बाह्य उपकरण	70	4	1	74	65	2	0	67	7	5
8. विद्युत संस्थापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. अन्य स्थिर परिसम्पत्तियॉं	27	0	0	27	22	1	0	23	4	5
चालू वर्ष का योग:	18447	25	141	18331	10809	633	54	11388	6943	7638
गत वर्ष:	18444	49	48	18446	10095	720	7	10808	7638	8347
ख पूंजीगत चालू कार्य	50	0		50	0	0	0	0	50	50

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–9 (रुपये लाख में)

चिन्हित/ अक्षय निधि से निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियॉं		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियॉं		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	शून्य	
5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–10 (रुपये लाख में)

अन्य निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियॉं	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियॉं	-	-
3 शेयर	-	-
बीको लॉरी लिमिटेड	5034	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	-	
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम (आईएसपीआरएल)	379005	377587
6. अन्य (उल्लेख करें)		-
योग :	**384039**	**382621**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–11 (रुपये लाख में)

चालू परिसम्पत्तियॉं,ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. चालू परिसम्पत्तियॉं				
1. इन्वेनटरी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक– इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगति कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. फुटकर देनदारी				
क) छः महीने से ज्यादा बकाया देनदारियॉं	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. कुल नकद शेष (इसमें चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)	0		0	0
4. बैंक शेष				
क) अधिसूचित बैंकों के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर (एफडीआर में)	523033		10405	
– बचत खातों पर	638	523671	66	10471
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर	-		-	
– बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाक घर– बचत खाते		-		-
योग (क)		**523671**		**10471**
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियॉं				
1. ऋण				
क) स्टाफ	6		9	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयॉं (अनुलग्नक II)	246817		762109	
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-		-	
		246823		**762118**
2. अग्रिम एवं अन्य राशियॉं जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्य है				
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम तथा संघटन अग्रिम)	0		0	
ख) अग्रिम किराया	222		218	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर, टीडीएस तथा एम एम सैल, प्रतिभूति जमा)	20982	**21204**	22666	**22884**
3. उपार्जित आय				
क) चिन्हित/अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	5472		11	
ग) ऋण एवं अग्रिम	2817		2819	
घटाएंः संदिग्ध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षों में किया)	2711		2711	
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	0	**5578**	0	**119**
4. वसूली योग्य दावे				
i) (विरोध के तहत भुगतान किया गया कर)	12560		12896	
ii) प्राप्य राशि	33	**12593**	42	**12938**
योग (ख)		**286198**		**798059**
योग (क+ख)		**809869**		**808530**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–12 (रुपये लाख में)

बिक्री/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय क) तैयार माल की बिक्री ख) कच्चे माल की बिक्री ग) खंडित माल की बिक्री 2. सेवाओं से आय क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति) ड.) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग:		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–13 (रुपये लाख में)

अनुदान/सहायता	चालू वर्ष	गत वर्ष
(अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता) 1) केंद्रीय सरकार 2) राज्य सरकारें 3) सरकारी एंजेंसियॉ 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–14 (रुपये लाख में)

शुल्क / अभिदान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क 2. वार्षिक शुल्क / अंशदान 3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क 4. परामर्शदाता शुल्क 5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–15 (रुपये लाख में)

शुल्क / अभिदान	निवेश से		निवेश– अन्य	
निवेशों से आय	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(चिन्हित / अक्षय निधियों से निवेश पर आय) 1. ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 2. लाभांश क) शेयरों पर ख) मयूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर 3. किराया 4. अन्य	शून्य			
योग :				
चिन्हित / अक्षय निधियों में स्थानांतरण				

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–16

रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय

(रुपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3 अन्य – डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	1475	369
योगः	**1475**	**369**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–17

अर्जित ब्याज

(रुपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंकों के पास (सावधि जमा)	8388	425
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) संस्थानों के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातो पर :		
क) अधिसूचित बैंकों के पास	60	16
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) डाक घर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टॉफ	0	0
ख) तेल कम्पनियॉ	35765	53516
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
(क) चल अग्रिम पर ब्याज		
(ख) प्रतिभूति जमा पर ब्याज	3	-
(ग) आय कर विवरणी पर ब्याज	-	909
योगः	**44216**	**54866**
टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	**4746**	**4086**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–18

(रुपये लाख में)

अन्य आय

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिससम्पत्तियॉ	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पत्तियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	-
4. पूर्व अवधि की आय	-	-
5. विविध आय		
(i) किराए से आय – रू. 158	3519	794
(ii) बिना खर्च हुए अनुदानें आदि की वापसी– रू. 2073		
(iii) विविध तुलनों की लिखित वापसी– रू. 1288		
योग :	**3519**	**794**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–19

(रुपये लाख में)

तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार में वृद्धि/कमी	चालू वर्ष	गत वर्ष
माल और कार्य प्रगति	शून्य	
क) अन्तिम स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति		
ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति		
निवल जमा (घटा) (क+ख)		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–20 (रुपये लाख में)

स्थापना खर्चे	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	376	298
ख) भत्ते एवं बोनस	7	6
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	30	55
ड.) चिकित्सा खर्चों सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	23	25
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	17	0
छ) अन्य	1	1
योग :	**454**	**385**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–21

(रुपये लाख में)

अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		चालू वर्ष	गत वर्ष
क) क्रय		20	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे		0	0
ग) गाड़ी तथा भाड़ा		0	0
घ) विद्युत तथा बिजली		369	370
ड) जल प्रभार		2	1
च) बीमा		11	11
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		440	151
ज) उत्पाद कर		0	0
झ) किराया, दरें तथा कर		25	25
ञ) गाड़ियों का चालन एवं रखरखाव		27	22
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार		14	7
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री		6	5
ड) विविध खर्चे		14	6
ढ) सम्मेलनों/कार्यशालाओं पर खर्चे		3	6
ण) अभिदान खर्चे		2	0
त) शुल्क पर खर्चे		0	0
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		1	4
द) आतिथ्य खर्चा		0	0
ध) व्यावसायिक प्रभार		29	74
न) संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चे		0	0
फ) पैकिंग प्रभार		0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे		0	0
भ) संवितरण खर्चे		0	0
म) विज्ञापन तथा प्रचार		1	2
अन्य –पूर्व अवधि व्यय	56	580	410
अन्य	524		
योग:	**580**	**1543**	**1095**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–22

(रुपये लाख में)

अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान (अनुलग्नक III–ए)	36370	40143
ख) सरकार/ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए सहायता (अनुलग्नक III–बी)	803	595
योग :	**37174**	**40738**
टिप्पणी – अनुलग्नक III (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान/सब्सिडी राशि इंगित की गई है।		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–23

(रुपये लाख में)

भुगतान किया गया ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) स्थाई ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
योग :	**0**	**0**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2022 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–24

(रुपये लाख में)

राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
अरूणाचल प्रदेश सरकार	0	0
गुजरात सरकार	0	0
योग :	**0**	**0**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण व्यावहारिक रीति

वित्तीय विवरणपत्र, अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्‌भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. स्थाई परिसम्पत्तियाँ

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। निर्माण संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार " मूल्यह्रास पद्धति" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोत्तरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को पूर्ण रूप से समायोजित कर किया गया है।

5. सरकारी अनुदान/सब्सिडी –

अनुदान, विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों को देय रॉयल्टी यदि कोई हो, जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, को छोड़कर, नकद के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. आय

व्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पत्तियाँ वह हैं जिन पर आय 90 दिन के बाद अदेय नहीं रहती है। अनुदान के एवज में प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर है।

7. विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. लीज़

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर की जा रही है।

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड
मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:–

(क) 31 मार्च 2022 की ट्रेसेस (आयकर विभाग) से डाउनलोड डिफॉल्ट सारांश के आधार पर टीडीएस (TRACES) खातों के बकाया दावे 6.95 लाख रुपये है।

(ख) विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के पास अपीलें लंबित हैं, का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र0 स0	निर्धारण वर्ष	धारा 271(1) (सी) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति	धारा 143(3) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति
1	2008-09	4.52	निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए अर्थ दंड को सीआईटी (ए) द्वारा निरस्त कर दिया गया है।	5.63	आईटीएटी ने अपील को निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ फैसला दिया है। प्रभावी अपील निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है।
2	2009-10	-	-	17.74	मामला आईटीएटी द्वारा एओ को बहाल किया गया है और आज तक कोई अन्य नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
3	2010-11	22.77	सीआईटी (ए) ने निर्धारिती के पक्ष में फैसला दिया है।	28.97	मामला आईटीएटी द्वारा एओ को बहाल किया गया है और आज तक कोई अन्य नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
4	2011-12	-	-	4.90	अपील सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है।
5	2012-13	-	-	20.51	आईटीएटी द्वारा राजस्व अपील खारिज कर दी गई है। और अपील के प्रभावी निर्धारण अधिकारी के पास लंबित है।
6	2013-14	-	-	3.85	अपील सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है।
7	2014-15	-	-	14.71	अपील सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है।
8	2017-18	-	-	35.90	सीआईटी (ए) ने निर्धारिती के पक्ष में आदेश पारित किया है और अपील प्रभावी निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है।
	कुल योग	**27.29**		**132.21**	

(ग) ओआईडीबी के खिलाफ मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (गोदरेज) द्वारा ओआईडीबी भवन के जी+3 ब्लॉक के आंतरिक कार्यों के लिए जारी कार्य आदेश में उल्लिखित राशि से कम भुगतान और कटौती के संबंध में रुपये 180.41 लाख का मध्यस्थता दावा दायर किया गया। उक्त मध्यस्थता मामले में, ओआईडीबी ने मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा काम पूरा करने में देरी होने से किराए के नुकसान, जिसमें रखरखाव और बिजली शुल्क भी शामिल है, के लिए रू0. 384 लाख का प्रति दावा दायर किया।

मध्यस्थ ने 30.01.2021 के निर्णय द्वारा गोदरेज के 62.78 लाख रूपये के दावे को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ सहमति प्रदान की और ओआईडीबी के प्रति दावे पर विचार करने से इन्कार कर दिया। ओआईउीबी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय को चुनौती दी। हालांकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आदेश दिनांक 16.09.2019 के द्वारा गोदरेज को दी गई राशि को बरकरार रखा और आगे कहा कि ओआईडीबी के प्रतिदावे पर विचार किए बिना उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने ओआईडीबी को कानून के तहत अपने प्रतिदावे को आगे बढ़ाने की सहमति दी। तदानुसार, ओआईडीबी ने मध्यस्थ से ओआईडीबी के प्रतिदावे की सम्पूर्ण राशि को समायोजित करने का अनुरोध किया।

विद्वान मध्यस्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम एक सुनवाई की और यह कहते हुए अपने आप को अलग कर लिया कि वह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, और ओआईडीबी किसी अन्य वैकल्पिक मध्यस्थ को नियुक्त कर सकता है। तदानुसार, ओआईडीबी की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जसमीत कौर को एक पूर्ण मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया और ओआईडीबी ने विद्वान मध्यस्थ के समक्ष काउंटर दावा दायर किया है और मैसर्स गोदरेज को उसका उत्तर देना है।

2. वचन बद्धताएँ

पूंजीगत

क) भुगतान के लिए रूपये 28.40 लाख (लगभग) के अन्तिम बिलों पर, पीएमसी और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण के अभाव में विचार नहीं किया गया है।

ख) ओआईडीबी ने मार्च 2022 के अंत तक, ओआईडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मैसर्स इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को संचयी आधार पर 379005 लाख रुपये (गत वर्ष 377587 लाख रुपये) का भुगतान किया। कंपनी, पहले ही ओआईडीबी के डीमैट खाते में रूपये 37900546700/– के 10/– रुपये प्रति शेयर के 3790054670 शेयर प्रमाणपत्र आबंटित कर जारी कर चुकी है।

3. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लारी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउविबो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढकर रूपये 50.34 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33 प्रतिशत है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित कर बीएलएल की इक्विटी पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति भी दी थी। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुक्सान होगा क्योंकि रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी 4.93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल में इक्विटी पूंजी की कमी के कारण होने वाले तेउविबो के घाटे को बट्टे खाते में डालने के लिए तेउविबो/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13, के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को सीसीईए द्वारा दिए गये अनुमोदन के अनुसार, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने सामान्य नियम एवं शर्तों में रियायत देते हुए बीएलएल को रुपये 86.65 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जिससे बीएलएल के बंद होने के कारण उत्पन्न देयताएं जैसे वीआरएस की लागत, सांविधिक देयताओं का भुगतान जैसे बीएलएल कर्मचारियों का बकाया वेतन, आकस्मिक देयतायें आदि प्रदान की जा सके। रुपये 86.65 करोड़ में से, ओआईडीबी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 71.77 करोड़ रुपये एवं वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 14.88 करोड़ रुपये बीएलएल को जारी किए हैं। कंपनी बंद करने के बाद बीएलएल की चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री की राशि, प्राप्त होने के बाद ही आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, ओआईडीबी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 27.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए (बीएलएल की बंद गतिविधियों के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से अभिरक्षक के रूप में)। इसके उपयोग संबंधी सलाह का इंतजार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है।

ख) केनफिना से 2443 लाख रूपये तथा बीको लॉरी लिमिटेड से 268 लाख रूपये से वसूले जाने वाले ब्याज के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित केनफिना मामलों पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली अभी भी संदिग्ध है, अतः मौजूदा लेखा अभ्यास के अनुसार इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य कोई राशि दर्शायी गई है। आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को भी किराए के भुगतान से मुक्त रखा गया है।

घ) तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, सुविधा प्रबंधन, विद्युत तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

4. कर निर्धारण–चूँकि तेउविबो कृत्रिम क्षेत्राधिकार वाले व्यक्ति के रूप में आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

5. तुलनपत्र की अनुसूची 25 के खण्ड 6 की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार बीएलएल से वर्ष 2021–22 के दौरान ब्याज के रूप में प्राप्त रूपये 95.14 लाख को आय में नहीं दर्शाया गया है।

6.(i) आईसीएआई द्वारा जारी एएस–15 के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के गठन के प्रावधानों के तहत बोर्ड ने दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना का गठन किया।

;ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग से आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी के तहत अपनी दो योजनाओं क्रमशः "तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना में अंशदान के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

7. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां तक लागू हो अनुपालन किया गया है।

8. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

9. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकड़ें को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

हस्ता/–
(राजेश कुमार सैनी)
उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

हस्ता./–.
(डॉ नवनीत मोहन कोठारी)
सचिव

दिनांकः 27.06.2022
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक–I
(सन्दर्भ अनुसूची 26, नोट सं 4(क))

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31–03–2022 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(रुपये लाख में)

विवरण	अनुसूची सं.	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
ब्याज आय	17	44216	54866
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16 एवं 18	4994	1163
योग':		**49210**	**56029**
खर्चे			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22 एवं 24	37174	40738
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	454	385
प्रशासनिक खर्चे	21	1543	1095
अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास रूपये 633	8	579	704
घटाएं–गत वर्ष चुकाया गया ऋण रूपये 54			
योग':		**39750**	**42922**
वर्ष के लिए लाभ		**9459**	**13107**
कर पूर्व शुद्ध लाभ		**9459**	**13107**
घटाएं: कर के लिए प्रावधान		**4043**	**5687**
कर पश्चात् शुद्ध लाभ, तुलनपत्र में स्थानान्तरित		**5416**	**7420**
विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	25 एवं 26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

हस्ता/–
(राजेश कुमार सैनी)
उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

हस्ता./–.
(डॉ नवनीत मोहन कोठारी)
सचिव

दिनांक: 27.06.2022
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक–II
(सन्दर्भ अनुसूची– 11(ख)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2022 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	1.4.2021 को आरंभिक शेष	वर्ष 2021 –22 के दौरान संवितरित ऋण	वर्ष 2021–22 के दौरान वापस किए गए ऋण	31.03.2022 को अंतिम शेष
1	आईओसीएल	58700	-	58700	-
2	बीपीसीएल	78975	-	78975	-
3	एचपीसीएल	285000	-	275000	10000
4	बीसीपीएल	89321	-	78397	10924
5	बीएलएल	9865	-	-	9865
6	एमआरपीएल	52725	-	13475	39250
7	गेल गैस लिमिटेड	33773	-	1995	31778
8	सीपीसीएल	53750	-	8750	45000
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	100000	-	-	100000
	कुल	**762109**	**-**	**515292**	**246817**

अनुलग्नक– ।।। (क)
(सन्दर्भ अनुसूची– 11(ख)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2022 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.		संस्थान का नाम	2021-22	2020-21
	क	**नियमित अनुदानी संस्थान**		
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	21035	17684
2		पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ	3805	6000
3		उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान	1629	1525
4		पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	2347	2205
5		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	1985	2288
		योग (क)	**30801**	**29702**
	ख	**अनुसंधान एवं विकास अनुदान**		
1		आईओसीएल	5537	10338
2		ओएनसीजी लिमिटेड	0	41
3		आईआईटी आईएसएम धनबाद	33	62
		योग (ख)	**5570**	**10441**
		योग (क+ख)	**36370**	**40143**

अनुलग्नक – ।।। (ख)
(सन्दर्भ अनुसूची– 22)

भारत सरकार/ते.उ.वि.बो द्वारा प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं पर वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय

(रुपये लाख में)

क्रम सं.		संस्थान का नाम	2021-22	2020-21
1		इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड	803	595
		कुल योग (ग)	**803**	**595**

अनुलग्नक–2
(सन्दर्भ अनुसूची– 11(ख)

31–03–2022 को समाप्त हुए वर्ष में प्राप्त आय और भुगतान

(रुपये लाख में)

प्राप्तियां	2021-22	2020-21	भुगतान	2021-22	2020-21
1. प्रारंभिक शेष			**1. खर्चे**		
क) नकद	0.01	0.02	क) स्थापना व्यय	366.69	367.29
ख) बैंक राशि	-	-	ख) प्रशासनिक व्यय	1,089.86	1,046.74
1) चालू खाता	-	-			
2) जमा खाता	-	-	2.विभिन्न परियोजना के लिए निधियों के विरूद्ध किया गया भुगतान		
3) बचत खाता	65.73	8,589.32	क) आईआईटी को अनुदान	32.60	61.98
			ख) आईएसपीआरएल को अनुदान	803.41	594.91
			ग) ओएनजीसी को अनुदान	-	41.30
2. प्राप्त अनुदान			घ) सीएचटी को अनुदान सहायता	1,628.68	1,519.23
क) भारत सरकार से	-	-	ड) डीजीएच को अनुदान सहायता	19,640.00	17,300.00
ख) राज्य सरकार से	-	-	च) ओआईएसडी को अनुदान सहायता	1,984.72	2,279.80
ग) अन्य स्त्रोतों से	-	-	छ) पीसीआरए को अनुदान सहायता	3,805.00	5,980.16
			ज) पीपीएसी को अनुदान सहायता	2,347.21	2,204.80
			झ) आईओसीएल को अनुदान सहायता	5,537.00	10,338.00
3. निवेश से आय					
क) स्थाई निवेश	167,899.00	79,060.00	**3. ऋण और एफडीआर में किया निवेश**		
ख) स्वयं की पूंजी (अन्य निवेश)	516,546.88	107,132.25	क) स्थाई जमा	680,527.00	74,365.00
			ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)	2,673.38	124,337.00
4. प्राप्त ब्याज			4. अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क) बैंक जमा पर			क) अचल संपत्तियों की खरीद	1.79	2.88
ख) ऋण अग्रिम आदि	35,764.60	53,515.75	ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय	-	-
ग) बचत खाता	12.00	17.82			
घ) सावधि जमा पर	2,390.71	469.31	**5. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी**		
			क) भारत सरकार को	-	-
			ख) राज्य सरकार को	-	-
5. अन्य आय			ग) अन्य प्रदाओं के लिए निधि	-	11,318.67
क) किराए से आय	132.07	415.71			
ख) स्थाई सम्पत्ति से	0.33	0.37	**6. वित्त प्रभार (ब्याज)**		
ग) संस्थापन से	3.38	-			
घ) प्रशासन से	4.15	-			
ड) डेटा बिक्री से	79.56	-			
च) ऋण पूर्व भुगतान से प्रभार	2,446.23	-	**7. अन्य भुगतान**		
छ) ऋण समपरिवर्तन से प्रभार	1,520.28	-	क) व्यावसायिक प्रावधान	17,784.00	-
			ख) अन्य देयताएं	6,733.79	6,824.58
6. उधार राशि					
ऋण और अग्रिम	18,728.67	8,983.79	**8. शेष राशि**		
			क) नकद	0.01	0.01
			ख) बैंक बैलेंस		
7. अन्य प्राप्तियों			1) चालू खाता में	-	-
व्यय ना किए गए अनुदान की वापसी	-	463.74	2) जमा खाता में	-	-
अन्य विविध प्राप्तियां	-	-	3) बचत खाता में	638.46	65.73
योग	**745,593.60**	**258,648.08**	योग	**745,593.60**	**258,648.08**

अध्याय 08

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन।

हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2022 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महा लेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉं तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2 इस पृथक, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमित्तता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण/प्रतिवेदनों/सीएंडएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

4. लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा वर्ष 2007 में भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित किए गए सामान्य प्रारूप के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में जैसाकि हमारे निरीक्षण में लगा कि तेउविबो द्वारा उचित लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं, कि:

लेखों पर टिप्पणियां :

(क) तुलनपत्र

क. (1) निवेश – अन्य (अनुसूची 10) : 3,84,039.00 लाख रुपये

मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी न करने के कारण उपरोक्त राशि 5034.00 लाख अधिक हो गई है। मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड का संचयी घाटा 18,917.94 (अनंतिम) लाख रुपये था और 11,410.92 लाख (अनंतिम) रुपये का ऋणात्मक निवल मूल्य था।

परिणामस्वरूप ''व्यय से अधिक आय'' राशि उसी कथित राशि से अधिक है।

पिछले वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों के निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया गया है।

क. (2) चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) : रुपये 8,09,869.00 लाख रुपये

उपर्युक्त उल्लिखित राशि में रुपये 9,865.00 लाख की अधिकता है क्योंकि :

(i) मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए रुपये 1200 लाख के ब्रिज लोन का गैर–प्रावधान, हालांकि किश्तों का भुगतान आने वाला नहीं था।

(ii) वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से प्राप्त ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित खर्च को पूरा करने के लिए मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए, 8,665.00 लाख रुपये के ऋणों का प्रावधान नहीं है।

31 मार्च, 2022 तक मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड का संचयी घाटा 18,917.94 (अनंतिम) लाख रुपये था और 11,410.92 लाख (अनंतिम) रुपये का ऋणात्मक निवल मूल्य था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की उचित निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।

परिणामस्वरूप, "आय की व्यय से अधिकता" भी 9,865.00 लाख रुपये है।

पिछले वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को दिए गए ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

ख. आय एवं व्यय लेखे

अन्य प्रशासनिक खर्चें आदि : 1,543 लाख रुपये

निम्नलिखित के कारण उपरोक्त को 31.43 लाख रुपये से कम करके आंका गया है:

ओआईडीबी ने 2020–21 में 'भूमि–पट्टाधारक नोएडा भूमि' से 47 लाख रुपये की राशि को वि–पूंजीकृत किया , जिसमें 21 लाख रुपये का अग्रिम पट्टा किराया शामिल है। 47 लाख रुपये की राशि भवन (पट्टे की जमीन पर) के तहत पूंजीकृत की गई थी। हालांकि बाद में यह देखा गया कि आय और व्यय खाते में 21 लाख रुपये (अग्रिम पट्टा किराया) चार्ज करने और लीज भूमि पर भवन में 26 लाख रुपये का पूंजीकरण करने के बजाय, ओआईडीबी ने 47 लाख रुपये की पूरी राशि को लीज भूमि पर बनाने में पूंजीकृत कर दिया है। इसके अलावा, अग्रिम पट्टा किराए की पूंजीकृत राशि पर मूल्यह्रास (2020–21 और 2021–22) के रूप में 3.99 लाख की राशि प्रभारित की गई है।

इसके परिणामस्वरूप लीजहोल्ड भूमि पर भवन के लिए 21 लाख रुपये, मूल्यह्रास पर 3.99 लाख की अधिकता, अन्य प्रशासनिक खर्चों को 21 लाख रुपये की कमतरता हुई और जिसके कारण व्यय से अधिक आय को 17 लाख रुपये अधिक बताया गया है।

यद्यपि उपरोक्त अवलोकन को लेखापरीक्षा द्वारा 2020–21 के खातों पर अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या बी 3 के माध्यम से इंगित किया गया था, इसे ओआईडीबी प्रबंधन द्वारा अभी तक सुधारा जाना बाकी है।

ग. अनुदान सहायता

वर्ष 2021–22 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(v) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(vi) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं जिन्हें उन पर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक में उल्लिखित विषय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, और एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहॉं तक यह दिनांक 31 मार्च 2022 को तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखों से संबंधित है, व्यय, आय से अधिक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

(सी.एम. साने)
महा निदेभाक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा मुम्बई

अनुलग्नक
(अनुच्छेद 4(v) के संदर्भ में)

1	आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता	ओआईडीबी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए मैसर्स वी.के. ढीगंरा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। उनके कार्यों में वार्षिक खातों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सहायता और कर सलाहकार सेवाएं शामिल थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2021–22 के प्रथम–द्वितीय त्रैमासिक और तृतीय–चतुर्थ त्रैमासिक) आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर (प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 30 दिनों के अन्दर) प्रस्तुत नहीं की गई। यहां तक कि, ओआईडीबी को तीसरी और चौथी तिमाही की रिपोर्ट लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणियों पर आपत्ति उठाने के बाद प्राप्त हुई।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	ओआईडीबी द्वारा अपने अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान का बड़ा हिस्सा उनके वेतन, भत्तों और अन्य नियमित प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अनुदान के उचित उपयोग की निगरानी के लिए अनुदानग्राही संस्थानों को ओआईडीबी द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा, में अपनी मासिक मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शीर्ष–वार अनुमोदित बजट और पिछले महीने तक किए गए व्यय और चालू माह की मांग का विवरण शामिल है। सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त होते हैं और अनुदान जारी करने से पहले अनुमोदित शीर्ष–वार बजट के अनुसार जांच की जाती है। क्योंकि अनुदान पिछले महीने तक जारी/उपयोग किए गए अनुदानों के उपयोग पर निर्भर करता है। इन विवरणों की संवीक्षा से ओआईडीबी यह सुनिश्चित करती है कि न तो व्यय बजट अनुदान से अधिक हो और न ही निधियों की निष्क्रियता रहे वित्तीय वर्ष के अंत में खातों के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ निर्धारित जीएफआर प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। बोर्ड को विभिन्न बैठकों में अनुदानों के उपयोग की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, सभी अनुदान प्राप्त संगठनों के बजट अनुमानों को ओआईडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी होती है। हालांकि, पिछले वर्ष के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली विकसित नहीं की गई है।
3	अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली	सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार जीएफआर प्रारूप–22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर को उचित तरीके से बनाए रखने के लिए, संपत्ति के वास्तविक सत्यापन और जीएफआर में परिभाषित निर्धारित प्रारूप में अचल संपत्ति रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य मैसर्स दीपक भार्गव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सौंपा गया था। वित्तीय वर्ष तक संपदा रजिस्टर 2021–22 को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है और संपत्ति का वास्तविक सत्यापन भी निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया जाता है। i) वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर (वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर) आउटसोर्स एजेंसी से प्राप्त नहीं किया गया है।

		ii) एजेंसी द्वारा तैयार की गई अचल संपति और संपति के स्थान और पहचानकर्ता स्थान के रजिस्टरों की जांच करने पर, संपति के अधिकांश शीर्ष में, अचल संपति रजिस्टर में दर्ज की गई मात्रा संपति के स्थान और पहचान रजिस्टर में दर्शायी गई मात्रा के समान नहीं थी। iii) अचल संपति रजिस्टर विद्युत प्रतिष्ठानों, पुस्तकालय की पुस्तकों, नलकूपों और पानी की आपूर्ति के संबंध में शून्य सकल ब्लॉक/शुद्ध ब्लॉक इंगित करता है जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था क्योंकि ओआईडीबी के पास लीज होल्ड भूमि में एक भवन है जिसमें विद्युत प्रतिष्ठान, नलकूप/जल आपूर्ति और समर्पित पुस्तकालय शामिल है। iv) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर को फिक्स रजिस्टर में शून्य के रूप में दिखाया गया है, जबकि ओआईडीबी ने नोएडा कॉलोनी में ओएनजीसी से दो फ्लैट खरीदे हैं। ओआईडीबी के पास मालसूची (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली नहीं है क्योंकि ओआईडीबी के पास शून्य इन्वेंटरी है
4	सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी करों और सांविधिक देय राशियों का भुगतान समय पर कर दिया गया है।

ह0/–

सी.एम.साने
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
मुम्बई

ओआईडीबी के वित्तीय वर्ष 2021–22 के खातों पर सी एंड एजी की लेखा परीक्षण संबंधी टिप्पणियां और ओआईडीबी की ओर से दिए गए उत्तर

क्र.सं.	लेखा टिप्पणियां	प्रत्युतर
क	**क.(1) निवेश – अन्य (अनुसूची 10) : 3,84,039.00 लाख रुपये** मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान न होने के कारण उपरोक्त राशि 5034.00 लाख अधिक हो गई है। मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड 18,917.94 (अनंतिम) लाख रुपये का संचयी घाटा हुआ था और 11,410.92 लाख (अनंतिम) रुपये का ऋणात्मक निवल मूल्य था। परिणामस्वरूप ''व्यय से अधिक आय'' राशि उसी कथित राशि से अधिक है। पिछले वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों के निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया।	लेखा परीक्षा को पहले भी सूचित किया गया था कि मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल), ने दिनांक 17.06.2015 के पत्र संख्या बीएलएल/एमडी/डीसीओ/2015–16/017 द्वारा सूचित किया था कि कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के सन्दर्भ में अक्टूबर 2015 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित कर दिया गया है और इसको ध्यान में रखते हुए, कंपनी की पूंजी में कमी करने को स्थगित किया गया है। चूंकि पिछले ऑडिट के बाद से स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा को यह भी बताया गया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की 10.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएलएल को बंद करने को मंजूरी दे दी है और बीएलएल के प्रशासनिक मंत्रालय जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, ने सीसीईए के फैसले को बीएलएल की पत्र संख्या पी 25011/103/2018–एलपीजी (VOl.II) दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए समयबद्ध समापन पर दिनांक 14.06.2018 को डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक सामने नहीं आया है। ओआईडीबी के पत्र दिनांक 7.10.2019 के माध्यम से लेखा परीक्षा को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था। दिनांक 19.03.2020 को हुई 100वीं बोर्ड की बैठक में, उक्त ऑडिट की टिप्पणियों के बारे में ओआईडीबी बोर्ड को अवगत करवाया था। बोर्ड ने निर्देश दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अवगत कराया जाए कि कंपनी को अंतिम रूप से बंद करने के पश्चात् बीएलएल की चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के बाद ही आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। बोर्ड को वित्त वर्ष 2019–20 एवं 2021–22 के लिए लेखापरीक्षा की टिप्पणियों से भी 102वीं और 104वीं बैठक में अवगत कराया गया था। इसके अलावा, इस संबंध में वार्षिक लेखा 2021–22 की अनुसूची 26 : लेखों पर टिप्पणियों में उचित प्रकटन कर दिया गया है।

क्र.सं.	लेखा टिप्पणियां	प्रत्युतर
क	क.(2) चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) : रुपये 8,09,869.00 लाख उपर्युक्त उल्लिखित राशि में रुपये 9,865.00 लाख की अधिकता है क्योंकि : (i) मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए रुपये 1,200 लाख के ब्रिज लोन का गैर–प्रावधान, हालांकि किश्तों का भुगतान आने वाला नहीं था। (ii) वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से प्राप्त ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित खर्च को पूरा करने के लिए मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए 8,665.00 लाख रुपये के ऋण का प्रावधान नहीं है। 31 मार्च, 2022 तक मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड 18,917.94 (अनंतिम) लाख रुपये का संचयी घाटा हुआ था और 11,410.92 लाख (अनंतिम) रुपये का ऋणात्मक निवल मूल्य था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की उचित निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी। परिणामस्वरूप, "आय की व्यय से अधिकता" भी 9,865.00 लाख रुपये है। पिछले वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को दिए गए ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।	लेखा परीक्षा को यह भी बताया गया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की 10.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएलएल को बंद करने को मंजूरी दे दी है और बीएलएल के प्रशासनिक मंत्रालय जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, ने सीसीईए के फैसले को बीएलएल की पत्र संख्या पी 25011 / 103 / 2018–एलपीजी (VOl.II) दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए समयबद्ध समापन पर दिनांक 14.06.2018 को डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक सामने नहीं आया है। ओआईडीबी के पत्र दिनांक 7.10.2019 के माध्यम से लेखा परीक्षा को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था। दिनांक 19.03.2020 को हुई 100वीं बोर्ड की बैठक में, उक्त ऑडिट की टिप्पणियों के बारे में ओआईडीबी बोर्ड को अवगत करवाया था। बोर्ड ने निर्देश दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अवगत कराया जाए कि कंपनी को अंतिम रूप से बंद करने के पश्चात् बीएलएल की चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के बाद ही आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में वार्षिक लेखा 2021–22 की अनुसूची 26 : लेखों पर टिप्पणियों में पहले ही उचित प्रकटन कर दिया गया है।
ख	**ख. आय एवं व्यय लेखे** अन्य प्रशासनिक खर्चें आदि : 1,543 लाख रुपये निम्नलिखित के कारण उपरोक्त को 31.43 लाख रुपये से कम करके आंका गया है: ओआईडीबी ने 2020–21 में 'भूमि–पट्टाधारक नोएडा भूमि' से 47 लाख रुपये की राशि को वि–पूंजीकृत किया , जिसमें 21 लाख रुपये का अग्रिम पट्टा किराया शामिल है। 47 लाख	जैसाकि कि पहले भी सूचित किया गया था कि ये लेनदेन वित्तीय वर्ष 2006–2007 से संबंधित है, जबकि प्लॉट संख्या 02 सेक्टर–73 पर निर्मित ओआईडीबी भवन को वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूंजीकृत किया गया था। स्थापित लेखांकन पद्धति के अनुसार, पूंजीकरण से पहले के सभी खर्चों को पूंजीकृत किया जाना चाहिए। चूकिं 21 लाख रुपये की अग्रिम लीज रेंट राशि पर व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 से संबंधित है

क्र.सं.	लेखा टिप्पणियां	प्रत्युतर
	रुपये की राशि भवन (पट्टे की जमीन पर) के तहत पूंजीकृत की गई थी। हालांकि बाद में यह देखा गया कि आय और व्यय खाते में 21 लाख रुपये (अग्रिम पट्टा किराया) चार्ज करने और लीज भूमि पर भवन में 26 लाख रुपये का पूंजीकरण करने के बजाय, ओआईडीबी ने 47 लाख रुपये की पूरी राशि को लीज भूमि पर बनाने में पूंजीकृत कर दिया है। इसके अलावा, अग्रिम पट्टा किराए की पूंजीकृत राशि के प्रति मूल्यह्रास (2020–21 और 2021–22) के रूप में 3.99 लाख की राशि प्रभारित की गई है। इसके परिणामस्वरूप लीजहोल्ड भूमि पर भवन को 21 लाख रुपये, मूल्यह्रास पर 3.99 लाख की अधिकता, अन्य प्रशासनिक खर्चों को 21 लाख रुपये की कमतरता हुई और व्यय से अधिक आय को 17 लाख रुपये अधिक बताया गया है। यद्यपि, उपरोक्त अवलोकन को लेखापरीक्षा द्वारा 2020–21 के खातों पर अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या बी 3 के माध्यम से इंगित किया गया था, इसे ओआईडीबी प्रबंधन द्वारा अभी तक सुधारा जाना बाकी है।	अर्थात वित्त वर्ष 2011–12 में ओआईडीबी भवन के पूंजीकरण से पहले, इसलिए 21 लाख रुपये का पूंजीकरण करके सही लेखांकन किया गया है। चूंकि, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, नोएडा भूमि से संबंधित सही लेखांकन दिया गया है, मूल्यह्रास को अधिक नहीं बताया गया है। लेखापरीक्षा को 2020–21 के लेखों पर उनकी टिप्पणी संख्या बी 3 के जबाव में उपरोक्त स्थिति के बारे में पहले भी सूचित किया गया था।
ग..	**अनुदान सहायता** वर्ष 2021–22 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।	वास्तविक स्थिति।

अनुलग्नक
(अनुच्छेद 4 (v) के संदर्भ में)

क्र.सं.	लेखा टिप्पणियां	प्रत्युतर
1	**आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता** ओआईडीबी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए मैसर्स वी.के. ढीगंरा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। उनके कार्यों में वार्षिक खातों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सहायता और कर सलाहकार सेवाएं शामिल थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2021–22 के प्रश्न 1–2 और प्रश्न 3–4) आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर (प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 30 दिनों के अन्दर) प्रस्तुत नहीं की गई थी। यहां तक कि, लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणियों पर आपत्ति उठाने के बाद भी ओआईडीबी द्वारा तीसरी और चौथी तिमाही के लिए रिपोर्ट प्राप्त की गई थी।	आंतरिक लेखा परीक्षक को भविष्य में निर्धारित समय सीमा के भीतर तिमाही आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।
2	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** ओआईडीबी द्वारा अपने अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान का बड़ा हिस्सा उनके वेतन, भत्तों और अन्य नियमित प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अनुदान के उचित उपयोग की निगरानी के लिए अनुदानग्राही संस्थानों को ओआईडीबी द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा, में अपनी मासिक मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शीर्ष–वार अनुमोदित बजट और पिछले महीने तक किए गए व्यय और चालू माह की मांग का विवरण शामिल है। सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त होते हैं और अनुदान जारी करने से पहले अनुमोदित शीर्ष–वार बजट के अनुसार जांच की जाती है। इन विवरणों की संवीक्षा से ओआईडीबी यह सुनिश्चित करती है कि न तो व्यय बजट अनुदान से अधिक हो और न ही निधियों की निष्क्रियता रहे क्योंकि अनुदान पिछले महीने तक जारी/उपयोग किए गए अनुदानों के उपयोग पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में खातों के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ निर्धारित जीएफआर प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं।	लेखापरीक्षा को सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद अनुदानग्राही संगठनों से पिछले वर्ष के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र जीएफआर निर्धारित प्रारूप में लेखापरीक्षित विवरणों के साथ अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं। प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रति भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी गई है। इस प्रकार, पिछले वर्ष के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उचित प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा, बोर्ड को सभी बैठकों में अनुदानों के उपयोग की स्थिति से भी अवगत कराया जाता है। उपरोक्त के अलावा, इन संगठनों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ओआईडीबी की वार्षिक रिपोर्ट में घटनाओं की तस्वीरों के साथ शामिल किया गया है। इन संगठनों की प्रगति की समीक्षा उनकी संबंधित प्रशासनिक परिषद/शासकीय निकाय/सुरक्षा परिषद आदि द्वारा भी नियमित रूप से की जा रही है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>लेखा टिप्पणियां</th><th>प्रत्युतर</th></tr>
<tr><td></td><td>बोर्ड को विभिन्न बैठकों में अनुदानों के उपयोग की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, सभी अनुदान प्राप्त संगठनों के बजट अनुमानों को ओआईडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी होती है।

हालांकि, पिछले वर्ष के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली विकसित नहीं की गई है।</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार जीएफआर प्रारूप–22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर को उचित तरीके से बनाए रखने के लिए, संपत्ति के वास्तविक सत्यापन और जीएफआर में परिभाषित निर्धारित प्रारूप में अचल संपत्ति रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य मैसर्स दीपक भार्गव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सौंपा गया था।

वित्तीय वर्ष तक संपदा रजिस्टर 2021–22 को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है और संपत्ति का वास्तविक सत्यापन भी निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया जाता है।

i) वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर (वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर) आउटसोर्स एजेंसी से प्राप्त नहीं किया गया है।

ii) एजेंसी द्वारा तैयार की गई अचल संपति और संपति के स्थान और पहचानकर्ता स्थान के रजिस्टरों की जांच करने पर, संपति के अधिकांश शीर्ष में, अचल संपति रजिस्टर में दर्ज की गई मात्रा संपति के स्थान और पहचान रजिस्टर में दर्शायी गई मात्रा के समान नहीं थी।

iii) अचल संपति रजिस्टर विद्युत प्रतिष्ठानों, पुस्तकालय की पुस्तकों, नलकूपों और पानी की आपूर्ति के संबंध में शून्य सकल ब्लॉक/शुद्ध ब्लॉक इंगित करता है जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था क्योंकि ओआईडीबी के पास लीज होल्ड भूमि में एक भवन है जिसमें विद्युत प्रतिष्ठान, नलकूप/जल आपूर्ति और समर्पित पुस्तकालय शामिल है।</td><td>(i) एजेंसी से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया गया था। एजेंसी को भविष्य में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी।

(.ii) जैसाकि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया है, मात्रा में भिन्नता को फिर से देखा जाएगा और जहां भी आवश्यक होगा सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(iii) लेखापरीक्षा को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि अवलोकन को नोट कर लिया गया है एजेंसी को वस्तुओं की पहचान करने और उन्हें अलग करने के लिए कहा जाएगा ताकि भविष्य में संबंधित शीर्षों से संबंधित संपत्ति को संबंधित शीर्षों के तहत दिखाया जा सके। वैकल्पिक रूप से, मदों के समूहन को इंगित करने वाले फुटनोट उचित रूप से दर्ज किए जाएंगे।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	लेखा टिप्पणियां	प्रत्युतर
	iv) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर को फिक्स रजिस्टर में शून्य के रूप में दिखाया गया है, जबकि ओआईडीबी ने नोएडा कॉलोनी में ओएनजीसी से दो फ्लैट खरीदे हैं। ओआईडीबी के पास मालसूची (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली नहीं है क्योंकि ओआईडीबी के पास शून्य इन्वेंटरी है	(iv) लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि ओएनजीसी द्वारा ओआईडीबी को उनकी नोएडा कॉलोनी में दो फ्लैट आवंटित किए गए थे। अचल संपत्ति रजिस्टर में उचित प्रविष्टि कर ली जाएंगी।
4	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी करों और सांविधिक देय राशियों का भुगतान समय पर कर दिया गया है।	वास्तविक स्थिति।

अध्याय 9

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा–6 बोर्ड के कृत्य

6 1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात् :–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (के) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना;

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य आसीमित संदायों की, ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तो और निबंधनों पर जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी;

ड.) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्तियों के भाग रूप रखे रहना;

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिबेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में, केन्द्रीय सरकार के या उसके अनुमोदन से, ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना;

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है:

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :—

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल शेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारकरण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन,

(ध) पेट्रो—रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ड.) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बाते कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुवांशिक या पारिणामिक हों।

परिशिष्ट–2

वित्त लेखा, और संपरीक्षा

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15

15 (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल शेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है, उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई दर में अनाधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (20 प्रतिशत यथा मूल्य दिनांक 1.3.2016 से)।

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादक करता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा 9(1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदग्रहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के लिए उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा – 16–शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

16. धारा–15 के अधीन उद्‌गृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17– केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

17. केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धन राशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

18 (1) तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(ध) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः–

क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(घ) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।

तंउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत सरकार

देश में तेल उद्योग के विकास हेतु प्रतिबद्ध संस्थान

पंजीकृत कार्यालयः

301, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110 001

कॉर्पोरेट कार्यालयः

ओआईडीबी भवन, सी ब्लॉक, तीसरी मंजिल, प्लाट नं.–2, सेक्टर–73, नोएडा, उत्तर प्रदेश

Designed & Printed by censer advertising pvt. Ltd. Mob.: 9810213218